35

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन,

रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन

(मांग सं. 19 और 22)

पैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

पैंतीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन

(मांग सं 19 और 22)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (2022-23)…………………………... (iv)

प्राक्कथन………………………………………………………………….................... (vii)

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय एक	सामान्य रक्षा बजट ………………………………………......	1
अध्याय दो	सीमा सड़क संगठन………………………………..........	30
अध्याय तीन	भारतीय तटरक्षक ………………………………...............	40
अध्याय चार	रक्षा संपदा संगठन..	45
अध्याय पांच	रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम...	55
अध्याय छह	भूतपूर्व सैनिक कल्याण...	80
अध्याय सात	रक्षा पेंशन...	94

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें...................................... 101

परिशिष्ट

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की दिनांक 20.02.2023, 22.02.2023, 24.02.2023 और 16.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश ……… 130

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा

2. श्री नितेश गंगा देब
3. श्री राहुल गांधी
4. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
5. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. श्री सुरेश कश्यप
8. श्री रतन लाल कटारिया
9. डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.@ श्री डी.एम.कथीर आनन्द
11. कुंवर दानिश अली
12. डॉ. राजश्री मल्लिक
13. * श्री एन. रेड्डप्पा
14. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16. श्री जुगल किशोर शर्मा
17. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
18. श्री प्रताप सिम्हा
19. श्री बृजेन्द्र सिंह
20. श्री महाबली सिंह
21. श्री दुर्गा दास उइके

राज्य सभा

.22 डॉ. अशोक बाजपेयी
.23 श्री प्रेम चंद गुप्ता
24. श्री सुशील कुमार गुप्ता
25. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28. श्रीमती पी.टी. उषा
29. श्री जी. के. वासन
30. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
31. श्री के. सी. वेणुगोपाल

@08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

* 16.11.2022 से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्रीमती प्रीति नेगी	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर ' सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह पैंतीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 8 फरवरी, 2023 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 20, 22 और 24 फरवरी, 2023 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 16 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
17 मार्च, 2023
26 फाल्गुन, 1944 (शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय- एक

सामान्य रक्षा बजट

<u>प्रस्तावना</u>

समिति को ज्ञात हुआ है कि रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करना और उन्हें सेवा मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान और विकास संगठनों को कार्यान्वयन के लिए सूचित करना है। यह सरकार के नीति निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित संसाधनों में अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन को सुनिश्चित करता है।

1.2 वर्तमान में, रक्षा मंत्रालय को नीचे सूचीबद्ध पांच विभागों में विभाजित किया गया है:

i. **रक्षा विभाग (डीओडी):** रक्षा विभाग रक्षा नीति और आयोजना, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग से संबंधित कार्य करता है। यह रक्षा बजट, स्थापना मामलों, संसद से संबंधित मामलों और सभी रक्षा संबंधी गतिविधियों के समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है। इस विभाग के अंतर्गत प्रमुख संगठन/विंग- अधिग्रहण विंग, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डीजीएएफएमएस), भारतीय तट रक्षक, सीमा सड़क संगठन, रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई), कैंटीन स्टोर विभाग, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सैनिक स्कूल सोसाइटी और रक्षा लेखा विभाग हैं।

ii. **सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए):** सैन्य कार्य विभाग (डीएमए) सेवाओं के लिए संयुक्त रूप से खरीद, प्रशिक्षण और स्टाफिंग को बढ़ावा देता है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन को सरल बनाना और स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना भी इस विभाग का अधिदेश है।

iii. **रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी):** रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित भंडारों, उपकरणों और पुर्जों के स्वदेशीकरण, रक्षा क्षेत्र सरकारी उपक्रमों (डीपीएसयू) की आयोजना और नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है।

iv. **रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीडीआर एंड डी):** रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का कार्य सैन्य उपकरणों और लॉजिस्टक्स के वैज्ञानिक

पहलुओं और सेनाओं द्वारा आवश्यक उपकरणों के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास योजनाओं के निर्माण पर सरकार को सलाह देना है।

v. **भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू):** भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण और पेंशन संबंधी सभी मामलों पर कार्य करता है।

<u>अनुदानों की मांगें</u>

1.3 रक्षा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित चार अनुदानों की मांगें हैं जिनकी जांच करने के लिए समिति को अधिदेशित किया गया है: -

(i) मांग सं. 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)
(ii) मांग सं.20- रक्षा सेवाएं (राजस्व)
(iii) मांग सं. 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
(iv) मांग सं. 22 - रक्षा (पेंशन)

1.4 रक्षा मंत्रालय सचिवालय, रक्षा लेखा विभाग, कैंटीन स्टोर विभाग, रक्षा संपदा संगठन, तटरक्षक संगठन, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जेएके एलआई), सीमा सड़क संगठन आदि और रक्षा पेंशन के सिविल व्यय के लिए आवश्यकताओं को रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के दो अलग सिविल मांग अर्थात् संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल) और मांग संख्या 22- रक्षा पेंशन में प्रदान किया जाता है।

1.5 तीनों सेनाओं और अन्य विभागों अर्थात् डीआरडीओ, डीओओ (सी एंड एस), डीजीक्यूए, एनसीसी और ईसीएचएस के 'रनिंग' या 'ऑपरेटिंग' व्यय को मांग संख्या 20 -रक्षा सेवा (राजस्व) के तहत प्रदान किया जाता है, जो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है और मांग संख्या 21 अर्थात रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से रक्षा सेवाओं और अन्य संबद्ध संगठनों जैसे डीआरडीओ और डीओओ (सी एंड एस) (पूर्ववर्ती आयुध कारखानों) के प्लेटफार्मों/उपकरणों/हथियारों के अधिग्रहण और भूमि और पूंजीगत कार्यों पर व्यय किया जाता है।

1.6 राजस्व व्यय में वेतन और भत्ते, परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, राशन, पेट्रोल, तेल और स्नेहक, पुर्जे, विभिन्न प्लेटफार्मों / उपकरणों आदि का रखरखाव), राजस्व कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, पानी और बिजली शुल्क, किराए, दरें और कर आदि शामिल हैं) और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। पूंजीगत व्यय में भूमि, निर्माण कार्य, संयंत्र और मशीनरी,

उपकरण, भारी और मध्यम वाहन, नौसेना के जहाजों, विमान और एयरो इंजन, डॉकयार्ड आदि से संबंधित व्यय शामिल है।

1.7 समिति को बताया गया है कि विभिन्न अनुदानों की मांगों के अंतर्गत 'सकल' व्यय प्रावधान के लिए संसद का अनुमोदन लिया जाता है। रक्षा सेवाओं पर निवल व्यय निकालने के लिए प्राप्तियों और वसूलियों, जिनमें अधिशेष/अप्रचलित स्टोरों से बिक्री आय, राज्य सरकारों/अन्य मंत्रालयों को प्रदान की गई सेवाओं के कारण प्राप्तियां आदि और अन्य विविध मद शामिल हैं, की कटौती सकल व्यय से की जाती है। जिसे आमतौर पर रक्षा बजट के रूप में संदर्भित किया जाता है, वह इस प्रकार किया गया शुद्ध व्यय है। रक्षा बजट आमतौर पर इस प्रकार से निकाला गया निवल व्यय है।

<u>रक्षा बजट 2023-24: सार</u>

1.8 अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान मंत्रालय ने समिति के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

रक्षा मंत्रालय बजट अनुमान(बीई) 2023-24

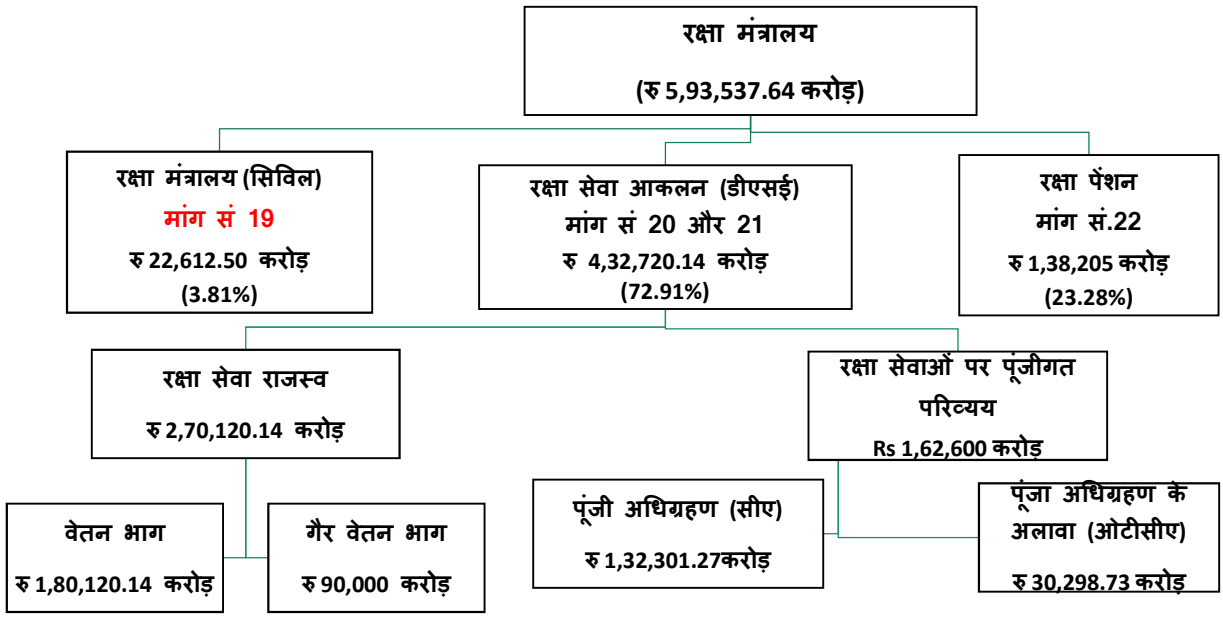

कुल रक्षा बजट : संक्षिप्त ब्यौरा (निवल)

(रु. करोड़ में)

सेवा	राजस्व			पूंजी			कुल		
	2022-23 (बीई)	2023-24 (बीई)	प्रतिशत वृद्धि	2022-23 (बीई)	2023-24 (बीई)	प्रतिशत वृद्धि	2021-22 (बीई)	2022-23 (बीई)	प्रतिशत वृद्धि
थलसेना	1,64,897.77	1,82,649.97	10.77	32,135.26	37,361.54	16.26	1,97,033.03	2,20,011.51	11.66
नौसेना	25,406.42	32,284.20	27.07	47,590.99	52,804.75	10.96	72,997.41	85,088.95	16.56
वायुसेना	32,873.46	44,345.58	34.9	56,851.55	58,268.71	2.49	89,725.01	1,02,614.29	14.37
डीजीओएफ	474.5	426.5	-10.12	3,810.00	1,315.00	-65.49	4,284.50	1,714.50	-59.98
डीआरडीओ	9,348.39	10,413.89	11.4	11,981.81	12,850.00	7.25	21,330.20	23,263.89	9.07
कुल-डीएसई	2,33,000.54	2,70,120.14	15.93	1,52,369.61	1,62,600.00	6.71	3,85,370.15	4,32,720.14	**12.29**
एमओडी (सिविल)	12,050.01	13,837.71	14.84	8,049.99	8,774.79	9	20,100.00	22,612.50	**12.5**
कुल							4,05,470.15	4,55,332.64	**12.30**
रक्षा पेंशन							1,19,696.00	1,38,205.00	**15.46**
कुल योग							5,25,166.15	5,93,537.64	**13.02**

रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) 2023-24: मांग संख्या 20 और 21

1.9 समिति को बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, अनुदान संख्या 20 और 21 को शामिल करते हुए रक्षा सेवा अनुमान (नेट) के तहत कुल आवंटन 4,32,720.14 करोड़ रुपये है, जिसमें से राजस्व व्यय (अनुदान संख्या 20) के लिए कुल परिव्यय 2,70,120.14 करोड़ रुपये है, जो चालू वित्त वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में 15% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, गैर-वेतन राजस्व/प्रचालनात्मक व्यय के तहत आवंटन में 27,570 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इस खंड के तहत कुल बजटीय परिव्यय बजट अनुमान 2022-23 में 62,431 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट अनुमान 2023-24 में 90,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो 44% की वृद्धि दर्शाता है। डीएसई के तहत शामिल सेवाएं और संगठन निम्नानुसार हैं:

i) थलसेना (राष्ट्रीय कैडेट कोर, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, सैन्य फार्म और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना सहित)
ii) नौसेना (संयुक्त स्टाफ सहित)
iii) वायु सेना
iv) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ)
v) आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं)

1.10 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के रक्षा सेवा अनुमानों का सार निम्नलिखित है:

(रु करोड़ में)

	बीई 2022-23			**बीई 2023-24**		
	आवंटन	**राजस्व व्यय का प्रतिशतता**	**डीएसई का प्रतिशत**	**आवंटन**	**राजस्व व्यय का प्रतिशतता**	**डीएसई का प्रतिशत**
राजस्व व्यय						
वेतन और भत्ता	167343.74	71.82	43.42	177244.64	65.62	40.96
भंडार और उपकरण	40009.14	17.17	10.38	56617.73	20.96	13.08
परिवहन	6203.43	2.66	1.61	7094.04	2.63	1.64
विविध	5851.87	2.51	1.52	11024.75	4.08	2.55
राजस्व कार्य आदि	13592.36	5.83	3.53	18138.98	6.72	4.19
(क) कुल राजस्व व्यय	233000.54	100	60.46	270120.14	100	62.42
(ख) पूंजीगत परिव्यय	152369.61		39.54	162600		37.58
पूंजी अधिग्रहण/ आधुनिकीकरण	124408.64		32.28	132301.27		30.57
कुल (क और ख)	385370.15		100	432720.14		100.00

<u>सिविल और पेंशन अनुमान (2023-24): मांग संख्या 19 और 22</u>

1.11 रक्षा मंत्रालय सचिवालय, रक्षा लेखा विभाग, कैंटीन स्टोर विभाग, रक्षा संपदा संगठन, तटरक्षक संगठन, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जेएके एलआई), सीमा सड़क संगठन आदि और रक्षा पेंशन के सिविल व्यय के लिए आवश्यकताओं को रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के दो अलग सिविल मांग अर्थात् संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल) और मांग संख्या 22- रक्षा पेंशन में प्रदान किया जाता है। बजट अनुमान 2023-24 में मांग संख्या 19 और 22 के तहत आवंटन क्रमशः 22,612.50 करोड़ रुपये और 1,38,205 करोड़ रुपये है।

<u>मांग संख्या 19- रक्षा मंत्रालय (सिविल)</u>

1.12 समिति ने पाया कि बजट अनुमान (बीई) 2023-24 में मांग संख्या 19 के तहत रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए निधि का प्रावधान 22,612.50 करोड़ रुपये का है। रक्षा मंत्रालय (सिविल) बजट का अधिक विवरण और बजट अनुमान 2022-23 के साथ तुलना निम्नवत है:

(रु करोड़ में)

	2022-23(बीई)	2023-24(बीई)	वृद्धि प्रतिशत
वेतन	8,588.22	9,595.61	11.73
गैर वेतन	3,461.79	4,242.10	22.54
कुल (राजस्व)	12,050.01	13,837.71	14.84
पूंजी	8,049.99	8,774.79	9.00
कुल (राजस्व + पूंजी)	20,100.00	22,612.50	12.50

1.13 समिति को सूचित किया गया है कि वर्ष 2022-23 (बीई) और 2023-24 (बीई) के लिए रक्षा मंत्रालय (सिविल) के तहत विभिन्न संगठनों/विभागों के लिए बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

संगठन	2022-23 (बीई)	2023-24 (बीई)		2022-23 (बीई)	2023-24 (बीई)		2022-23 (बीई)	2023-24 (बीई)	
	राजस्व	राजस्व	वृद्धि प्रतिशत	पूंजी	पूंजी	वृद्धि प्रतिशत	कुल	कुल	वृद्धि प्रतिशत
एएफटी	45.32	44.8	-1.15	0.5	4.7	840	45.82	49.5	8.03
आईसीजी	3,063.92	3,661.47	19.5	4,246.37	3,536.00	-16.73	7,310.29	7,197.47	-1.54
बीआरओ	4,382.36	5,167.75	17.92	3,500.00	5,012.00	43.2	7,882.36	10,179.75	29.15
सीएसडी (सकल)	19,800.00	22,981.00	16.07	102.09	23.5		(-)97.91	(-)227.50	
सीएसडी (प्राप्ति)	20,000.00	23,232.00	16.16	_			_		
सीएसडी (निवल)	(-)200.00	(-)251.00		_			_		
डीईओ	401.95	620.05	54.26	173.03	42.65	-75.35	574.98	662.7	15.26
डीएडी	2,285.47	2,299.23	0.6	28	148.5	430.36	2,313.47	2,447.73	5.8
एमओडी सचिवालय	392.19	497.7	26.9	-	7.44		392.19	505.14	28.8
जेएकेएलआई	1,678.80	1,797.71	7.08	-	-		1,678.80	1,797.71	7.08
Total	12,050.01	13837.71	14.84	8,049.99	8,774.79	9	20,100.00	22,612.50	12.5

मांग संख्या 22- रक्षा पेंशन

1.14 रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन तीनों सेनाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा नागरिक कर्मचारियों सहित) और पूर्ववर्ती आयुध कारखानों आदि के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार प्रदान करती है। इसमें सेवा पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का कम्यूटेड मूल्य, छुट्टी नकदीकरण आदि का भुगतान शामिल है। इस शीर्ष के तहत बजटीय आवंटन की स्थिति निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

बीई 2022-23	आरई 2022-23	बीई 2023-24
1,19,696	1,53,414.49	1,38,205

1.15 समिति को बताया गया है कि संशोधित अनुमान 2022-23 (1,19,696.00 करोड़ रुपये) की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में 33,718.49 करोड़ रुपये (1,53,414.49 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त आवश्यकता के मुख्य कारण पेंशन में सामान्य वृद्धि, महंगाई राहत के प्रभाव और वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की बढ़ी हुई दरों के कारण नियमित पेंशन में अतिरिक्त राशि और ओआरओपी के बकाया घटक के भुगतान के प्रावधान हैं। 28,137.49 करोड़ रुपये का बकाया घटक लोक लेका के जमा खाते (गैर-ब्याज वाले अनुभाग) में स्थानांतरित किया जाना है। पात्र पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान से उत्पन्न देनदारियों को मौजूदा आदेशों के अनुसार जमा खाते से पूरा किया जा सकता है।

समिति को यह भी बताया गया है कि बजट अनुमान 2022-23 (1,19,696.00 करोड़ रुपये) की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 के लिए 18,509.00 करोड़ रुपये (1,38,205.00 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण पेंशन में सामान्य वृद्धि, महंगाई राहत और बढ़ी हुई ओआरओपी दरों के कारण नियमित पेंशन के कारण अतिरिक्त राशि हैं।

2022-23 के लिए बजट आवंटन

1.16 समिति ने पाया है कि बजट अनुमान (बीई) में 2022-23 के लिए मांग संख्या 20 और 21 के तहत रक्षा सेवाओं के लिए 3,92,113.32 करोड़ रुपये (सकल) और 3,85,370.15 करोड़ रुपये (नेट) का प्रावधान था। संशोधित अनुमान (आरई) 4,16,98415 करोड़ रुपये (सकल) और 4,09,500.48 करोड़ रुपये (निवल) है। निवल आधार पर, 2022-23 के लिए आर.ई. 2022-23 की तुलना में 24,130.33 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमान 2022-23 के लिए 2,33,000.54 करोड़ रुपये के निवल राजस्व बजट को 26,499.94 करोड़ रुपये बढ़ाकर संशोधित अनुमान 2,59,500.48 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पूंजीगत परिव्यय में, संशोधित अनुमान 2022-23 1,50,000 करोड़ रुपये है जो बजट अनुमान 2022-23 के 1,52,369.61 करोड़ रुपये के आवंटन से 2,369.61 करोड़ रुपये कम है।

1.17 समिति ने पाया कि वर्ष 2022-23 की मांगों के तहत मुख्य शीर्ष वार स्थिति निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मांग	मुख्य शीर्ष	बी.ई. 2022-23	आर.ई 2022-23
1.	20- रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2076- थल सेना	1,69,290.44	1,79,121.58
		2077- नौसेना	26,156.42	31,984.58
		2078-वायुसेना	34,173.46	46,028.10
		2079- आयुध निर्माणियां/डीओओ(सीएंडएस)	475.00	401.50
		2080-आर एंड डी	9648.39	9,448.39

2.	21- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,52,369.61	1,50,000.00
		कुल(सकल)	3,92,113.32	4,16,984.15
		प्राप्तियां/वसूलियां	6,743.17	7,483.67
		कुल (निवल)	3,85,370.15	4,09,500.48

1.18 समिति को बताया गया है कि 2022-23 के लिए 4,09,500.48 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से राजस्व व्यय का 2,59,500.48 करोड़ रुपये का प्रावधान है और पूंजीगत व्यय 1,50,000 करोड़ रुपये था। 1,50,000 करोड़ रुपये के निवल पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटक में भूमि- 708.64 करोड़ रुपये, निर्माण - 9,799.68 करोड़ रुपये (विवाहित आवास परियोजना सहित), विमान - 34,778.03 करोड़ रुपये, भारी और मध्यम वाहन - 2,597.81 करोड़ रुपये, अन्य उपकरण - 56,290.34 करोड़ रुपये, नौसेना बेड़े- 24,187 करोड़ रुपये और नौसेना डॉकयार्ड - 4,187 करोड़ रुपये है।

<u>बजट अनुमान 2023-24</u>

1.19 समिति को ज्ञात हुआ है कि रक्षा सेवा अनुमान के तहत 2023-24 के लिए बजट अनुमान ₹ 4,39,633.61 करोड़ (सकल) और ₹ 4,32,720.14 करोड़ (निवल) है।

1.20 वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व व्यय का निवल बजट अनुमान 2,70,120.14 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10,619.66 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है।

1.21 वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय का निवल बजट अनुमान 1,62,600 करोड़ रुपये है जो संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 12,600 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है।

1.22 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रक्षा सेवा अनुमान के तहत संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में सेवा/विभागवार आवंटन की तुलना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	मांग	मुख्य शीर्ष	बीई **2022-23**	आरई **2022-23**	बीई **2023-24**
1.	20- रक्षा सेवाएं **(राजस्व)**	2076- थल सेना	1,69,290.44	1,79,121.58	1,87,206.44
		2077- नौसेना	26,156.42	31,984.58	33,034.20
		2078-वायु सेना	34,173.46	46,028.10	45,645.58
		2079- आयुध निर्माणियां/डीओओ(सीएंडएस)	475.00	401.50	433.50
		2080- आर एंड डी	9,648.39	9,448.39	10,713.89

2.	21- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,52,369.61	1,50,000.00	1,62,600.00
कुल (सकल)			3,92,113.32	4,16,984.15	4,39,633.61
प्राप्तियां/वसूलियां			6,743.17	7,483.67	6,913.47
कुल (निवल)			3,85,370.15	4,09,500.48	4,32,720.14

<u>रक्षा बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं</u>

1.23 रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान समिति को बताया गया है कि रक्षा बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i) बजट अनुमान 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय 5,93,537.64 करोड़ रुपये है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 68,371.49 करोड़ रुपये यानी 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ii) गैर-वेतन राजस्व परिव्यय को बजट अनुमान (बीई) 2022-23 में 62,431 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बजट अनुमान 2023-24 में 90,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 44% की वृद्धि दर्शाता है। इससे अन्य के अलावा हथियार प्रणालियों, जहाजों / विमानों सहित प्लेटफार्मों और उनके संभार तंत्र को बनाए रखने; बेड़े की क्षमता को बढ़ाने; महत्वपूर्ण गोला-बारूद और पुर्जों की आपातकालीन खरीद; जहां आवश्यक हो, क्षमता अंतर को कम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट क्षमताओं से संबंधित उत्पादों की खरीद/हायर करने; सैन्य भंडार को बढ़ाने, अग्रिम मोर्चे को मजबूत बनाने।

iii) चालू वित्त वर्ष में मध्यावधि समीक्षा में प्रचालनात्मक आवंटन में 26,000 करोड़ रुपये (42%) की वृद्धि की गई है। इससे चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण आगे ले जाया गई देयताओं का परिसमापन होगा, सेवाओं के अगले वर्ष के प्रचालनात्मक परिव्यय में कोई कमी नहीं आएगी और वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बढ़े हुए आवंटन की उपलब्धता भी बेहतर प्रचालनात्मक आयोजना में सहायता होगी।

iv) रक्षा सेवाओं के पूंजीगत आवंटन में वृद्धि करके 1,62,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है [वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 10,230 करोड़ रुपये (6.7%) की वृद्धि)।

v) वित्त वर्ष 2023-24 में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूंजीगत बजट में 43% की वृद्धि करके 5,000 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में 3,500 करोड़ रुपये) कर दिया गया है।

vi) वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का 75 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। निरपेक्ष रूप से यह राशि 99,223 करोड़ रुपये है।

vii) रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में डीआरडीओ के आवंटन में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट अनुमान 2023-24 में कुल आवंटन 23,264 करोड़ रुपये है।

viii) नवाचार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने और देश में रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) और रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) आवंटन को क्रमशः 116 करोड़ रुपये और 45 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है (आईडीईएक्स के लिए 93% और डीटीआईएस के लिए 95% की वृद्धि)।

ix) रक्षा पेंशन बजट को वित्त वर्ष 2023-24 में 15.5 प्रतिशत यानी बजट अनुमान 2023-24 में 1,38,205 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है, जबकि बजट अनुमान 2022-23 में यह 1,19,696 करोड़ रुपये था।

x) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के आबंटन में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2022-23 के 3582.51 करोड़ रुपये की तुलना में बीई 23-24 के लिए 5431.56 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

xi) थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रावधानों के तहत अग्निपथ योजना के लिए नए माइनर हेड्स शुरू किए गए हैं। इससे अग्निवीरों को वेतन और अन्य भत्तों, सेवा निधि कोष में योगदान, बीमा कवर और अनुग्रह राशि के भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रशिक्षण सहायता और सिमुलेटर को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में 453 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2023-24 में 4,266 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

xii) केंद्रीय बजट 2023-24 में अग्निवीर फंड को छूट-छूट-छूट (ईईई) का दर्जा प्रदान किया गया है।

<u>रक्षा बजट के तहत अनुमान और आवंटन</u>

1.24 रक्षा मंत्रालय को पिछले पांच वर्षों और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय में प्रदान किए गए बजट (सभी चार अनुदान) का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बीई अनुमान	बीई आबंटन	आरई अनुमान	आरई आवंटन	वास्तविक व्यय
2018-19	5,24,509.77	4,04,364.71	4,98,984.09	4,05,193.85	4,03,457.27
2019-20	5,41,073.17	4,31,010.79	5,64,185.75	4,48,820.10	4,52,996.44
2020-21	5,74,314.91	4,71,378.00	5,61,004.07	4,84,736.06	4,85,680.54
2021-22	6,22,800.51	4,78,195.62	5,73,882.54	5,02,883.54	5,00,680.89
2022-23	6,33,346.02	5,25,166.15	5,92,689.40	5,84,791.10	3,80,209.54*
2023-24	6,37,113.51	5,91,037.64	-	-	-

* व्यय दिसंबर, 2022 तक है.

1.25 अनुदानों की मांगों 2023-24 पर चर्चा के दौरान, समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या 2023-24 में रक्षा बजट में वृद्धि हमारी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करेगी। इसके उत्तर में रक्षा सचिव ने सकारात्मक उत्तर दिया:

> "...हमारा आवंटन हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए है। वास्तव में, वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के प्रति बहुत उदार रहा है और उन्होंने, जो भी हमने अनुरोध किया, वह सब प्रदान किया है।"

1.26 समिति ने रक्षा बजट के लिए अनुमान और आवंटन के बीच अंतर के कारणों और सेनाओं की प्रचालनात्मक तैयारियों पर इसके प्रभाव के बारे में भी पूछा। मौखिक साक्ष्य के दौरान इस संदर्भ में, रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

> "सर**,** प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर एक प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है। इसके उपरांत वित्त मंत्रालय में एक मीटिंग होती है। जिसमें वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों साथ बैठकर तय करते हैं कि क्या यह सच में आवश्यक है**?** क्या इस वित्तीय वर्ष में व्यय हो सकता है**?** इसका निर्णय किया जा सकता है। यदि हम लोग सैलरी के लिए इतने लाख करोड़ रुपए की मांग रखते हैं। आंकड़े देखने पर पता चलता है कि उतनी राशि की आवश्यकता नहीं है**,** तो उसके अनुकूल उसको ठीक किया जाता है। अतः**,** अनुमानित व्यय एक प्रारंभिक अनुमान है। आम तौर पर**,** गणना आदि के संदर्भ में इसमें कुछ कमी रहेगी। इसे वित्त मंत्रालय में ठीक किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी पारदर्शी चर्चा हुई और चर्चा के दौरान ही हमें बताया गया कि हमारी सभी आवश्यकताओं को बिना किसी कटौती के

पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार, 6,37,113.51 करोड़ रुपये बजट अनुमान के रूप में दिखाए गए हैं। यह प्रीलिमिनरी एस्टिमेट था।"

1.27 अनुदानों की मांगों 2023-24 पर चर्चा के दौरान समिति ने संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23 के तहत आवंटन, महंगाई और डॉलर की तुलना में रुपये की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह पूछा कि क्या 2023-24 का बजट सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मौखिक साक्ष्य के दौरान इस संदर्भ में, रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

"संशोधित अनुमान आम तौर पर जनवरी और फरवरी के महीनों में आता है। इसलिए, अधिकांशतः जब तक संसद में यह पारित होती है और हम तक पहुंचती है, उसमें कुछ समय लगता है। इसलिए, मुद्रास्फीति को पहले से ही संशोधित अनुमान में शामिल कर लिया गया होगा। अब, हम फरवरी के महीने में बजट बना रहे हैं। संशोधित अनुमान के संबंध में, वेतन और पेंशन अनुमान तब तक बहुत भिन्न नहीं हो सकते हैं जब तक कि भारी मुद्रास्फीति न हो, जिसे अगले वर्ष के संशोधित अनुमानों में शामिल किया जाता है।

जैसा कि आप जानते हैं, बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से भी इसी प्रकार की मांगें की जाएंगी चाहे वह सड़क, रेलवे, कृषि, बागवानी, उद्योग आदि के लिए हो। बजट बनाने के लिए... इसमें सामाजिक क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र के बीच संतुलित बनाना शामिल है। यदि वे रक्षा क्षेत्र के लिए 13 प्रतिशत की वृद्धि देते हैं, तो सामाजिक क्षेत्र को भी बराबर मिलेगा। अतः, यह राष्ट्रीय प्राथमिकता का प्रश्न है। हम अधिक पैसा उपयोग कर सकते हैं; हम अधिक उपकरण, अधिक बंदूकें खरीद सकते हैं। 100 बंदूकें खरीदने के बजाय, हम 1000 बंदूकें खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है।"

<u>मुद्रास्फीति की दर की तुलना में रक्षा बजट में वृद्धि</u>

1.28 थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूएसपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में मुद्रास्फीति की वर्तमान दर पर विचार करते हुए रक्षा बजट की वृद्धि का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की: -

"आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अप्रैल, 2022 में 7.8 प्रतिशत हो गया और फिर दिसंबर, 2022 तक कम होकर लगभग 5.7 प्रतिशत हो गया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति दरों की मासिक प्रवृत्ति मई, 2022 में 16.6 प्रतिशत से कम

होकर सितंबर, 2022 में 10.6 प्रतिशत और दिसंबर, 2022 में 5.0 प्रतिशत हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति पर विचार करते हुए रक्षा बजट की वृद्धि के साथ इसकी तुलना इस प्रकार है:-

(रु करोड़ में)

रक्षा बजट - अनुदान का नाम	**2021-22 (वास्तविक)**	**2022-23**		**2023-24 (बीई)**
		बीई	**आरई**	
रक्षा सेवा राजस्व (निवल)	2,28,558.94	2,33,000.54	2,59,500.48	2,70,120.14
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,37,986.97	1,52,369.61	1,50,000.00	1,62,600.00
एमओडी (सिविल) (निवल)	17,335.13	20,100.00	21,876.13	22,612.50
रक्षा पेंशन	1,16,799.85	1,19,696.00	1,53,414.49	1,38,205.00
कुल	5,00,680.88	5,25,166.15	5,84,791.10	5,93,537.64
रक्षा बजट % वृद्धि			16.80*	13.02**
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई-सी) वार्षिक (%)			5.70@	
मुद्रास्फीति समायोजित करने के पश्चात वास्तविक वृद्धि			11.10	

* 2021-22 की तुलना में 2022-23 के संशोधित अनुमान में वृद्धि के आधार पर (वास्तविक)

** बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में वृद्धि के आधार पर

@ मुद्रास्फीति दर दिसंबर, 2021 - दिसंबर, 2022 (अनंतिम)"

<u>केंद्रीय बजट व्यय (सीजीई) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में रक्षा बजट की वृद्धि</u>

1.29 समिति को बताया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए कुल रक्षा बजट (रक्षा मंत्रालय (सिविल) और रक्षा पेंशन सहित) 5,93,537.64 करोड़ रुपये है, जो केंद्र सरकार के कुल व्यय का 13.18% और वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 1.97% है। इसके अलावा, 2023-

24 के लिए रक्षा मंत्रालय का पूंजीगत बजट केंद्र सरकार के व्यय के कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 17.12% है।

1.30 समिति को उपलब्ध पिछले पांच वर्षों और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट और सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में रक्षा बजट की वृद्धि के आंकड़े, वास्तविक और सापेक्ष संदर्भ में, निम्नानुसार हैं:

(₹करोड़ में)

वर्ष	**रक्षा व्यय**	**कुल सीजीई (वास्तविक)**	**सीजीई का रक्षा व्यय प्रतिशत**	**जीडीपी**	**जीडीपी का रक्षा व्यय प्रतिशत**
2018-19 (**वास्तविक**)	4,03,457	23,15,113	17.43	1,88,99,668 (तीसरा आरई)	2.13
2019-20 (**वास्तविक**)	4,52,996	26,86,330	16.86	2,00,74,856 (दूसरा आरई)	2.26
2020-21 (**वास्तविक**)	4,84,736	35,09,836	13.81	1,98,00,914 (पहला आरई)	2.45
2021-22 (**वास्तविक**)	5,00,681	37,93,801	13.20	2,36,64,637 (पीई)	2.12
2022-23 (**वास्तविक**)	5,84,791	41,87,232	13.97	2,73,07,751 (पहला एई)	2.14
2023-24 (**वास्तविक**)	5,93,538	45,03,097	13.18	3,01,75,065	1.97

नोट : वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के जीडीपी आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हैं।

तालिका 1.6- जीडीपी के घटक वर्तमान मूल्यों पर और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (2023-24) के सार से लिए गए हैं।

2021-22 (वास्तविक), 2022-23 (संशोधित अनुमान) और 2023-24 (बजट अनुमान) के लिए सीजीई आंकड़े बजट के सार (2023-24) के अनुसार हैं

बीई = बजट अनुमान, आरई = संशोधित अनुमान,

पीई = अनंतिम अनुमान, एई = उन्नत अनुमान

1.31 पड़ोसी और विकसित देशों के संबंध में रक्षा व्यय संबंधी डाटा के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

"व्यय के विभिन्न घटकों के संबंध में एकरूपता की कमी और विश्वसनीय प्रकाशित डाटा की अनुपलब्धता के कारण अन्य देशों की तुलना में रक्षा व्यय संबंधी डाटा की तुलना करना मुश्किल है। फिर भी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के सैन्य व्यय डाटाबेस से इनपुट के आधार पर पड़ोसी देशों और कुछ विकसित देशों के संबंध में उनके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत और सरकारी खर्च के हिस्से के रूप में रक्षा व्यय सहित रक्षा बजट संबंधी डाटा नीचे दिया गया है:

[वर्तमान मिलियन यूएस $ में]

देश	2019			2020			2021		
	रक्षा व्यय	जीडीपी का%	सरकारी खर्च का%	रक्षा व्यय	जीडीपी का%	सरकारी खर्च का%	रक्षा व्यय	जीडीपी का%	सरकारी खर्च का%
चीन	[240332.6]	[1.73]	[4.91]	[257973.4]	[1.80]	[4.75]	[293351.9]	[1.74]	[5.03]
पाकिस्तान	10388.3	4.11	18.70	10394.5	4.03	17.44	11304.8	3.83	17.82
अमेरीका	734344.1	3.43	9.60	778397.2	3.72	8.20	800672.3	3.48	8.32
रूस	65201.3	3.83	11.40	61712.5	4.26	10.59	65907.7	4.08	10.79
यूके	56851.1	1.98	5.17	60675.0	2.24	4.56	68366.4	2.22	4.66

[कोष्ठक] में दिए गए आंकड़े सिपरी के अनुमान हैं

स्रोत: सिपरी सैन्य व्यय डाटा बेस

1.32 अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के संबंध में बैठक के दौरान समिति ने देश के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में और देश के बजट के कुल हिस्से के रुप में रक्षा बजट में वृद्धि के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

"जीडीपी का डिफेंस को तीन प्रतिशत, हेल्थ को दो प्रतिशत और एग्रीकल्चर को तीन प्रतिशत मिलना चाहिए। यह ग्लोबल लेवल पर एस्टिमेट किया जाता है। उतना प्रतिशत मिलने से उस सेक्टर को कुछ फायदा होगा। यह इस एजम्पशन पर किया जाता है कि टैक्स जीडीपी रेश्यो 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत या 13 प्रतिशत तक है। जीडीपी डायरैक्टली सरकार के लिए रेवेन्यु के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। भारत सरकार के लिए टैक्स जीडीपी रेश्यो 8 प्रतिशत या 9 प्रतिशत है, तो सरकार के पास जितने पैसे आते हैं, उतने पैसे में ही बजट बनाना होता है। यदि टैक्स जीडीपी रेश्यो को बढ़ाना है, रेवेन्यु को बढ़ाना है, तो टैक्स परसेंटेज को बढ़ाना होता है।

आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमें टैक्स रेट को कम करना है। इस बार इनकम टैक्स को भी कम किया गया है। अगर हम अपने अगले साल के सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मानते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत लगभग 10 लाख करोड़ रुपये होगा। इसलिए, यह उससे कहीं अधिक होगा जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। रक्षा मंत्रालय के लिए जो जरूरी है, उसे आवंटित कर दिया गया है।"

<u>सेनाओं द्वारा दिये गये अनुमान</u>

1.33 पिछले पांच वर्षों के दौरान तीनों सेनाओं द्वारा दिये गये अनुमानों, बजट अनुमान (ब.अ.) और संशोधित अनुमान (स.अ.) स्तरों पर किए गए आबंटन और किए गए व्यय तथा वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित परिव्यय और बजट अनुमान स्तर पर किए गए आबंटनों का पूंजीगत और राजस्व शीर्ष के लिए एक साथ और अलग से विवरण निम्नवत् है:

क. राजस्व

(*करोड़ रुपये में*)

वर्ष	सेना	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		व्यय
		अनुमानित	आबंटित	अनुमानित	आबंटित	
2018-19	थलसेना$	1,51,814.73	1,27,059.51	141456.91	1,29,812.34	1,34,241.38
	नौसेना	23,747.75	19,571.37	24420.58	20,795.04	20,856.23
	वायुसेना	35,260.79	28,821.27	32407.37	28,105.43	28,291.25
2019-20	थलसेना	1,52,321.32	1,40,398.49	1,52,424.82	1,42,773.83	1,42,529.38
	नौसेना	27,086.29	22,211.71	28,737.09	22,786.71	22,387.31
	वायुसेना	34,849.50	29,601.69	40,382.40	29,951.69	30,124.31
2020-21	थलसेना	1,65,228.28	1,45,785.88	1,53,436.68	1,44,545.67	1,39,903.33
	नौसेना	32,237.96	22,934.75	28,379.84	23,347.69	23,166.05
	वायुसेना	43,904.17	29,962.66	44,605.21	31,742.07	32,825.23
2021-22	थलसेना	1,70,705.28	1,47,644.13	1,68,657.23	1,57,619.06	1,57,092.05
	नौसेना	34,256.83	23,360.68	30,069.08	23,925.91	23,834.99
	वायुसेना	44,992.90	30,652.53	48,816.59	34,283.02	34,375.46
2022-23*	थलसेना	1,74,038.35	1,63,713.69	1,80,526.71	1,73,335.62	1,27,935.76
	नौसेना	34,701.66	25,406.42	34,441.48	30,734.58	19,840.03
	वायुसेना	50,692.44	32,873.46	54,997.72	44,728.10	29,214.45
2023-24	थलसेना	1,84,989.60	1,81,371.97			
	नौसेना	36,605.04	32,284.20	-	-	-
	वायुसेना	68,081.58	44,345.58			

($ - इसमें मिलिट्री फार्म, और ईसीएचएस शामिल नहीं हैं जिन्हें वित्त वर्ष 2016-17 में सेना से संशोधित अनुदान- रक्षा मंत्रालय (विविध) में अंतरित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2019-20 में वापस रक्षा सेवा अनुमान को भेज दिया गया था।)

*व्यय आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं।

नोटः नौसेना में संयुक्त स्टॉफ शामिल है। सं.अ. 22-23 और ब.अ. 23-24 को अभी संसद से अनुमोदन प्राप्त होना है ।

ख. पूंजी

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सेना	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		व्यय
		अनुमानित	आबंटित	अनुमानित	आबंटित	
2018-19	थलसेना$	44,572.63	26,815.71	41614.41	26,815.71	27,438.66
	नौसेना	35,695.41	20,848.16	30735.65	20,890.87	21,509.60
	वायुसेना	77,694.74	35,770.17	68579.46	35,770.17	36,451.74
2019-20	थलसेना	44,660.57	29,511.25	46,032.00	29,666.90	29,000.88
	नौसेना	37,220.98	23,156.43	40,123.18	26,156.43	27,446.68
	वायुसेना	74,894.56	39,347.19	81,301.99	44,947.19	45,104.23
2020-21	थलसेना	50,373.60	32,462.38	39,019.17	33,283.28	26,320.93
	नौसेना	45,268.31	26,688.28	51,769.28	37,542.88	41,666.76
	वायुसेना	66,207.29	43,281.91	72,955.18	55,083.91	58,207.95
2021-22*	थलसेना	51,492.10	36,531.90	38,344.90	25,377.09	25,130.94
	नौसेना	70,920.78	33,253.55	50,011.38	46,021.54	45,028.64
	वायुसेना	77,140.56	53,214.77	71,176.39	53,214.77	53,217.19
2022-23	थलसेना	46,844.37	32,115.26	32,598.49	32,598.49	21,600.25
	नौसेना	67,622.96	47,590.99	47,727.03	47,727.03	24,206.45
	वायुसेना	85,322.60	56,851.55	56,264.54	53,871.17	27,631.50
2023-24	थलसेना	37,341.54	37,341.54			
	नौसेना	52,804.75	52,804.75	-	-	-
	वायुसेना	58,808.48	58,268.71			

($ - इसमें मिलिट्री फार्म, और ईसीएचएस शामिल नहीं हैं जिन्हें वित्त वर्ष 2016-17 में सेना से संशोधित अनुदान-रक्षा मंत्रालय (विविध) में अंतरित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2019-20 में वापस रक्षा सेवा अनुमान को भेज दिया गया था।)

*व्यय संबंधी आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं ।

नोटः नौसेना में संयुक्त स्टॉफ शामिल है। सं.अ. 22-23 और ब.अ. 23-24 को अभी संसद से अनुमोदन प्राप्त होना है ।

ग. राजस्व+ पूंजी

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सेना	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		व्यय
		अनुमानित	आबंटित	अनुमानित	आबंटित	
2018-19	थलसेना$	1,96,387.36	1,53,875.22	1,83,071.32	1,56,628.05	1,61,680.04
	नौसेना	59,443.16	40,419.53	55,156.23	41,685.91	42,365.83
	वायुसेना	1,12,955.53	645,91.44	1,00,986.83	63,875.60	64,742.99
2019-20	थलसेना	1,96,981.89	1,69,909.74	1,98,456.82	1,72,440.73	1,71,530.26
	नौसेना	64,307.27	45,368.14	68,860.27	48,943.14	49,833.99
	वायुसेना	1,09,744.06	68,948.88	1,21,684.39	74,898.88	75,228.54
2020-21	थलसेना	2,15,601.88	1,78,248.26	1,92,455.85	1,77,828.95	1,66,224.26
	नौसेना	77,506.27	49,623.03	80,149.12	60,890.57	64,832.81
	वायुसेना	1,10,111.46	73,244.57	1,17,560.39	86,825.98	91,033.18
2021-22	थलसेना	2,22,197.38	1,84,176.03	2,07,002.13	1,82,996.15	1,82,222.99
	नौसेना	1,05,177.61	56,614.23	80,080.46	69,947.45	68,863.63
	वायुसेना	1,22,133.46	83,867.30	1,19,992.98	87,497.79	87,592.65
2022-23*	थलसेना	2,20,882.72	1,95,828.95	2,13,125.20	2,05,934.11	1,49,536.01
	नौसेना	1,02,324.62	72,997.41	82,168.51	78,461.61	44,046.48
	वायुसेना	1,36,015.04	89,725.01	1,11,262.26	98,599.27	56,845.95
2023-24	थलसेना	2,22,331.14	2,18,713.51	-	-	-
	नौसेना	89,409.79	85,088.95	-	-	-
	वायुसेना	1,26,890.06	1,02,614.29	-	-	-

($ - इसमें मिलिट्री फार्म, और ईसीएचएस शामिल नहीं हैं जिन्हे वित्त वर्ष 2016-17 में सेना से संशोधित अनुदान-रक्षा मंत्रालय (विविध) में अंतरित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2019-20 में वापस रक्षा सेवा अनुमान को भेज दिया गया था।) *व्यय संबंधी आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं।

नोटः नौसेना में संयुक्त स्टॉफ शामिल है। सं.अ. 22-23 और ब.अ. 23-24 को अभी संसद से अनुमोदन प्राप्त होना है ।

<u>सेवाओं द्वारा मांगा गया अतिरिक्त आबंटन</u>

1.34 समिति को बताया गया कि बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान स्तर पर तीनों सेनाओं द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि {राजस्व(निवल)+पूंजी} और विगत पांच वर्षों के लिए आबंटित धन का विवरण इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

वर्ष	सेना	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		संशोधित अनुमान स्तर पर मांगी गई अतिरिक्त धनराशि
		प्रस्तावित	आबंटित	आबंटित	
2018-19	सेना	1,53,875.22	1,83,071.32	1,56,628.05	29,196.10
	नौसेना	36,622.59	50,380.02	37,795.25	13,757.43
	वायुसेना	64,591.44	1,00,986.83	63,875.60	36,395.39
2019-20	सेना	1,69,909.74	1,98,456.82	1,72,440.73	28,547.08
	नौसेना	45,368.14	68,860.27	48,943.14	23,492.13
	वायुसेना	68,948.88	1,21,684.39	74898.88	52,735.51
2020-21	सेना	1,78,248.26	1,92,455.85	1,77,828.95	14,207.59
	नौसेना	49,623.03	80,149.12	60,890.57	30,526.09
	वायुसेना	73,244.57	1,17,560.39	86,825.98	44,315.82
2021-22	सेना	1,84,176.03	2,07,002.13	1,82,996.15	22,826.10
	नौसेना	56,614.23	80,080.46	69,947.45	23,466.23
	वायुसेना	83,867.30	1,19,992.98	87,497.79	36,125.68
2022-23	सेना	1,95,828.95	2,13,125.20	2,05,934.11	17,296.25
	नौसेना	72,997.41	82,168.51	78,461.61	9,171.10
	वायुसेना	89,725.01	1,11,262.26	98,599.27	21,537.25

<u>बजटीय आबंटन में कटौती के कारण सेवाओं द्वारा किए गये या किए जा सकने वाले समझौते</u>

1.35 उन क्षेत्रों जहां तीनों सेनाओं और अन्य संस्थानों/ शीर्षों द्वारा किए गये_अनुमानों की तुलना में बजटीय आबंटन में कटौती के कारण समझौते किए गये या किए जा सकते हैं, के बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नवत उत्तर दिया गया:

> "यह मंत्रालय सेनाओं द्वारा राजस्व और पूंजीगत बजट के अधीन किए गए अनुमानों को अनुकूल विचारार्थ वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित करता है । वित्त मंत्रालय राजस्व (वेतन और

गैर वेतन) और पूंजीगत के लिए अलग अलग सीमाएं निर्धारित करता है जिसके आधार पर सेनाओं को धन आबंटित किया जाता है । आबंटन के लिए व्यय का रुझान, सेनाओं द्वारा किए गए अनुमानों, पूरी की जाने वाली प्रतिबद्ध देयताओं आदि को देखा जाता है । राजस्व खंड के अंतर्गत सबसे पहले वेतन और अन्य अनिवार्य व्ययों के लिए प्रावधान किये जाते हैं। शेष उपलब्ध आबंटन, भंडारों (आयुध सहित) यातायात (कार्मिक और भंडार), राजस्व कार्य और देख-रेख आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए वितरित किये जाते हैं। जहां तक पूंजीगत खंड का प्रश्न है, वर्ष के दौरान देनदारियों के आधार पर अनुमानित लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन अलग रख दिया जाता है। शेष आबंटन को भूमि/निर्माण कार्य सहित अन्य मदों के लिए अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए वितरित किया जाता है।

आबंटित धन का प्रचालन संबंधी गतिविधियों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर निधियां अनुपूरक/स.अ. स्तर पर मांगी जाती हैं । साथ ही, रक्षा सेनाओं के प्रचालन संबंधी तैयारियों से समझौता किए बगैर महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का पुन:प्राथमिकीकरण किया जाता है।"

<u>अनुसंधान एवं विकास पर व्यय</u>

1.36 पिछले छह वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए बजट अनुमान आबंटन, प्रस्तावित बजट और वास्तविक व्यय के संबंध में आंकडे, जैसा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में; सकल)

वर्ष	**प्रस्तावित बजट अनुमान**	**बजट अनुमान आबंटन**	**व्यय**
2017-18	21,048.77	14,968.74	15,482.28
2018-19	23,333.82	18,011.19	17,661.73
2019-20	24,104.63	19,421.02	17,779.24
2020-21	24,340.82	19,627.35	16,075.07
2021-22	24,251.67	20,757.44	18,669.66
2022-23	23,290	21,660.20	13,626.65*
2023-24	24,090	23,563.89	

*व्यय संबंधी आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं।

1.37 अनुदानों की मांगों **2023-24** की जांच के दौरान मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वित्त वर्ष **2023-24** के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) को **23,264** करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह देखते हुए कि यह आवंटन कम था, समिति ने इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा। उत्तर में रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

> **"...** यह पूरी तरह से डीआरडीओ का बजट है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र को भी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें आईडीईएक्स और प्रौद्योगिकी विकास शामिल है। हम उन्हें अनुदान और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम से भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय समिति को आश्वास्त करता हूं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यापक नवाचार, अनुसंधान और विकास हो रहा है। हाल ही में आयोजित एयरो इंडिया ने आईडीईएक्स के तहत विकसित कुछ उत्पादों का प्रदर्शन किया है। वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों के बराबर हैं। अगर आप पिछले साल आयोजित एयरो इंडिया शो में आए होते, तो आप हमारे युवा वैज्ञानिकों की नवाचार शक्ति देख सकते थे। कई सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी भी अनुसंधान गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और स्टार्टअप को सेवाओं को नया करने में मदद कर रहे हैं। वास्तव में, तीनों सेवाओं के अधिकारी आईडीईएक्स और टीडीएफ परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत अपने दम पर इनमें से कई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सक्षम होगा। हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। हम जो भी खर्च करेंगे, अपने देश में खर्च करेंगे। हम नवाचार करेंगे; हम अनुसंधान करेंगे और विकास करेंगे।"

1.38 रक्षा सचिव ने इस मुद्दे पर आगे विस्तार से बताया कि:

> "... इस वर्ष अनुसंधान एवं विकास के लिए लगभग **1933** करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कार्यक्रम आईडीईएक्स है; और प्रौद्योगिकी विकास निधि नामक एक कार्यक्रम है। इसके तहत हमारे पास ओपन एंडेड प्रोग्राम है। हम एक शोध कार्य शुरू करते हैं और समाधान निकालते हैं। अनुसंधान और विकास एक सतत् प्रक्रिया है। यदि हम इस साल एक शोध कार्य शुरू करते हैं, तो शोध **10** से **15** वर्षों तक जारी रहेगा। हमें उन्हें हर साल आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। व्यय के संदर्भ में, हम जो खर्च कर रहे हैं, वह भारतीय उद्योग द्वारा तुरंत उपयोग की जा सकने वाली राशि से कहीं अधिक है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब भी कोई परियोजना शुरू होगी तो सरकार समर्थन देने में पीछे नहीं हटेगी। हम फिर से वित्त मंत्रालय जाएंगे और अधिक बजट प्राप्त करेंगे, लेकिन हम बजटीय समर्थन की कमी के कारण किसी भी परियोजना को लंबित नहीं रहने देंगे।"

1.39 जब समिति द्वारा डीआरडीओ का बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, तो रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

"जो डीआरडीओ में रिसर्च होती है, वहां जिस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाता है, उसे हमें डीपीएसयूज़ या प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करना पड़ता है। प्रोक्योरमेंट तो कंपनी से ही होता है और डीआरडीओ हमें सप्लाई नहीं कर सकती है। डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एजेंसी है, इसलिए प्रोक्योरमेंट लेड रिसर्च होना चाहिए। यदि **75** प्रतिशत प्रोक्योरमेंट भारतीय कंपनियों से ही होता है तो भारतीय कंपनियों के पास रिसर्च करने के लिए, जो मुनाफा होती है, वह भी उपलब्ध होती है। यदि हम बाहर से प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उनके पास यह पैसा नहीं जाता है। मतलब यह है कि यदि हम प्रोक्योरमेंट में सुधार कर रहे हैं कि भारतीय कंपनियों से ही हम प्रोक्योर करेंगे, तब उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट करने की क्षमता भी आ जाएगी। इसलिए हम एक तरह से इनडायरेक्टली देश में रिसर्च इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

सर, दूसरी बात यह है कि रिसर्च करने के लिए एक ही बार हजारों करोड़ रुपए का खर्चा नहीं होता है। हमें साइंटिस्ट की आवश्यकता है और थोड़ा लेबोरेटरी इक्विप करने की आवश्यकता है। आजकल जो रिसर्च चल रही है, वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही चलती है। डीआरडीओ फंडामेंटल रिसर्च नहीं करती है, वह एप्लीकेशन रिसर्च करती है। जो साइंटिफिक डिस्कवरी की गई है, उसके आधार पर वह टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। जो बाहर डेवलप हो चुकी है, उस टेक्नोलॉजी को यहां पर इंडीजीनस करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग डेवलपमेंट पार्टनर का चयन करके उनके द्वारा रिसर्च करवा रहे हैं। इसलिए डीआरडीओ के लिए जो भी चाहिए, वह पर्याप्त राशि उनके लिए आवंटन की गई है। इसमें कोई शक नहीं है।"

<u>रक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना</u>

1.40 देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों को रॉयल्टी/प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित करने की मौजूदा प्रणाली के बारे में समिति के एक प्रश्न के उत्तर में रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

"इसके साथ-साथ हम, जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं, उन साइंटिस्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें नॉन-फाइनेंशियल इंसेटिव्स ही प्रदान करते हैं। नॉर्मली सरकारी नौकरी में फाइनेंशियल इनसेंटिव्स की संभावना कम होती है। उनको जो रिकगनिशन मिलता है, जो अवॉर्ड मिलता है, सलेक्शन बेसेस पर जो प्रमोशन मिलता है, उसके ऊपर ही हमारा इंसेटिव सिस्टम आधारित होता है। फाइनेंशियल इंसेटिव्स नहीं दिए जा सकते, क्योंकि जो इंसेटिव्स सरकार दे सकती है, उनकी तुलना में जो

इंसेटिव्स बाहर, प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं, वे कई गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए, यह इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। जो साइंटिस्ट्स एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंसेटिव्स से ज्यादा रिकगनिशन इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए, उस तरह हम इसे नहीं देखते हैं।"

<u>अवसंरचना विकास पर व्यय</u>

1.41 पड़ोसी देशों की तुलना में अवसंरचना विकास पर किए गए खर्च के बारे में पूछे जाने पर रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

'युद्ध जीतने में अवसंरचना बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इस हेतु एक दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है। सीमा पर अवसंरचना के लिए इसे हर साल संशोधित किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उड़ान योजना के अंतर्गत हम सीमा पर और देश के आंतरिक भाग में भी कई हवाई क्षेत्रों और हवाई अड्डों का निर्माण कर रहे हैं। हम अपनी अवसंरचना का विकास कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ है।"

<u>एकीकृत थिएटर कमांड्स</u>

1.42 यह पूछे जाने पर कि तीनों सेनाओं के एकीकरण, सेनाओं के इष्टतम उपयोग और यूनाइटेड थिएटर कमांड्स के सृजन के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने हैं, मंत्रालय द्वारा लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया गया:

"सेनाओं के बीच सहक्रिया और संयुक्तता बढ़ाने तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सैन्य स्थापना के भीतर सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं जो निम्नलिखित हैं:-

(क) सशस्त्र बलों का एकीकृत थिएटर कमांड्स में पुनर्गठन के संबंध में विचार-विमर्श प्रगति पर है। एकीकृत थिएटर कमांड्स से सशस्त्र बल के बेहतर समन्वयन और एकीकृत उपयोग में सहूलियत होगी जिससे सैन्य कार्रवाई दक्षता और संसाधन उपयोगिता के इष्टतमीकरण में वृद्धि होगी। एकीकृत थिएटर कमांड्स के संभावित लाभ निम्नानुसार हैं:-

(i) संक्रियात्मक दक्षता को बढ़ाना।

(ii) संसाधनों की इष्टतम उपयोगिता जिसके परिणामस्वरूप दक्षता का उच्च स्तर।

(iii) क्षमता निर्माण में सहक्रिया।

(iv) एकीकृत थिएटर कमांड्स प्रणाली में उदीयमान रक्षा प्रौद्योगिकियों अगली पीढ़ी के शस्त्र, कृत्रिम बुद्धिमता, विभेदक प्रौद्योगिकियों इत्यादि) से अधिक लाभ प्राप्त होंगे।

(ख) दिसंबर, 2018 के अंत में रक्षा साइबर एजेंसी (डीसीवाईए), रक्षा स्पेस एजेंसी (डीएसए) और सशस्त्र बल विशेष कार्रवाई डिवीजन (एएफएसओडी) की स्वीकृति दी गई थी। इनका अनुसूची के अनुसार उतरोत्तर प्रचालन किया जा रहा है।

(ग) तीनों सेनाओं के संभार तंत्रों का एकीकरण करने के लिए वर्ष 2020 में तीन संयुक्त संभार तंत्र, नोड्स (जेएलएन) की स्थापना पोर्ट ब्लेयर, मुंबई और गुवाहटी में की गई है। निष्पादन समीक्षा के आधार पर इनके क्षेत्र और संख्या को बढ़ाया जाएगा। सेनाओं, डीजीक्यूए/डीजीएक्यूए, डीआरडीओ, डीपीएसयू और उद्योग के समन्वयन में मानकीकरण में बढ़ोतरी करने के प्रयास जारी हैं।

(घ) हथियारों, गोलाबारूद, सेंसर, संचार नेटवर्क इत्यादि सहित सामान्य/अंतर-संचालित उपस्कर सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रापण। इस बारे में मुख्यालय आईडीएस ने डीएपी 2020 बनाने के लिए सेनाओं के विचारों और कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यालय आईडीएस पूंजीगत अधिग्रहण मामलों को संयुक्त सुनिश्चित करने के लिए और उद्योग, आर एंड डी संगठन एवं अकादमियों के साथ सेनाओं की क्षमता विकास आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेनाओं का समन्वयन करता है ।

(ङ) एक एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली (आईसीएडीएस) को विज्ञान संबंधी और एसएचक्यू से विशेषज्ञों द्वारा हॉलिस्टिक अध्ययन और थिंक-टैंक/उद्योग के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। यह पूरा होने के अंतिम चरण में है। यह 10 वर्षीय प्राथमिकीकृत एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी), पंचवर्षीय रक्षा पूंजीगत अधिग्रहण योजना (डीसीएपी) और दो-वर्षीय रॉल ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) को आगे ले जाएगा।

(च) संचार नेटवर्क के एकीकरण स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस) परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है । यह संचार के नेटवर्क को सक्षम करेगा ।

(छ) प्रशिक्षण प्रयासों और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए प्रशिक्षण में तालमेल और संयुक्तता बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण संस्थानों की उतरोत्तर वृद्धि की जा रही है ।

(i) सीबीआरएन (रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय), आसूचना, कानून, संगीत और केटरिंग के क्षेत्र में पांच जेएसटीआई ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इन जेएसटीआई से बड़ी संख्या में कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया है।

(ii) सशस्त्र सेना प्रशिक्षण संस्थानों (एएफटीआई) के संयुक्त पाठ्यक्रम को बढ़ाया गया है।

(ज)तीनों सेनाओं की अनुरक्षण और सहायक अवसंरचना को एकीकृत करने और इनका परस्पर उपयोग करने की दिशा में प्रगति हुई है। इसके अलावा भविष्य की सभी कॉमन इन-सर्विस संपत्तियों को लीड सर्विस कॉन्सेप्ट पर सामान्य अनुरक्षण सहायता सुविधाओं के साथ शामिल करने की योजना है ।

(झ)तीनों सेनाओं की अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग योजनाओं में सांमजस्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की गई है और संयुक्त अभ्यास और संयुक्त स्टाफ वार्ता के माध्यम से एफएफसी के साथ संपर्क किया जा रहा है।"

<u>युद्ध की रणनीति में संशोधन</u>

1.43 समिति ने अनुदानों की मांगों **2023-24** की जांच के दौरान एक टिप्पणी की कि दुनिया युद्ध की रणनीति में बदलाव देख रही है जहां **'छोटे'** हथियार अधिक घातक साबित हो रहे हैं। इस संदर्भ में, समिति ने वर्तमान युद्ध परिदृश्य के अनुसार रक्षा बलों और अनुसंधान और विकास की तैयारियों और कार्यप्रणाली के बारे में जानना चाहा। उत्तर में, उप सेना प्रमुख ने निम्नानुसार बताया:

> **"**मैं यह बताना चाहता हूं कि हम एक्रॉस द वर्ल्ड कंटीन्यूअस स्टडी कर रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि जो लड़ाई के हथियार हैं, जो प्रिसीजन गाइडेड वेपंस हैं, उनमें क्या बदलाव आ रहा है और उनके लिए हमें क्या करना है। मुझे यह बताने में बहुत खुशी है कि जैसे ड्रोन वारफेयर है और आपने सही बताया है कि छोटे प्लेटफॉर्म बड़े प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं।आज के दिन रिसर्च और डेवलपमेंट में जितनी तेजी से प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर यह फील्ड डेवलप हो रहा है तो **30** से **40** ऐसे छोटे-छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, जो अलग-अलग टाइप और अलग एप्लीकेशन ड्रोन वाले इंडिया में है। हमने इसको वेपनाइज करने का भी प्रोग्राम चालू कर रखा है और करीब दो हफ्ते पहले हमें इसमें सफलता मिली है कि एक ड्रोन उड़कर **15** से **20** किलोमीटर जाकर उधर एक मिसाइल लॉन्च करके एक टैंक को बर्बाद कर सकता है। यह एक गेम चेंजिंग क्षमता है जिसे हमने विकसित किया है।इसी तरह से अलग-अलग दिशाओं में छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जो हमें अगली लड़ाई के अंदर हमारी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को कारगर बनाने की क्षमता रखेंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई कंपनियां हैं जो इसमें लगी हुई हैं। निजी उद्योग में चल रहे शोध के परिणाम हमारे सामने हैं।

लेकिन इनमें से बहुत सी प्रौद्योगिकियां डीआरडीओ में हो रहे विकास से भी प्राप्त होती हैं। डीआरडीओ जो कुछ छोटे-छोटे कम्पोनेंट्स करते हैं, वे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट होते हैं। जैसा कि डिफेंस सेक्रेट्री साहब ने कहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, यह तालमेल सहज है, और हमें इसके परिणाम मिल रहे हैं। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे यकीन है कि हम निकट भविष्य में बहुत बेहतर स्थिति में होंगे।"

<u>जनशक्ति</u>

1.44 अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान समिति द्वारा सशस्त्र बलों में जनशक्ति का मुद्दा उठाया गया था। इस संबंध में, उप सेना प्रमुख ने निम्नानुसार गवाही दी:

"सर, पिछली बैठक में बताया गया था कि कोविड के कारण दो साल तक रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से यह जरूर नीचे आया था। उसी के साथ-साथ अग्निवीर की स्कीम भी शुरू की गई थी, इसके बारे में भी आपने जिक्र किया कि जितना वेस्टेज रेट है और अग्निवीर की रिक्रूटमेंट थोड़ी कम है। इस साल इंडियन आर्मी में 40 हजार जवानों को रिक्रूट किया जा रहा है। हम अभी अग्निवीर पर भी विचार कर रहे हैं। अगले साल भी 40 हजार अग्निवीर रिक्रूटमेंट करने की योजना है, उसके बाद 45 हजार और 50 हजार रिक्रूटमेंट करने का ब्रॉड रोडमैप है। लेकिन रक्षा मंत्री जी के पास यह भी प्रावधान दिया गया है कि प्रचालनात्मक आवश्यकता के आधार पर, यदि उसे लोगों की संख्या में वृद्धि करनी है, तो उसके लिए प्रावधान है। इसलिए, अभी, हम एक ऐसे चरण से गुजर रहे हैं जहां कोविड-19 के परिणामस्वरूप जनशक्ति में थोड़ी कमी आई है। धीरे-धीरे इसे मेक-अप किया जाएगा। मैन वर्सेज़ मशीन की डिबेट इंटर्नली हमेशा चलती रहती है कि कितने आदमी चाहिए, कितने हथियार चाहिए। हमारे लिए बेहतर काम क्या होगा, यह एक निरंतर बहस है जो खतरे के परिदृश्य पर आधारित है और सशस्त्र बलों की आवश्यकता के आधार पर कर्मचारियों और मशीनरी की अपेक्षित संख्या के बीच हमेशा तालमेल रहेगा।"

<u>अग्निपथ योजना</u>

1.45 अग्निपथ योजना को 2022 में सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए युवाओं के लिए भर्ती योजना के रूप में पेश किया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रावधानों के तहत शुरू की गई अग्निपथ योजना के नए लघु शीर्ष में अग्निवीरों के वेतन और भत्ते, सेवा निधि निधि में योगदान, बीमा कवर, अनुग्रह राशि भुगतान शामिल है। इसके अलावा, प्रशिक्षण सहायता और सिमुलेटर्स के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए

गए हैं। 2022-23 के संशोधित अनुमान में 453 करोड़ रुपये और 2023-24 के बजट अनुमान में 4,266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में अग्निवीर फंड को छूट-छूट-छूट का दर्जा प्रदान किया गया है। सेना अग्निवीरों को भुगतान के लिए नया वेतन और लेखा कार्यालय स्थापित किया गया है जबकि नौसेना और वायु सेना अपने संबंधित वेतन और लेखा कार्यालयों से भुगतान करेंगे।

1.46 अग्निपथ योजना के लागू होने से अगले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष होने वाली अनुमानित बचत के बारे में समिति के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

> "यह योजना व्यय नियंत्रण की कवायद नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी सुधार है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए युवा, चुस्त और तकनीकी रुप से दक्ष जनशक्ति का चयन सुनिश्चित करना है, जो करगिल समीक्षा समिति के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय और विशेषज्ञ समितियों की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक रहा है। जहां तक व्यय का संबंध है, सरकार ने सशस्त्र बलों के क्षमता विकास पर निरंतर ध्यान दिया है और पिछले 5 से 6 वर्षों में पूंजीगत बजट में निरंतर वृद्धि हुई है। इसमें कोविड के दो साल जिनमें राजस्व संग्रह बहुत कम था, के बावजूद वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक पूंजीगत बजट में 76.17% की वृद्धि हुई है।

1.47 रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने पूछा कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह से लागू करने के बाद क्या वेतन और पेंशन के कारण होने वाली बचत का आकलन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है। उत्तर में, संयुक्त सचिव (सेना और टीए) ने निम्नानुसार बताया:

> “अग्निवीर स्कीम अभी इस साल से शुरू हुई है। उनकी पहले महीने की पे जारी हो चुकी है। जहां तक चार वर्षों की बात है, अभी तक इसका डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं हुआ है और रोल आउट होने के बाद हम इसे बताएंगे। अगर इसमें हमें रिक्रूटमेंट के लिए कुछ एनहांसमेंट चाहिए, तब भी इसके लिए जाना पड़ेगा, इसलिए अभी इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। अभी सिर्फ फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है।”

1.48 जब इस संबंध में और स्पष्टीकरण मांगा गया तो संयुक्त सचिव (सेना और टीए) ने निम्नानुसार बताया:

"सर, पेंशन का इफेक्ट अभी नहीं होगा, वह थोड़ा बाद में होगा। इसका इफेक्ट तकरीबन दस साल के बाद होगा।"

<u>जासूसी की घटनाएं</u>

1.49 रक्षा कर्मियों और नागरिकों से जुड़ी जासूसी की घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय और बलों में जांचोपाय की मौजूदा प्रणाली के बारे में समिति के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में उप सेना प्रमुख ने निम्नानुसार बताया:

"हम सभी अखबार में इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, यह सही है। इस तरह से छोटा-मोटा होता है, लेकिन हमारे इंटर्नल चेक्स एंड बैलेंसेज काफी मजबूत हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन की डिप्लॉयमेंट है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ होती हैं। उसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो अन्दर से चेक करते रहते हैं कि कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। यदि कोई पकड़ा जाता है, तो उसे डिटरेंट पनिशमेंट दिया जाता है ताकि और कोई जवान या सिविलियन उस दिशा में न जाए। साइबर सिक्युरिटी पर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस हैं, उनको सिक्योर रखने के लिए जो भी कार्रवाई करने की जरूरत है, उस दिशा में, हम लोग तेजी से और कारगर कार्रवाई कर रहे हैं।"

<u>रणनीतिक भागीदारों का चयन</u>

1.50 समिति ने अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारों के चयन के मानदंडों के बारे में पूछा। इस संबंध में, रक्षा सचिव ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"यह सही बात है, हम इसको ध्यान में रखकर ही काम कर रहे हैं। ऐसी टैक्नोलॉजीज, जो उनके पास उपलब्ध हैं, यदि उनसे हमें नुकसान हो सकता है, तो हम उन्हें एक्वायर नहीं कर रहे हैं, उन कंपनियों को भी दूर रख रहे हैं। इसके लिए डीपीआईआईटी द्वारा हमारी पॉलिसी है। जो देश लैंड बॉर्डर से भारत से जुड़े हुए हैं, उन देशों में जो भी कंपनियां काम करती हैं, उनको भारत में आने के लिए, भारत में निवेश करने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती है। इसलिए सभी मंत्रालय इसका ध्यान रखते हुए, उन देशों से आई हुई कंपनियों पर नजर रखते हैं।"

अध्याय दो

सीमा सड़क संगठन

समिति समझती है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है जिसे सशस्त्र बलों की सड़क संबंधी आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। शांतिकाल के दौरान, सीमा सड़क संगठन की भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य कर्मचारियों के लिए सड़क परिचालन अवसंरचना का ऱखऱखाव करना, विकास करना और और सीमावर्ती राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने की है। युद्ध के समय सीमा सड़क संगठन का प्राथमिक उद्देश्य नियंत्रण रेखा वाले क्षेत्र को आवागमन के अनुकुल बनाए रखने के लिए सड़कों को विकसित करना एवं रख-रखाव करना है और युद्ध में सहभागिता के लिए निर्धारित अतिरिक्त कार्यों को निष्पादित करना है। समिति इस तथ्य से अवगत है कि सीमा सड़क संगठन मित्र देशों में भी यह भूमिका निभाता रहा है।

<u>सीमा सड़क संगठन के कार्य का संक्षिप्त परिचय</u>

2.2 इस विषय पर मौखिक साक्ष्य के दौरान, महानिदेशक सीमा सड़क (डीजीबीआर) ने समिति को पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्यों और बीआरओ के चल रहे कार्यों के बारे में निम्नानुसार सूचित किया:-

> "हमारे कई सारे कार्य हैं। मुख्यत: हम सड़क, पुल, सुरंग, एयर फील्ड्स बनाते हैं और उसके साथ-साथ हम स्नो क्लियरेंस करते हैं, हम बिल्डिंग वर्क्स भी बनाते हैं। अभी हम अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौ सेना के लिए जेट्टी भी बना रहे हैं।
>
> सर, पिछले **60** सालों में हमने तकरीबन **61,000** किमी की सड़कें फॉरवर्ड एरिया में लैंड बॉर्डर्स पर बना ली हैं। पिछले **7** सालों में इसकी दर तेजी से बढ़ी है। तकरीबन

856 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हमने सड़कें बनाई हैं। पिछले साल बीआरओ ने **1100** किलोमीटर की सड़क बनाई।

इसी तरह से, ब्रिजेज के बनने की जो दर है, वह अभी तकरीबन **3,000** मीटर प्रति वर्ष है। वह ढाई गुणा, उससे पहले जो सात साल थे, अर्थात् वर्ष **2008-15** तक उस तुलना में यह बहुत तेजी से बढ़ा है।

पिछले **60** सालों में बीआरओ ने चार सुरंगें बनाई थीं और आज हम **11** सुरंगों पर काम कर रहे हैं। **9** सुरंग प्लानिंग की फाइनल स्टेज पर हैं। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने **15** फरवरी को शिनकुला टनेल की घोषणा की है, जो जांस्कर को लाहौल स्पीति से जोड़ेगा।

हम सामरिक दृष्टि से दो एयरफील्ड्स ईस्टर्न कमांड में बना रहे हैं - बागडोगरा और बैरकपुर। उस पर फाइनल स्टेज पर काम चल रहा है। जल्दी ही हम नयोमा एयर फील्ड पर काम लद्दाख में शुरू करने वाले हैं।

सर, पिछले दो सालों में हमने **102** और **103** प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसे माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने देश को समर्पित किया। उन **205** प्रोजेक्ट्स की कुल कॉस्ट **5,125** करोड़ रुपये थी। इस साल हमारा ध्येय है कि इस साल हम **176** प्रोजेक्ट्स बनाएं, जिनकी कॉस्ट **6,377** करोड़ रुपये होगी। हमारा जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की दर है, वह हर साल बढ़ती जा रही है। **....** अगर इन तीन सालों के टोटल को देखें तो लद्दाख में **99** प्रोजेक्ट्स बन गए हैं और बनने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में, जहां हमारा बहुत ज्यादा फोकस और अटेंशन है, वहां **103** प्रोजेक्ट्स हमने बना लिया है या बनाने वाले हैं। इन दो राज्यों में, जहां हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी जो रोड्स है डिफरेंशियल को पूरा करने की, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है।

वर्ष 2021 में हमने 2,228 करोड़ रुपये की लागत से **102** प्रोजेक्टस बनाए**,** जिनमें 86 ब्रिजेज और 15 रोड्स थे। वर्ष 2022 में हमने **103** प्रोजेक्ट्स बनाए**,** जिसमें **67** ब्रिजेज थे और **30** सड़कें थीं। उसका टोटल कॉस्ट **2900** करोड़ रुपये के करीब था।

सर, पिछले महीने रक्षा मंत्री महोदय ने सियोंग जाकर 22 ब्रीजेज का उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया। लद्दाख ने भी हमें पांच हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें पांच सड़क और दो टनल्स हैं। इसमें एक हम्बोटिंग्ला टनल और दूसरा कीला टनल है। शिनकुला टनल जब बन जाएगी, तब यह संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। इसकी घोषणा अभी पांच दिन पहले हुई है। कीला टनल 18 हजार फुट पर होगी, जो शिनकुला से भी ऊपर होगी।

सर, हमने चार बाहर के देशों में भी काम किया है। भूटान में परमानेंट्ली हमारी एक प्रोजेक्ट है, यह पिछले 61 सालों से है। हमने बहुत कठिन समय अफगानिस्तान में भी सड़क बनायी। हमने म्यांनमार में भी सड़क बनायी। तजाकिस्तान में भी हमने 8 लेन रोड बनाकर कंप्लीट किया है।"

<u>बीआरओ को आवंटन</u>

2.3 बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) चरण पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बीआरओ को किए गए आवंटन के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	एजेंसी	पूंजीगत बजट		राजस्व बजट		कुल आवंटन	कुल व्यय
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2028.50	2120.43	2832.27	3240.39	4860.77	5360.82
	एमओआरटीएच	270.00	248.10	115.00	114.44	385.00	362.54
	विदेश मंत्रालय	0.00	0.00	42.33	42.33	42.33	42.33
	गृह मंत्रालय	182.22	182.36	1.56	1.56	183.78	183.92
	गृह मंत्रालय	683.23	683.05	8.98	8.63	692.21	691.68
	अन्य और जमा	117.72	64.56	0.00	0.00	117.72	64.56

	कुल	**3281.67**	**3298.50**	**3000.14**	**3407.35**	**6281.81**	**6705.85**
2019-20	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2356.00	2343.44	3393.16	3515.68	5749.16	5859.12
	एमओआरटीएच	415.92	408.71	142.00	146.40	557.92	555.12
	विदेश मंत्रालय	0.00	0.00	26.82	23.87	26.82	23.87
	गृह मंत्रालय	188.82	191.86	2.30	2.36	191.12	194.23
	गृह मंत्रालय	989.96	990.81	13.35	12.17	1003.31	1002.99
	अन्य और जमा	204.02	101.77	0.00	0.00	204.02	101.77
	कुल	**4154.72**	**4036.59**	**3577.63**	**3700.48**	**7742.35**	**7737.10**
2020-21	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	3100.00	3104.19	3805.55	3775.46	6905.55	6879.65
	एमओआरटीएच	532.46	526.58	220.00	219.85	752.46	746.43
	विदेश मंत्रालय	0.00	0.00	8.88	8.88	8.88	8.88
	गृह मंत्रालय	115.00	115.14	2.00	2.00	117.00	117.14
	गृह मंत्रालय	883.77	899.40	11.42	11.36	895.19	910.76
	अन्य और जमा	181.09	100.93	0.00	0.00	181.09	100.93
	कुल	**4812.32**	**4746.24**	**4047.85**	**4017.55**	**8860.17**	**8763.79**
2021-22	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	3482.00	3490.91	4026.14	4032.64	7506.14	7502.90
	एमओआरटीएच	354.95	353.02	170.00	167.27	524.95	517.95
	विदेश मंत्रालय	-	-	14.79	13.40	14.79	13.40
	गृह मंत्रालय	290.00	289.51	2.97	2.22	292.97	289.91
	गृह मंत्रालय	854.23	853.91	16.35	16.35	870.58	859.91
	अन्य और जमा	203.06	148.00	-	-	203.06	191.32
	कुल	5182.24	**5135.35**	**4230.25**	**4017.55**	**9412.49**	**9375.00**
2022-23 (दिसंबर 2022 तक)	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	4500.00	3479.57	4869.50	3455.29	9369.50	6934.86
	एमओआरटीएच	522.00	288.09	180.00	137.11	702.00	425.20
	विदेश मंत्रालय	0.00	0.00	33.15	21.45	33.15	21.45
	गृह मंत्रालय	715.50	647.87	3.03	1.53	718.53	649.40
	गृह मंत्रालय	886.39	595.60	22.35	10.75	908.74	606.35
	अन्य और जमा	193.41	125.70	0.00	0.00	193.41	125.70
	कुल	**6817.30**	**5136.83**	**5108.03**	**3626.13**	**11925.33**	**8762.96**
2023-24	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	5012.00	**-**	5167.75	-	10179.75	**-**
	कुल	**5012.00**	**-**	**5167.75**	**-**	**10179.75**	**-**

2.4 समिति ने उपरोक्त आंकड़ों से निष्कर्ष निकाला कि **2022-23** के लिए रक्षा मंत्रालय (सिविल) के तहत बीआरओ को अंतिम आवंटन **₹9,369.50** करोड़ था और दिसंबर**, 2022** तक व्यय **₹6,934.86** करोड़ था।**,** रक्षा मंत्रालय **(**सिविल) के अंतर्गत **2023-24** के लिए**,** राजस्व बजट के तहत बजट अनुमान चरण आवंटन **₹ 5,012** करोड़ और पूंजीगत बजट के तहत यह **₹ 5,167.75** करोड़ है।

2.5 समिति को अवगत कराया गया है कि सीमा सड़क संगठन के पूंजीगत बजट को बजट अनुमान **2022-23** के **3,536** करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष **2023-24** में **42** प्रतिशत बढ़ाकर **5,012** करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा**,** इस खंड के तहत आवंटन वित्त वर्ष **2021-22** से दो साल में दोगुना हो गया है।

2.6 मौखिक साक्ष्य के दौरान**,** समिति ने वित्तीय वर्ष **2021-22** और **2022-23** में बीआरओ के लिए संशोधित अनुमान आवंटन में वृद्धि के कारणों और ब.अ. **2023-24** के अनुमान और आवंटन के बीच अंतर**,** यदि कोई हो**,** से अवगत कराए जाने की इच्छा जताई। इस संबंध में**,** वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) ने निम्नानुसार कहा:

> **"**यदि आप देखें कि **2022-23** के लिए**,** राजस्व के लिए कुल बजट आवंटन केवल बीआरओ के लिए **4,382** करोड़ रुपये था। अभी हमने उन्हें **5,167** करोड़ रुपये दिए हैं। उसमें **17.92** प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
>
> .. । पूंजीगत पक्ष में यह **3500** करोड़ रुपये था और अब हमें **5,012** करोड़ रुपये का ब.अ. मिला है**,** जो कि **43** प्रतिशत की वृद्धि है। इस तरह कुल मिलाकर यह **10,179.75** करोड़ रुपए हो गया है।
>
> महोदय**,** मूल रूप से**,** जैसा कि हमने उल्लेख किया है**,** हमने सभी प्रतिबद्ध देनदारियों को ध्यान में रखा है। इस पर महानिदेशक मुझसे सहमत होंगे। सेला टनल**,** नेचीपु टनल**,** अन्य टनल और अन्य सीमा परिसंपत्तियों के कारण जो भी बकाया था**,** हमने उन्हें ध्यान में रखा है। इसके अतिरिक्त उन्हें अभी भी अधिक राशि की आवश्यकता है जिसपर हम बाद में चर्चा करेंगे। चूंकि उन्होंने वास्तव में अच्छी प्रगति की है**,** परिणामस्वरूप हम स.अ. चरण में अतिरिक्त राशि की मांग करेंगे। मैं आपके समक्ष इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि हम सीमा सड़क और अन्य रक्षा चीजों के लिए जो कुछ भी मांगते हैं**,** वह हमें पूरी तरह से मिलता है। "

2.7 रक्षा सचिव ने निम्नानुसार कहा:

"वास्तव में, पिछले तीन वर्षों से सीमा पर आधारभूत संरचना में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार आवंटन किया जा रहा है।"

<u>परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ और सड़कों के रखरखाव में आने वाली कठिनाइयाँ</u>

2.8 मंत्रालय ने समिति के समक्ष पावरप्वाइंट प्रस्तुतिकरण के दौरान बीआरओ द्वारा सामना की जाने वाली निम्नलिखित चुनौतियों को गिनाया:-

एक. अधिकांश दूरस्थ, दुर्गम और ठंडे क्षेत्रों में काम करना, संसाधन और जनशक्ति की कमी।

दो. **100,000** मजबूत जनशक्ति का **80** प्रतिशत कम सुविधाओं वाले दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात है।

तीन. भूमि अधिग्रहण-प्रमुख बाधा

चार. ग्रीन ट्रिब्यूनल - वन और वन्यजीव मंजूरी

पाँच. जलवायु परिस्थितियों के कारण पहाड़ों में शॉर्ट वर्किंग विंडो: यात्रियों के आगमन के शीर्षतम समय के साथ मेल खाना

छः. हिमालय पर्वतमाला: भूस्खलन की संभावना वाले नए पहाड़

सात. प्राकृतिक आपदाएं कार्य प्रगति को प्रभावित करती हैं

2.9 ग्रीन ट्रिब्यूनल और बीआरओ को वन और वन्यजीव मंजूरी के संबंध में वर्तमान प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, महानिदेशक सीमा सड़क (डीजीबीआर) ने निम्नानुसार बताया:

"सर, मैंने चैलेंज में भी बताया था कि लैंड एक्वीजिशन और जो हमारी क्लियरेंसेज़ हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए, उसमें समय लगता है। उस पर सरकार ने स्टेट लेवल पर भी कमेटीज़ बैठाई हैं और तेजी से उस पर काम चल रहा है।"

2.10 समिति ने बीआरओ के उन विशिष्ट मामलों/परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखित जानकारी मांगी जिनमें लंबित मंजूरी के कारण देरी हो रही है । इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक, रक्षा मंत्रालय द्वारा आश्वस्त अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2.11 एक विशिष्ट राज्य में खनन के लिए लंबित अनुमति के बारे में पूछे जाने पर, जो परियोजनाओं के निष्पादन में बाधा बनी हुई है, रक्षा सचिव ने निम्नानुसार उत्तर दिया :

> "आपका क्वेश्चन कश्मीर के बारे है। कश्मीर में माइनिंग के लिए समस्या है, हर महीने परमिशन लेना पड़ता है। वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट वाइज सैंक्शन्ड दिया जाए। यह प्रक्रिया अभी जारी है।"

<u>बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे में सुरक्षा मानक और विशेषताएं</u>

2.12 समिति ने इस विषय पर चर्चा के दौरान सड़क**,** सुरंग आदि जैसी आधारभूत परियोजनाओं के निर्माण के दौरान बीआरओ द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा मानकों के बारे में पूछताछ की। इसके उत्तर में महानिदेशक सीमा सड़क संगठन ने निम्नानुसार कहा:-

> "....जम्मू से श्रीनगर की सड़क। वह सड़क शुरू में बीआरओ द्वारा बनाई गई थी लेकिन अब इसे एनएचएआई को सौंप दिया गया है क्योंकि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच-44 घोषित किया गया है। लेकिन सब कुछ भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड के अनुसार किया जाता है। इन सबमें सुरक्षात्मक कार्यों की वैधानिक आवश्यकता को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, क्रैश बैरियर या जैसा कि आप हमें भूस्खलन के बारे में बता रहे थे। ऐसे में भूस्खलन को रोकने की जरूरत है। यह या तो पहाड़ी की तरफ ढलान के स्थिरीकरण से हो सकता है या यदि भूस्खलन स्थायी है तो वहां किसी अन्य प्रकार का सुरक्षात्मक कार्य किया जा सकता है।
>
> वह निर्दिष्ट है, और वह कार्य एनएचएआई द्वारा निर्माणाधीन है। इसलिए यह हो रहा है।

हम आम तौर पर आगे के क्षेत्रों में सड़कें बना रहे हैं, खासकर जहां सेना तैनात है। सामरिक और परिचालन की दृष्टि से उन्हें इन सड़कों की आवश्यकता है। वहां भी इन सभी नियमों का आदेशानुसार पालन किया जाता है। इसलिए, हम गुणवत्ता और अन्य मानदंडों से समझौता नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने जो भी सड़कों का निर्माण किया है, हमने उनका लेखा परीक्षण किया है। जहां भी आवश्यक हो, हम सुरक्षात्मक कार्य विशेष रूप से क्रैश बैरियर कार्य करते हैं ताकि सड़कों पर कोई दुर्घटना न हो। हम इसे जीरो डेथ कॉरिडोर बनाने की कोशिश करते हैं।"

2.13 आगे सुरंगों के सुरक्षा मापदंडों के मुद्दे पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने निम्नानुसार विस्तार से बताया:-

"जब सुरंग निर्माण कार्य चल रहा होता है, तो हम निर्माण के दौरान और बाद में भी सुरंग के भीतर सभी सुरक्षा सावधानियों, मापदंडों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनका अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पालन किया जाता है।

पहले जब सुरंगों का निर्माण किया जाता था, तो बचने के लिए कोई सुरक्षा सुरंग नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अब मानदंडों के अनुसार, किसी भी सुरंग के लिए जो 1.5 किमी से अधिक लंबी है, हम किसी घटना या दुर्घटना की स्थिति से बचने के लिए एक सुरक्षा सुरंग बनाते हैं।"

<u>सीमा सड़क संगठन द्वारा तैनात श्रमिक बल</u>

2.14 बैठक के दौरान **2023-24** की अनुदानों की मांग की जांच के संबंध में समिति ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में श्रमिकों से संबंधित झारखंड सरकार और बीआरओ के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मुद्दा उठाया। यह पूछे जाने पर कि क्या समझौते का पालन किया गया है**,** सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने निम्नानुसार बताया:

".. हमारे श्रमिकों की संख्या का लगभग **70** प्रतिशत भाग झारखंड के दुमका से आता है और **30** प्रतिशत स्थानीय श्रमिक है। चूंकि यह एक बड़ा घटक था**,** इसलिए हमें राज्य सरकार के साथ इस तरह का समझौता करना पड़ा। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन तब कोविड-**19** के दौरान यह एक विशिष्ट मामला था जिस पर हमें राज्य सरकार के साथ समझौता करना पड़ा था। अन्यथा**,** यह किसी भी राज्य के साथ मानक रीति नहीं है। कोई भी राज्य अपने लोगों को वहां काम करने के लिए भेज सकता है जहां हम काम कर रहे हैं।**"**

2.15 सीमा सड़क संगठन द्वारा तैनात श्रमिकों की रहन सहन की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने निम्नानुसार कहा:

'सर, हमारे लोग पहले रहते थे, वह बिटुमिन के बैरक काटकर रहते थे, आज स्पेशली लद्दाख में सेंट्रली हीटेड कन्टेनराइज्ड अकोमेडेशन दी है, जितना भी पहनने के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं, पहले विंड चिटर पहनते थे, आज जैकेट्स, गोगल्स और शूज प्रत्येक चीज प्रोवाइड करा रहे है।"

<u>सीमा सड़क संगठन कैफे</u>

2.16 समिति को पता चला है कि उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कों पर पर्यटकों के अनुकूल और सुरक्षित आवागमन प्रदान करने के लिए, प्रमुख पर्यटक सर्किटों के साथ-साथ बहु उपयोगी कैफे स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस संबंध में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर सीमा सड़क संगठन द्वारा 12 सीमावर्ती राज्यों में 75 कैफे की स्थापना की गई है।

2.17 सीमा सड़क संगठन कैफे के मुद्दे पर, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:

"मैं विशेषकर लाहौल स्फीति टूरिज्म के बारे में बताना चाहता हूं, जब अटल टनल नहीं बनी थी तो सर्दियां में लोग केवल रोहतांग पास के इस तरफ यानी मनाली तक जाते थे और वापस आ जाते थे। अटल टनल के बनने से 602 परसेंट टूरिज्म में इजाफा हुआ है जो छः महीने तक कट ऑफ रहता था।

हमने 75 बीआरओ कैफे लांच किए हैं। अभी तक सड़कों पर कोई फेसिलिटी नहीं होती थी। यह कैफे बनाना सड़क निर्माण का हिस्सा नहीं था। न केवल सेना के जवान और स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी इन सड़कों पर यात्रा करते हैं - हमने अपनी सभी सड़कों का बहुत व्यापक अध्ययन के माध्यम से पहचान की है कि कहां पर कैफे होने चाहिए। हमने कुछ जगह का ऑलरेडी कैफे बनाने के लिए एक्सेपटेंस लैटर दे दिया है और बाकी जगह का चल रहा है ताकि टूरिज्म का लोग फायदा उठा सकें। वे भी बहुत अच्छी टिप्पणियां देते हैं।"

2.18 समिति ने 2019-20 की अनुदानों की मांग की जांच के दौरान सीमा सड़क संगठन के कार्यबल के लिए उपलब्ध मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया था, जिन्हें बहुत दूरस्थ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम करना पड़ता है।

अध्याय-तीन

भारतीय तटरक्षक

समिति को बताया गया कि भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) की स्थापना 18 अगस्त, 1978 को संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। तटरक्षक अधिनियम, 1978 में तटरक्षक बल के कर्तव्यों और कार्यों की व्यापक रूप से गणना की गई है। चार्टर में निम्नवत शामिल हैं;

(i) किसी भी समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, स्थापना और अन्य संरचनाओं और उपकरणों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करना।

(ii) संकट के समय मछुआरों को समुद्र में सहायता सहित सुरक्षा प्रदान करना।

(iii) समुद्री पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने और समुद्री प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करना ।

(iv) तस्करी-रोधी अभियानों में सीमा शुल्क और अन्य अधिकारियों की सहायता करना।

(v) ऐसे अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करना जो समुद्री क्षेत्रों में इस समय लागू हैं

(vi) इस तरह के अन्य मामले, जिसमें समुद्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के उपायों और वैज्ञानिक डेटा के संग्रह शामिल हैं सहित, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(vii) प्रादेशिक समुद्र में तटीय सुरक्षा।

(viii) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रवर्तन, जांच और निगरानी।

(ix) नाविकों के लिए खोज और बचाव।

(x) समुद्री तेल रिसाव प्रतिक्रिया उपाय।

(xi) तटीय और समुद्री सीमाओं के लिए प्रमुख खुफिया एजेंसी।

(xii) दक्षिण एशिया समुद्र क्षेत्र में तेल और प्रदूषण की प्रतिक्रिया पर एसएसीईपी समझौता ज्ञापन के तहत सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण (सीएनए)।

3.2 तटरक्षक संगठन का नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तट रक्षक (डीजीआईसीजी) करते हैं, जो नई दिल्ली स्थित तटरक्षक मुख्यालय (सीजीएचक्यू) से समग्र कमान और अधीक्षण का प्रयोग

करते हैं। प्रभावी कमान और नियंत्रण के लिए, भारत के समुद्री क्षेत्रों को गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में एक क्षेत्रीय मुख्यालय के साथ पांच तट रक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । इसके अलावा, मुंबई में तटरक्षक कमांडर (पश्चिमी समुद्र तट) पश्चिम और उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों पर परिचालन और प्रशासनिक नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। विशाखापत्तनम में तटरक्षक कमांडर (पूर्वी समुद्र तट) पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों पर परिचालन और प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

<u>बजट 2023-24</u>

3.3 मंत्रालय ने तटरक्षक द्वारा लगाए गए अनुमानों, पिछले पांच वर्षों के दौरान बीई, आरई स्तर पर किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय, पूंजीगत और राजस्व शीर्ष दोनों के लिए संयुक्त और अलग-अलग, बीई अनुमान और 2023-24 के लिए आवंटन के संबंध में लिखित उत्तर के माध्यम से निम्नवत जानकारी दी:

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	बीई अनुमान	बीई आवंटन	आरई प्रोजेक्शन	आरई आवंटन	एमए आवंटन	वास्तविक व्यय
2017-18	पूंजीगत	4805.0000	2200.0000	4150.0000	2200.0000	2200.0000	2178.7308
	राजस्व	2214.5530	1829.7900	2314.2700	2148.9700	2148.9700	2155.5224
	कुल	7019.5530	4029.7900	6464.2700	4348.9700	4348.9700	4334.2532
2018-19	पूंजीगत	4950.0000	2700.0000	3555.0000	2250.0000	2262.1600	2260.9410
	राजस्व	2408.4145	2091.4200	2625.0200	2391.4200	2401.5300	2452.2847
	कुल	7358.4145	4791.4200	6180.0200	4641.4200	4663.6900	4713.2257
2019-20	पूंजीगत	5830.0000	2500.0000	3630.0000	2600.0000	2600.0000	2587.4991
	राजस्व	2758.9000	2385.2700	2955.9400	2476.0700	2520.0700	2539.3074
	कुल	8588.9000	4885.2700	6585.9400	5076.0700	5120.0700	5126.8065
2020-21	पूंजीगत	5350.0000	2500.0000	3100.0000	2500.0000	2500.0000	2503.2090
	राजस्व	3246.0300	2532.7600	2987.8359	2432.7600	2522.9200	2546.5406
	कुल	8596.0300	5032.7600	6087.8359	4932.7600	5022.9200	5049.7496
2021-22	पूंजीगत	3200.0000	2650.0000	3600.0000	3236.4600	3275.4100	3189.1884
	राजस्व	3200.0000	2594.7200	3884.6075	2797.2600	2919.1400	2921.8588
	कुल	6400.0000	5244.7200	7484.6075	6033.7200	6194.5500	6111.0472
2022-23	पूंजीगत	6600.0000	4246.3700	3409.0000	3300.0000	--	2351.3232
	राजस्व	4208.8500	3063.9200	4328.1800	3998.3300	--	2865.2600
	कुल	10803.8500	7310.2900	7737.1800	7298.3300	--	5216.5832#
2023-24	पूंजीगत	4358.0000	3536.0000				
	राजस्व	4406.1700	3661.4700				
	कुल	8764.1700	7197.4700				

#सीजीडीए बुकिंग स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार 06.02.2023 तक व्यय

3.4 तट रक्षक को बजटीय आवंटन के इस मुद्दे पर, एडीजी सीजी और डीजी आईसीजी (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:

> "हमारे पोतों, विमानों और तकनीकी और प्रचालनात्मक बुनियादी ढांचे पर पूंजी निवेश पर ध्यान देने के साथ संगठन द्वारा बजट का 100 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है। 2017 से 2018 के बाद की अवधि प्रचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक गैर-वेतन राजस्व आवंटन में नगण्य वृद्धि के साथ अनुरेखीय बजटीय आवंटन की अवधि थी, जिससे आगे की देनदारियों का वर्ष-दर-वर्ष संचय हुआ। हालांकि चालू वित्त वर्ष के दौरान आवंटन में बड़ी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष, अर्थात 2022-23 के लिए आवंटन इस तथ्य का प्रमाण है कि आवंटन संगठन द्वारा की गई मांगों के आसपास है। उचित बजट सहायता के साथ, संगठन पिछले वर्षों की देनदारियों को आगे ले जाने में सक्षम रहा है और आने वाले वर्षों में वांछित वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि जारी रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।"

<u>बल स्तर और जनशक्ति</u>

3.5 समिति के समक्ष अपने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने तट रक्षक में वर्तमान जनशक्ति के बारे में समिति को निम्नानुसार जानकारी दी:

विवरण	वर्तमान संख्या
अधिकारी	1765
नामांकित कार्मिक	11584
सिविलियन	1454
कुल	14803

3.6 आईसीजी संगठन में जनशक्ति की संख्या के संबंध में, एडीजी सीजी और डीजी आईसीजी (अतिरिक्त प्रभार) ने निम्नानुसार जानकारी दी:

> "आईसीजी चार्टर को निष्पादित करने के लिए, जो समुद्र में मैन एंड ऐसेट की भौतिक उपस्थिति पर जोर देता है, पोतों और विमानों को तट से उचित सहायता के साथ संचालित करने की आवश्यकता होती है। ..... चार्टर व्यापक होने और कई एजेंसियों से प्रचालन मांगों के साथ, आईसीजी संगठन के लिए अतिरिक्त जनशक्ति स्वीकृति को आवश्यक रूप से प्रचालन निवेश के रूप में देखा जा सकता है।

3.7 इस मुद्दे पर, उन्होंने अतिरिक्त जानकारी प्रदान की:

"जहां तक जनशक्ति की कमी की बात है, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे नए पोत आते हैं, वास्तव में हमें उनके लिए जनशक्ति की आवश्यकता है। कोई भी प्रचालनात्मक यूनिट, जो हम स्थापित करते हैं, जैसे पोत और विमान, उसके लिए जनशक्ति को प्रचालनात्मक निवेश माना जाता है।

3.8 यह पूछे जाने पर कि क्या तटरक्षक में वरिष्ठ अधिकारियों को नौसेना द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजा जाता है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार जानकारी दी:

"महोदय, बहुत पहले ऐसा होता था। 2017 से पहले तटरक्षक के महानिदेशक नौसेना से हुआ करते थे। उसके बाद से, तटरक्षक के महानिदेश, भारतीय तटरक्षक के नियमित अधिकारी ही होते हैं। हम नौसेना से चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर ले रहे हैं क्योंकि हम नियमित चिकित्सा संवर्ग नहीं खोलना चाहते थे क्योंकि संख्या बहुत कम है। इसलिए, यह अच्छा होगा कि चिकित्सा रिक्तियां नौसेना को दी जाएं और वे हमारी ओर से भर्ती करें। इसके अलावा, अन्य अधिकारी भी हैं जो आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। तो, इस तरह जब भी नौसेना से जनशक्ति की मांग की जाती है, तो स्पष्ट रूप से, वह पूरी हो जाती है। हमें नौसेना से कोई समस्या नहीं हुई है। वास्तव में, केवल नौसेना ही नहीं, हमने थल सेना और वायु सेना से भी पूर्व में जनशक्ति प्राप्त की है।"

3.9 जब स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या तटरक्षक बल अब जनशक्ति और उपस्कर दोनों के मामले में पूरी तरह से सुसज्जित है, तो रक्षा सचिव ने निम्नानुसार जानकारी दी:

"वास्तव में, तटीय सुरक्षा एक त्रिस्तरीय (थ्री टीयर) सुरक्षा है। पहली लेयर दूर समुद्र में भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान की जाती है। वे हमारी जल सीमा में किसी भी घुसपैठ को रोकेंगे। दूसरे स्तर पर तटरक्षक कार्यभार संभालेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि तट सुरक्षित रहें। उनके पास हमारी तट रेखा पर 42 तट रक्षक स्टेशन हैं। इसके बाद, हमारे पास तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समुद्री पुलिस स्टेशन हैं।

कुछ राज्यों जैसे गुजरात आदि में बेहतर समुद्री पुलिस स्टेशन हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, कई अन्य राज्यों में समुद्री पुलिस स्टेशन या तो स्थापित नहीं हैं या वे समुचित रूप से सुसज्जित नहीं हैं। राज्य सरकारों से जनशक्ति, प्रशिक्षण, उपस्कर और परिवहन के संदर्भ में इन स्टेशनों में सुधार करने का अनुरोध किया गया है। उनके पास पेट्रोलिंग करने के लिए पोत होने चाहिए। उनके पास वाहन भी होने चाहिए। समुद्र में अपराध से

संबंधित मामलों से निपटने के लिए उनके पास प्रशिक्षित जनशक्ति होनी चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें तीसरे स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।"

<u>नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उपाय</u>

3.11 मौखिक साक्ष्य के दौरान, डीएफजी 2023-24 की जांच के संबंध में, समिति ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में तटरक्षक द्वारा हासिल की गई सफलता और 2021 और 2022 में बरामद दवाओं के मूल्य के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में, एडीजी सीजी और डीजी आईसीजी (अतिरिक्त प्रभार) ने निम्नानुसार जानकारी प्रदान की:

"सर, हम आंकड़ा आपको लिखित में दे देंगे। लेकिन, हमने पिछले दो सालों में काफी सारा ड्रग्स पकड़ा है। हम ड्रग्स एंटी, एटीस गुजरात, एनसीपी, डीआरआई के जो इंफॉर्मेशन्स होते हैं, उसके बेसिस पर जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हम लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है और 80 से 90 परसेंट ड्रग्स पकड़ा है।

दूसरा, कुछ ड्रग्स हमारे जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, वहां भी इंफॉर्मेशन दी गई है, चूंकि हमारे जहाज उनके टेरिटोरियल वाटर बॉर्डर में नहीं जा सकते हैं, वहां के जो कोस्टगार्ड हैं, उन्होंने भी वहां काफी ड्रग्स पकड़े हैं। आंकड़ा मैं आपको लिखित में बाद में दूंगा कि हमने कितना ड्रग्स वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में पकड़ा है।"

अध्याय चार

रक्षा सम्पदा संगठन

समिति को बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा संपदा संगठन, अधिसूचित छावनियों के नगरपालिका प्रशासन और देश में लगभग 18.11 लाख एकड़ रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। रक्षा संपदा महानिदेशालय संगठन के शीर्ष पर है। इसके तहत छह निदेशालय हैं, जो प्रत्येक सेना कमान में अवस्थित हैं। साथ ही यहाँ राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (निदेम) भी है जो एक प्रशिक्षण संस्थान है। निदेशालयों के अधीन, रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए 39 रक्षा संपदा मंडल और 4 स्वतंत्र सहायक रक्षा संपदा कार्यालय और छावनियों के नगरपालिका प्रशासन के लिए 62 छावनी बोर्ड हैं।

4.2 रक्षा भूमि के प्रबंधन में सशस्त्र सेनाओं के लिए निजी भूमि और भवनों को किराए पर लेना और अधिग्रहण करना; सरकार के स्वामित्व की रक्षा के लिए भूमि रिकॉर्ड रखना; रक्षा भूमि के विवादों के संबंध में अदालती मामलों में बचाव करना; भूमि के पट्टे और लाइसेंस; अतिक्रमण की रोकथाम, पता लगाना और हटाना; सर्वेक्षण और सीमांकन; और भूमि लेखा परीक्षा आदि शामिल है। रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के सभी विभागों में सबसे बड़ा भूमि मालिक है और रक्षा भूमि देश के लगभग सभी भागों में स्थित है। डीजीडीई सेनाओं, रक्षा प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों के साथ लीज/लाइसेंस आदि पर भूमि को किराए पर लेने, मांगने, अधिग्रहण करने, हस्तांतरित करने के मामलों में कार्य करता है।

<u>छावनियों का प्रशासन</u>

4.3 छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) के अनुसार छावनी केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित ऐसा या ऐसे स्थान हैं जिनमें सेना का कोई भाग रहता है या जिसकी ऐसे स्थान या स्थानों के समीप होने के कारण ऐसी सेना की सेवा के लिए आवश्यकता होती है। वर्तमान में देश के 19 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में 62 छावनियाँ अवस्थित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 20,91,734 है।

4.4 छावनियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

O <u>सरकार का भूमि स्वामित्व</u>

छावनियों में स्थित अधिकतर भूमि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में है। इस भूमि का एक भाग अनुदान और पट्टों पर दिया गया है। कुछ छावनियों में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के स्वामित्व वाली भूमि सहित कुछ भूमि निजी स्वामित्व में भी है।

O <u>सैन्यबल केन्द्रित स्वास्थ्य, स्वच्छता, कल्याण और साफ-सफाई को उच्च प्राथमिकता।</u>

छावनियों में रहने वाले सैन्यबलों का कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ-सफाई बुनियादी आवश्यकता हैं। इस संबंध में छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन सैन्य प्राधिकारियों को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं।

O <u>छावनियों में सैन्यबल और असैनिक जनसंख्या के हितों के सौहार्दपूर्ण संयोजन हेतु संशोधित लोकतांत्रिक तंत्र</u>

छावनी अधिनियम, 2006 में सैन्यबलों सहित अनेक असैन्य जनसंख्या के मामलों का भी पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है।

4.5 छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 के तहत प्रत्येक छावनी के लिए एक छावनी बोर्ड का गठन किया जाता है। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन 'निगमित निकाय' है। इसमें सरकारी/नामित तथा निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। बोर्ड में निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी सदस्यों में समता रखी जाती है। स्टेशन कमांडर बोर्ड के अध्यक्ष (पीसीबी) होते हैं। छावनी बोर्ड की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का निर्वहन, मध्यवर्ती स्तर पर कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ/प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा और शीर्ष स्तर पर महानिदेशक, रक्षा सम्पदा (डीजीडीई) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा महानिदेशक, रक्षा सम्पदा को रिपोर्ट करते हैं। बोर्ड स्तर पर मुख्य अधिशासी अधिकारी(सीईओ) बोर्ड के सदस्य-सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

4.6 छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 10 की उप-धारा (2) के उपबंधों के तहत छावनी बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) के अधीन अनुदान एवं आबंटन प्राप्त करने; और ढांचागत सुविधाओं के विकास और सामाजिक कल्याण संबंधी केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु मानद नगर निकाय हैं।

4.7 **<u>चुनाव:</u>** निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर छावनी बोर्ड के चुनाव कराए जाते हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने चुनाव कराने के लिए छावनी निर्वाचन नियम, 2007 नामक नियम बनाए हैं।

प्रशासनिक कारणों से मौजूदा समय में 61 छावनी बोर्डों को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 के अंतर्गत वैविध्यपूर्ण बनाया गया है। पचमढ़ी छावनी बोर्ड की अवधि 29.11.2023 को समाप्त हो रही है। जिन छावनी बोर्डों की अवधि समाप्त हो चुकी है, जहां चुनाव लंबित हैं तथा जिन्हें वैविध्यपूर्ण बनाया गया है, उनकी सूची निम्नानुसार है:-

परिवर्ती छावनी बोर्ड का नाम	**किस दिनांक तक बोर्ड परिवर्ती है**
56 छावनी बोर्ड	10.02.2022 तक
03 छावनी बोर्ड (जम्मू, रामगढ़ और बादामीबाग)	02.06.2022 तक
छावनी बोर्ड मेरठ	12.07.2022 तक
छावनी बोर्ड खासयोल	05.12.2022 तक

4.8 छावनी बोर्डों में चुनाव के मुद्दे पर अनुदानों की मांगो(डीएफजी) 2023-24 की जांच के संबंध में मौखिक साक्ष्य के दौरान रक्षा सचिव ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"...इलेक्शंस तो नोटिफाई हो गए हैं। मौजूदा अधिनियम के अनुसार, छावनी बोर्ड में जो भी रिक्तियां भरी जानी हैं, उन्हें अगले दो से तीन महीने की अवधि में भरा जाएगा।"

<u>छावनी बोर्ड का वित्तीय आधारः</u>

4.9 छावनी बोर्ड के पास अपने प्रबंधन के तहत आने वाली भूमि के विषय में कराधान, शुल्क, पट्टा किराया और बोर्ड से संबंधित तथा विहित संपत्तियों के विषय में किराए के माध्यम से संसाधनों को जुटाने की शक्तियां हैं। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 के अंतर्गत छावनी बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से सम्पत्ति कर, व्यापार कर, व्यवसाय की मांग अनुसार कर एवं रोजगार कर लगा सकती हैं। इन करों के अतिरिक्त बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से कोई अन्य कर भी लगा सकती है जो उस राज्य के किसी नगर निकाय द्वारा लगाया गया है, जिस राज्य में छावनी स्थित है। छावनी बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत गृह कर, सफाई कर, जल कर, प्रकाश व्यवस्था कर, व्यापार एवं व्यवसाय कर, सेवा शुल्क आदि स्थानीय कर हैं। व्यय मुख्यतः

स्थापना और अस्पतालों और स्कूलों के रखरखाव सहित नागरिक सेवाएं प्रदान करने से जुड़ी आकस्मिकताओं पर होता है।

4.10 समिति को अवगत कराया गया है कि छावनी बोर्डों के संसाधन सीमित हैं क्योंकि छावनियों में संपत्ति का बड़ा हिस्सा सरकारी स्वामित्व वाला है जिसे संपत्ति कर से छूट प्राप्त है। इसके अलावा छावनियों की प्रकृति ऐसी होती है कि केवल सीमित व्यापार और व्यावसायिक गतिविधि होती है और वहाँ व्यावहारिक रूप से कोई उद्योग नहीं होता है। वर्तमान में, 54 छावनी बोर्ड घाटे में हैं और उन्हें अपने बजट को संतुलित करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

4.11 **<u>सेवा शुल्कः</u>** चूंकि संघ की संपत्तियों को संपत्ति कर से छूट दी गई है, भारत सरकार ने नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में अवस्थित केंद्र सरकार की संपत्तियों के संबंध में स्थानीय निकायों को 'सेवा शुल्क' का भुगतान करने का फैसला किया है जो संपत्ति कर का 33-1/3% से 75% है। यह राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की संपत्तियों पर कर लगाने संबंधी संवैधानिक प्रतिबंध के कारण स्थानीय निकायों की सामान्य आय के नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से किया गया है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 109 के तहत छावनी बोर्ड को सेवा शुल्क के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

4.12 **<u>केंद्रीय वित्त आयोगः</u>** 15वें वित्त आयोग द्वारा पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए नवंबर, 2019 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि राज्य सरकार उनके क्षेत्रों में स्थित छावनियों को जनसंख्या आधार पर अनुदान आवंटित करें। तद्नुसार, छावनी बोर्ड को राज्य सरकारों से वित्त आयोग अनुदान प्राप्त होना आरंभ हो गया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 59 छावनी बोर्डों (जम्मू, बादामीबाग और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण, को छोड़कर) को राज्य सरकारों से वित्त आयोग अनुदान के भाग के रूप में क्रमशः कुल 142.60 करोड़ रूपए और कुल 106.61 करोड़ रूपए प्राप्त हुए।

4.13 **<u>छावनी भूमि प्रशासनिक नियम (सीएलएआर), 2022:</u>** सीएलएआर 1937 का अधिक्रमण करते हुए छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) के भाग 346 के तहत शक्तियों को प्रवृत करते हुए सीएलएआर, 2027 को दिनांक 01.12.2021 के सरकारी राजपत्र एसआरओ 24 (ई) के तहत प्रकाशित किया गया था। चूंकि मौजूदा सीएलएआर, 1937 में यथानिहित के अनुसार रक्षा

भूमि प्रबंधन के मूल सिद्धांत के बारे में कोई महत्वपूर्ण अंतर नही रहा है इसलिए नए सीएलएआर में किए गए व्यापक प्रावधान निम्नवत है:-

i. समाप्त हो चुके पट्टों के सभी मामलों में पट्टों की स्वीकृति की निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित होगी।

ii. मौजूदा पट्टों के नवीनीकरण की निबंधन एवं शर्त समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित होगी।

iii. बी-3(क) भूमि का नया वर्गीकरण शूरू किया गया है। यह श्रेणी सभी फ्रीहोल्ड भूमि को शामिल करेगी।

iv. ई-नीलामी प्रस्ताव के लिए प्रावधान।

v. भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) -सामान्य भूमि रजिस्टर (जीएलआर) योजनाओं का एन्कोडेड डिजिटलीकरण।

vi. डिजिटल रिकार्डों में पट्टों की प्रविष्टि करना।

vii. एसटीआर निकटवर्ती नगर पालिकाओं/राज्य सरकारों में लागू होने वाले किरायों की मानक तालिका (एसटीआर) के संकलन के लिए सिद्धांत।

viii. केंद्र सरकार निम्न प्रयोजनों में से किसी पर या अन्य किसी प्रयोजन के लिए विशिष्ट नीतियां बना सकती है:-

(क) सार्वजनिक उपयोगिता/अवसंरचना परियोजना

(ख) भूमिगत पाइप/केबल

(ग) मोबाइल टॉवर्स

(घ) चलायमान टॉवर्स

(ङ)केवी

(च) पेट्रोल पम्पस

(ix) नीलामी बोली को अनुमोदन के अधिकार को केंद्र सरकार द्वारा यथावर्जित विशिष्ट वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत जीओसी-इन-सी और पीडीएस को प्रत्यायोजित करना।

(x) खाली ए-2 और बी-4 भूमि को 30 दिन से अधिक दिनों की अवधि के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ डीईओ द्वारा लाइसेंस पर दिया जा सकता है।

(xi) प्रारूपों की सूची को उचित रूप से आशोधित करना।

4.14. **<u>छावनी बोर्डों में केंद्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं का कार्यान्यवन:</u>**

अधिकांश छावनियों में कई सीएसएस को कार्यान्वित किया जा रहा है। छावनी बोर्ड में केंद्र द्वारा प्रायोजित मुख्य योजनाओं में एएमयूआरटी, मध्याह्न भोजन, स्मार्टसिटी मिशन, आंगनवाडी योजना, एनयूएचएम (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन), बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, उज्जवला, पीएमस्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत इत्यादि है।

4.15. **<u>छावनियों के भवन निर्माण उपनियम का संशोधन:</u>**

मंत्रालय/डीजीडीई ने छह छावनियों के अध्ययन का आयोजन करने और छावनियों के लिए भवन उपनियमों के संशोधन पर सिफारिश करने और छावनियों के पुर्नविकास की योजना का सुझाव देने हेतु दी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) को संबंद्ध किया है। टीईआरआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तद्नुसार, टीईआरआई द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित प्रारूप मॉडल भवन उपनियम विचारार्थ है।

<u>2023-24 के लिए निधियों का आवंटन</u>

4.16 समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के दौरान, डीईओ के एक प्रतिनिधि ने अनुदानों की मांगों के संबंध में निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	**वास्तविक 2021-22**	**बीई 2022-23**	**आरई 2022-23**	**बीई 2023-24**
राजस्व	363.24	601.95	796.30	620.05
पूंजी	72.57	173.03	48.50	42.65

4.17 मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने 2022-23 में सं॰अ॰ चरण में डीईओ को राजस्व शीर्ष के आवंटन में लगभग 200 करोड़ रुपये की वृद्धि का कारण जानना चाहा। इस संदर्भ में, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नवत प्रस्तुत किया:

> "सर, यह जो बढ़ोत्तरी हुई है, हमारे कैंट बोर्ड्स की पेंशन और सैलरी लायबिटीज़ बहुत ज्यादा थी। जब हमने उसको बजट में प्रपोज्ड किया तो 200 करोड़ सितंबर, 2022 तक

ऑलरेडी वह है जो हम बिना ग्रांट के पे नहीं कर सकते हैं। सर, उतना ग्रांट अधिक दिया गया है, जिससे यह बढ़ कर 800 रुपये आ गया है।

..... मंत्रालय, रक्षा सचिव और अन्य के हस्तक्षेप के कारण, हमारी एनएसआर में जितनी लायबिलिटीज़ थीं, जो हम लोग कैरी फॉर्वर्ड करते थे, इनक्लूडिंग डीजीटी, सबको क्लियर कर दिया गया है, इसीलिए इनका भी क्लियर हुआ है।"

4.18 समिति को पता चला है कि रक्षा मंत्रालय छावनी बोर्डों को उनके बजट को संतुलित करने के लिए साधारण सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2021-22 के दौरान, 62 में से 49 छावनी बोर्डों को रक्षा मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। साधारण सहायता अनुदान के अलावा, भूमिगत सीवरेज प्रणाली, जल आपूर्ति स्कीमों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण आदि जैसी पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान वर्ष 2012-13 से भी प्रदान किए जा रहे हैं।

4.19 छावनियों को सहायता अनुदान के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरे निम्नवत हैं:

विवरण	वर्ष	आवंटन (करोड़ में)
अनुदान सहायता (सामान्य)	2020-21	304.60
	2021-22	239.80
	2022-23 (आरई)	579.42
	2023-24 (बीई)	400.00
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	2020-21	10.00
	2021-22	8.75
	2022-23 (आरई)	53.50
	2023-24 (बीई)	44.60
अनुदान सहायता (स्वच्छता कार्य योजना)	2020-21	1.00
	2021-22	0.87
	2022-23 (आरई)	3.00
	2023-24 (बीई)	3.00

राज्य सरकार के साथ रक्षा भूमि का आदान-प्रदान

4.20 समिति ने भूमि के आदान-प्रदान के लिए राज्य सरकारों से मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों के बारे में जानना चाहा। उत्तर में, रक्षा सचिव ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

".. सरकार की नीति यह है कि जहां भी संभव हो छावनी प्रशासन अर्थात छावनी के भीतर नगरपालिका का प्रशासन एक निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाएगा। यही कारण है कि हम निर्वाचित निकायों को राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासन सौंपना चाहते हैं। इसके लिए हमने राज्य सरकार से सहमति मांगी है। उन्होंने एनओसी दे दी है। हम इसे प्रसंस्कृत कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा क्योंकि रक्षा भूमि, भारत सरकार की भूमि को अलग-अलग करना होगा और हमें इसे असैन्य जनसंख्या क्षेत्र को सौंपना होगा। इसलिए, उस कार्य में कुछ समय लगेगा।"

छावनियों में स्थित नागरिक(असैन्य) क्षेत्रों का आसपास की नगरपालिकाओं के साथ विलय

4.21 समिति ने अनुदानों की मांगो 2023-24 पर विचार-विमर्श के दौरान, कुछ छावनी क्षेत्रों में सिविल क्षेत्रों को आसपास की नगरपालिकाओं के साथ विलय के संबंध में प्रगति के बारे में पूछताछ की। इस संबंध में, रक्षा सचिव ने निम्नवत प्रस्तुत किया:

"असैन्य इलाकों को छांटने और राज्य सरकार को सौंपने में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसमें बहुमूल्य भूमि शामिल होगी। राज्य सरकार को भी असैन्य क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए सहमति देनी होगी।"

छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों/स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान

4.22 समिति ने अनुदानों की मांगो 2023-24 पर विचार-विमर्श के दौरान छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों का मुद्दा उठाया। ऐसा ही एक मुद्दा छावनी क्षेत्रों में कुछ सड़कों से होकर गुजरने का था। इस संदर्भ में, रक्षा सचिव ने समिति को निम्नवत अवगत कराया:

"हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री ने छावनी बोर्ड के अधिकारियों और सेना के साथ सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, ताकि किराए की समस्या का समाधान किया जा सके। जहां भी संभव हो, छावनी के माध्यम से सड़क का उपयोग करने के लिए स्थानीय जनता के लिए अनुमति दी जा सकती है। जहां कहीं भी यह सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अतः, यह प्रक्रिया जारी है। हमने संयुक्त सचिव

स्तर की समिति नियुक्त की है। यह प्रत्येक छावनी में जा रही है और देख रही है और हम समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे।"

<u>छावनी क्षेत्रों में नागरिक संरचनाओं की मरम्मत/नवीकरण</u>

4.23 छावनी क्षेत्रों में नागरिक संरचनाओं में मरम्मत/नवीकरण करने के लिए अनुमत सीमा में छूट के बारे में पूछे जाने पर, रक्षा संपदा महानिदेशक ने समिति को निम्नवत सूचित किया:

"सर, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो 5,000 वाली लिमिट है। ओल्ड ग्रांट की जो लैंड्स होती हैं, उसके ऊपर सैंक्शन लेने के लिए हमें हाइएर ऑथोरिटी के पास, केन्द्र सरकार तक आना पड़ता है। इसलिए बिल्डिंग के लिए सैंक्शन नहीं मिल पाती है।

रिपेयर की जो बात है, तो इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020 में आदेश दे दिया था कि रिपेयर करने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। उसकी गाइडलाइन्स इश्यू हो चुकी है और बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं।

सर, जहां तक बिल्डिंग बाई-लॉज के रिवीजन की बात है तो उस पर एक्शन चल रहा है। टेरी ने अपनी अनुशंसा हमें दे दी है और रक्षा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।"

<u>छावनी अधिनियम, 2006 में संशोधन</u>

4.24 भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात छावनियों का प्रशासन संघीय सूची का विषय हो गया। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 3 के अनुसार छावनी क्षेत्रों के परिसीमन, इन क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के छावनी प्राधिकरणों के संघटन एवं उसकी शक्तियों और ऐसे क्षेत्रों में किराए के नियंत्रण सहित गृह आवास के विनियमन पर कानून बनाने में सक्षम विधायिका संसद है।

4.25 संविधान के 74वें संशोधन द्वारा बदले परिदृश्य ने छावनियों के प्रशासन और छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन छावनी बोर्ड की भूमिका की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता को जन्म दिया। तद्नुसार छावनियों के व्यापक लोकतंत्रीकरण, इनके वित्तीय आधार में सुधार करने,विकास कार्य संबंधी प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए छावनी प्रशासन संबंधी क़ानूनों को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से छावनी अधिनियम, 2006 लागू किया गया। नया छावनी अधिनियम, 2006 दिनांक 18.12.2006 को लागू हुआ।

4.26 समिति इस बात से अवगत है कि सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए 2020 में नए छावनी विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया था। इस संदर्भ में, अनुदानों की मांगो 2023-24 पर चर्चा के दौरान, समिति ने यह जानना चाहा कि नया विधेयक संसद में कब पेश किया जाएगा। इस संबंध में, मौखिक साक्ष्य के दौरान, रक्षा सचिव ने निम्नवत साक्ष्य दिया:

> "सरकार का विचार यह है कि असैन्य क्षेत्र सैन्य कमांडर के प्रशासन के अधीन नहीं होगा। वह हिस्सा जो पूरी तरह से असैन्य है, नगरपालिका अधिनियम या जो भी प्रासंगिक अधिनियम है, के तहत जाएगा। इसके लिए, हम एक बेहतर अधिनियम ला रहे हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाएं असैन्य क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर देंगी।"

<u>रक्षा भूमि के विवादों के संबंध में अदालत के मामले</u>

4.27 समिति ने इस विषय पर चर्चा के दौरान रक्षा भूमि के बारे में विवादों के संबंध में लंबित अदालती मामलों के बारे में वांछित जानकारी मांगी। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक सचिवालय में अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अध्याय - पांच

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू)

<u>प्रस्तावना</u>

समिति को पता चला है कि रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की स्थापना नवंबर 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों, प्रणालियों, प्लेटफार्मों, उपकरणों का उत्पादन करने के लिए एक व्यापक उत्पादन संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, विभाग ने सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के व्यापक उत्पादन संबंधी सुविधाएं प्रदान की हैं। निर्मित उत्पादों में हथियार और गोला-बारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल, गोला-बारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग उपकरण, विशेष मिश्र धातु और विशेष प्रयोजन वाली स्टील शामिल हैं। रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) रक्षा उपकरणों के उत्पादन, आयातित घटकों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, निर्यात क्षमता में वृद्धि करने, नई प्रौद्योगिकियों के विकास, सूक्ष्म, रक्षा क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), स्टार्टअप और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.2 रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 16 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इस अध्याय में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत निम्नलिखित 9 सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) की जांच शामिल है:

I. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
II. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)
III. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)
IV. बीईएमएल लिमिटेड
V. मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)
VI. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)
VII. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)
VIII. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)
IX. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)

समिति द्वारा प्रस्तुत 38वीं रिपोर्ट (17वीं लोक सभा) में नए 7 सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी) की अलग से विस्तारपूर्वक जांच की गई है।

<u>देश में रक्षा उद्योग: प्रमुख उपलब्धियां</u>

5.3 समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान रक्षा उद्योग की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया जोकि इस प्रकार है:

	2021 - 22	**2022 - जनवरी 23**
रक्षा उत्पादन	**95000 करोड़**	**67000 करोड़ (दिसम्बर 2022)**
रक्षा निर्यात	**12845 करोड़**	**11050 करोड़**
स्वदेशी घटक	**4355**	**6361**
एमएसएमई विक्रेता आधार	**13050**	**14000**
सबंद्ध स्टार्टअप	**106**	**329**
सैन्य समस्याओं के समाधान हेतु शुरू किए गए स्टार्टअप	**86**	**256**
नई प्रौद्योगिकी / उत्पाद	**73**	**193**

5.4 इसके अतिरिक्त, समिति को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधारों और उपलब्धियों के बारे में पता चला हैः

1. रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ने विभिन्न रक्षा उपकरणों के आयातित घटकों के स्वदेशीकरण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। वर्ष 2020 में इस उद्देश्य के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, और अब तक, इस पोर्टल पर 6,000 से अधिक वस्तुओं के उत्पादन में रुचि दिखाई गई है।

2. रक्षा मंत्रालय ने केवल भारतीय स्रोतों से खरीद हेतु 411 मदों वाली चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं। इसके अतिरिक्त, डीडीपी ने 3,738 मदों वाली तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं, जिन्हें परिभाषित समय सीमा के बाद भारतीय कंपनियों से खरीदा जाना है।

3. स्वदेशीकरण को बढ़ाने हेतु मेक प्रोसीजर्स की शुरूआत की गई हैं। रक्षा क्षेत्र संबंधी खरीद में पूंजी अधिग्रहण की मेक श्रेणी का प्रावधान मेक इन इंडिया पहल के पहले के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मेक प्रक्रियाओं की मुख्य रूप से दो श्रेणियां हैं। मेक-I श्रेणी सरकार द्वारा वित्त पोषित श्रेणी है जिसमें प्रोटोटाइप विकास के लिए 70 प्रतिशत या अधिकतम 250 करोड़ रुपये का वित्त पोषण सरकार द्वारा दिया जा सकता है। अब तक, इस श्रेणी में 17 परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है, और एक परियोजना के संबंध में खरीद हेतु संविदा की जा चुकी है।

4. मेक-2 श्रेणी के लिए उद्योग द्वारा वित्त पोषित एक अन्य प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। इस श्रेणी में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 100 करोड़ रुपये से कम के ऑर्डर के लिए छूट भी है। अब तक, 93 परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है, और इस श्रेणी के तहत दो खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5. उद्योगों, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) संस्थानों और शिक्षाविदों को शामिल करके नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु रक्षा उत्कृष्टता संबंधी नवाचार (आईडीईएक्स) शुरू किया गया है। यह मंच उन्हें नवाचारों और अनुसंधान एवं विकास को पूरा करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराता है या वित पोषण करता है। पांच वर्षों में 300 स्टार्ट-अप और 20 पार्टनर इनक्यूबेटरों की सहायता करने के लिए 498.78 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक योजना की शुरूआत की गई थी।

6. हाल ही में, एयरो-इंडिया 2023 के दौरान माननीय रक्षा मंत्री द्वारा साइबर सुरक्षा में रक्षा भारत स्टार्ट-अप चैलेंजेस (डिस्क) का नौवां संस्करण लॉन्च किया गया, जिसमें 29 वस्तुएं शामिल है। इससे पहले, आईडीईएक्स द्वारा पिछले आठवें रक्षा भारत स्टार्ट-अप चैलेंजेस (डिस्क) के दौरान लगभग 7,000 स्टार्ट-अप के साथ वार्ता की गई थी, जिनमें से 335 स्टार्ट-अप को शामिल किया गया है, और अब तक 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
7. इसके अतिरिक्त, खरीद हेतु आईडीईएक्स और मेक-2 की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और परीक्षण प्रक्रिया में सुधार करके समय-सीमा को दो वर्ष से घटाकर मात्र पांच माह कर दिया गया है।
8. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, पिछले वर्ष एआई डेफ इवेंट में 75 डिफेंस एआई उत्पाद लॉन्च किए गए थे।

9. रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी) स्थापित किए गए हैं। ये तमिलनाडु में चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ में स्थित है। इन गलियारों द्वारा 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। राज्य सरकारों ने पहले ही 24,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए विभिन्न उद्योगों साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी) में 6000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पहले ही किया जा चुका है।

10. इन-हाउस सुविधाओं को विकसित करने के लिए, इन दो रक्षा गलियारों में रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचा योजना भी लागू की जा रही है। वर्ष 2020 में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरूआत की गई थी।

11. सितंबर 2020 में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को खुले क्षेत्र के अन्तर्गत 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत और सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 100 प्रतिशत कर दिया गया। वर्ष 2014 के पश्चात, 3400 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ है जिसमें पिछले आठ वर्षों में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

12. मंत्रालय ने मित्र देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख पहलू यह हैं कि निर्यात प्रक्रियाओं को सरल और उद्योग के अनुकूल बनाया गया है। सरकार ने रक्षा निर्यात के लिए ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) अधिसूचित किया है। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) एक बार के लिए निर्यात लाइसेंस है जिसके अनुसार उद्योग को ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) की वैधता के दौरान निर्यात प्राधिकरण प्राप्त किए बिना निर्दिष्ट मद को निर्दिष्ट गंतव्य पर निर्यात करने की अनुमति देता है।

13. निर्यात संबंधी कार्यकलापों के समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के अंतर्गत निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है। सभी डीपीएसयू को निर्यात हेतु लक्षित विपणन के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र सौंपे गए हैं। मंत्रालय ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। वर्तमान में, भारत लगभग 84 देशों को निर्यात कर रहा है और रक्षा निर्यात 2021-22 में 13000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है जिसमें पिछले पांच वर्षों में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है। इस वर्ष जनवरी, 2023 तक निर्यात का आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

14. व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु, एंड-टू-एंड ऑनलाइन निर्यात प्राधिकरण प्रणाली की शुरुआत के साथ निर्यात प्रक्रियाओं को उद्योग के अनुकूल बनाया जाता है। इसके कारण उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदान करने की सीमा को 86 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया है। इन प्रयासों से वर्ष 2021-22 में एक्सपोर्ट लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 1089 हो गई है। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) और आयात लाइसेंस हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी

लॉन्च किए गए हैं। औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची को तर्कसंगत बनाया गया है और अब अधिकांश घटकों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता की अवधि भी 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है और इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2023 तक 366 कंपनियों को विभिन्न रक्षा लाइसेंस प्राप्त मदों के निर्माण के लिए 599 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के पुराने रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू)

5.5 डीएफजी 2023-24 की जांच के लिए आयोजित बैठक के दौरान, समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में पुराने डीपीएसयू के प्रतिनिधियों ने उनकी भूमिकाओं, उत्पाद संबंधी विवरण, वित्तीय स्थिति आदि पर प्रकाश डाला। प्रत्येक पुराने डीपीएसयू से संबंधित इन पहलुओं का सार निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

पुराने डीपीएसयू	उत्पाद संबंधी जानकारी	उपलब्धियां	वित्तीय जानकारी
बीईएल	• मिसाइल सिस्टम (थल सेना और नौसेना) • स्थल-आधारित रडार प्रणाली • नौसेना प्रणाली (सोनार, संचार प्रणाली, रडार और अग्नि नियंत्रण प्रणाली) • सैन्य संचार • इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वैमानिकी • होम लैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटीज • ईवीएम /	• बीईएल को "इकोनॉमिक टाइम्स-आइकॉनिक ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2022" से सम्मानित किया गया है। • बीईएल गाजियाबाद को सीआईआई एक्जिम बैंक बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 और जूरी द्वारा प्रशंसनीय रोल मॉडल संगठन जैसे दो सम्मान प्राप्त हुए। • बीईएल पंचकूला को "इनोवेटिव डिजिटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अवार्ड" से सम्मानित किया गया। • पेटेंट/कॉपीराइट/आईपीआर संबंधी आवेदन : 1040, स्वीकृत : 347	• वर्ष 2020-21 में 13,818.16 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 में 15,043.67 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिससे 8.87% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक) के दौरान 11,937 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

	वीवीपीएटी • मानव रहित सिस्टम • सौर प्रणाली और समाधान • अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम • रणनीतिक घटक / उपकरण • चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स • साइबर और नेटवर्क सुरक्षा • सॉफ्टवेयर समाधान और एआई • हथियार और गोला-बारूद आदि।	• प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए: 08 • 6 विदेशी विपणन कार्यालय स्थापित। • स्वदेशी उत्पादों से 78% कारोबार का लक्ष्य प्राप्त किया। • वर्ष 2021-22 के दौरान कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश (कारोबार का प्रतिशत) 6.95% था। • उत्पादन को पूरा करने के लिए वैश्विक/भारतीय संस्थाओं के साथ भागीदारी की गई।	• वर्ष 2021-22 के दौरान 33.3 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया। वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक) के दौरान निर्यात बिक्री 29.14 मिलियन अमरीकी डालर है।
एचएएल	लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षण संबंधी विमानों, हेलीकॉप्टरों, मालवाहक विमान, एयरो-इंजन, एवियोनिक्स, सिस्टम और सहायक उपकरणों का डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन।	• माननीय राष्ट्रपति ने 27 सितंबर 2022 को बेंगलुरु में एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण ईकाई (आईसीएमएफ) का उद्घाटन किया। • माननीय प्रधान मंत्री ने 6 फरवरी 2023 को तुमकुरु में नया हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। • माननीय प्रधान मंत्री ने 6	वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने परिचालन से अब तक का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया है, अर्थात 5,230 करोड़ के कर के अतिरिक्त लगभग 24,620 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23

	वर्तमान में, एचएएल केवल स्वदेशी मंचों पर विनिर्माण कर रहा है जिसे एचएएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।	फरवरी 2023 को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच) का अनावरण किया। • माननीय प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में डीईएफएक्सपो-2022 में एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर लड़ाकू विमान का अनावरण किया। • माननीय रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2022 में जोधपुर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) - प्रचंड को भारतीय वायुसेना को समर्पित किया।	के दौरान परिचालन से 26,500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। कंपनी को वार्षिक औसतन करीब 12 फीसदी की राजस्व वृद्धि हासिल होने की अनुमान है। कंपनी को 83,700 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिल चुके है और लगभग 56,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर पर बातचीत चल रही है।
एमडीएल	सतही पोत, पनडुब्बियां (रक्षा क्षेत्र) कार्गो जहाज, ड्रेजर, आपूर्ति जहाज, ट्रॉलर, टग्स, पवनचक्की टावर आदि (वाणिज्यिक क्षेत्र) अपतटीय प्लेटफॉर्म, जैक-अप रिग्स (तेल क्षेत्र)	• प्रोजेक्ट 15बी **'आईएनएस मोरमुगाओ'** के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की डिलीवरी • परियोजना पी 75 **'आईएनएस वागीर'** की स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी की डिलीवरी • **मिडगेट** सबमरीन स्वदेशी डिजाइन और विकास की शुरुआत की। • भारत के पहले स्वदेशी **हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल इलेक्ट्रिक पोत** (एफसीईवी) • कुल 124 बौद्धिक सम्पदा अधिकार; 07 पेटेंट प्रदान किए गए	2021-22 में उत्पादन का मूल्य: 5,718 करोड़ रुपये था।

जीआरएसई	युद्धपोत, टैंकर, फ्रिगेट, छोटे जहाज आदि।	उपलब्धियां: गुयाना को जहाज का निर्यात किया गया और वित्त वर्ष 23 के दौरान आईसीजी को फास्ट पेट्रोल वेसल्स (एफपीवी) की सपुर्दगी हुई। आईएन और आईसीजी को 106 युद्धपोतों की आपूर्ति की गई और 02 युद्धपोतों का निर्यात किया गया। पिछले 05 वित्तीय वर्षों में 15 युद्धपोतों की सपुर्दगी की गई और मार्च से दिसंबर 2022 तक06 युद्धपोत लॉन्च किए गए। 'साइलेंट शिप के डिजाइन और विकास' में उत्कृष्टता के लिए 'रक्षा मंत्री पुरस्कार 22' प्राप्त हुआ।	उत्पादन मूल्य: 1949.62 करोड़ रुपये (2022-23 की तीसरी तिमाही तक)
बीडीएल	विभिन्न प्रकार की मिसाइलें - एंटी-टैंक मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सतह से सतह और रणनीतिक मिसाइलें, पानी के नीचे हथियार। रॉकेट और रॉकेट मोटर्स बनाने की योजना है।	स्वदेशीकरण: • मेक-2 के तहत स्वदेशी तीसरी पीढ़ी के एटीजीएम 'अमोघा-III' और मोबाइल ट्रैकर एमुलेटर (एमटीई)। • 1 किलोग्राम / 3.5 किलोग्राम ड्रोन के द्वारा अनिर्देशित बम प्रेषित किए गए। • सभी मिसाइलों के लिए वारहेड, सीकर्स और प्रणोदक का विकास	वर्ष 2021-22 के दौरान कर से पहले लाभ (पीबीटी) 710 करोड़ रुपये था और वर्ष 2022-23 के दौरान (तीसरी तिमाही तक) 276 करोड़ रुपये है। 2023-24 के लिए 3800 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त करने की योजना

		• यूनिफाइड लॉन्चर स्पेयर्स के लिए ग्रीन चैनल प्रमाणन। • बहुत कम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम, अस्ट्रा और एसएएडब्ल्यू के एकीकरण, विभिन्न मिसाइल और लेजर गाइडेड रॉकेट के निर्माण पर समझौता ज्ञापन। • माननीय रक्षा मंत्री ने 75 करोड़ रुपये की लागत से कंचनबाग और भानुर इकाइयों में सीकर एंड वारहेड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। • 84% से अधिक प्रमुख उत्पाद स्वदेशीकृत हैं। • तीन उत्पाद लॉन्च किए गए: क. व्हीकल माउंटेड अमोघा III एटीजीएम (संग्रामिका) ख. लाइट सपोर्ट व्हीकल माउंटेड लेजर बीम राइडिंग मैनपैड (संहारिका)। ग. एमबीटी अर्जुन के के लिए एटीजीएम। • 'मेक इन इंडिया' के तहत विदेशी सहयोग से मिसाइलों का उत्पादन शुरू किया और घरेलू के	है। कुल निष्पादन योग्य निर्यात ऑर्डर 74 मिलियन अमरीकी डालर के हैं।

		साथ-साथ निर्यात व्यवसाय के लिए उत्पादन सुविधा की स्थापना की गई।	
जीएसएल	अपतटीय गश्ती जहाजों में डोमेन विशेषज्ञता	• पिछले 5 वर्षों में आईसीजी को 11 अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) वितरित जो अनुबंध की अवधि से पहले और बिना लागत वृद्धि के प्राप्त किए गए थे। • पिछले 7 वर्षों में 200 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के रक्षा प्लेटफार्मों के सबसे बड़े निर्यातक बने।	पिछले चार वर्षों से कारोबार मामूली रहा है, लेकिन 14,500 करोड़ रुपये से अधिक की ऑर्डर बुक स्थिति के साथ 2024 से हमारे कारोबार में 2,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की वृद्धि होने जा रही है, क्योंकि इन परियोजनाओं को 2027 तक निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है।
एचएसएल	महासागर निगरानी जहाज, डाइविंग समर्थन जहाज, अपतटीय गश्ती जहाज आदि।	महासागर निगरानी जहाज (15000 टी) - भारत में अपनी तरह का अनूठा और पहला जहाज - नौसेना को सुपुर्द किया गया 3 महीने की अवधि के भीतर चार 50 टन बोलार्ड पुल (बीपी) टग सुपुर्द किया गया सितंबर 2022 में साथ-साथ दो डाइविंग समर्थन जहाज की सेवाएँ शुरू की गई (वित्त वर्ष 21-22) में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्यिक जहाजों की मरम्मत	वित्त वर्ष 21-22 में 755 करोड़ रुपये का उत्पादन मूल्य (वीओपी) अब तक का उच्चतम मूल्य (58% वृद्धि के साथ) है। वित्त वर्ष 21-22 में 51 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया (वीओपी का 7%)

		की गई वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 17 वाणिज्यिक जहाजों की मरम्मत की गई।	
बीईएमएल	रेल और मेट्रो उत्पाद, क्रॉलर उपकरण, पहिया उपकरण, बख्तरबंद वाहन, मिसाइलों के लिए रॉकेट मोटर आवरण	• मुंबई मेट्रो लाइन 2 ए और 7 के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित चालक रहित मेट्रो और इसका उद्घाटन जनवरी 2023 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। • स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मरम्मत और वसूली वाहन (एआरआरवी) और मैकेनिकल माइन फील्ड मार्किंग उपकरण (एमएमएमई), जिनका अंतिम परीक्षण किया जा रहा है। • डेफ एक्सपो 2022 के दौरान स्वदेशीकरण के लिए रक्षा सृजन रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। माननीय रक्षा मंत्री ने जुलाई 2022 में आयोजित "एआई इन डिफेंस" कार्यक्रम के दौरान एआई आधारित ऑपरेटर थकान निगरानी प्रणाली शुरू की। • आईपीआर दायर : 346, आईपीआर स्वीकृत : 112 • अनुसंधान एवं विकास विकसित उत्पादों से राजस्व: 88%	परिचालन से राजस्व: 2511 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में तीसरी तिमाही तक) वर्ष 2021-22 में 4337 करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम राजस्व और पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 18% से अधिक की निरंतर वृद्धि हुई है।

मिधानी	अंतरिक्ष, एयरोस्पेस, रक्षा और परमाणु क्षेत्र के लिए सामग्री का विकास और आपूर्ति	• पीटी 1 एम सीमलेस पाइप: **पनडुब्बी** के आयात का विकल्प • **समुद्रायन परियोजना** के लिए टाइटेनियम मिश्र धातु • स्वास्थ्य देखभाल उपकरण के लिए विकसित सामग्री **(अमेरिका का एकाधिकार)** • सुपरनी 625 स्लैब और टाइटेनियम मिश्र धातु शंकु: **निर्यात** • **गगनयान** के लिए सभी सामग्री • **परमाणु रिएक्टरों** के लिए विकसित की गई नई सामग्री • **आयातित कच्चे पदार्थों** का प्रयोग करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास • **आयातित एयरो इंजन** में में प्रयुक्त सभी सामग्रियों के स्वदेशीकरण की दिशा में कार्य करना।	**वीओपी: 2021-22 में 989 करोड़ रुपये**

5.6 समिति की अनुदान मांगों (डीएफजी) 2023-24 पर चर्चा के दौरान एचएएल, बीईएल और जीएसएल द्वारा प्राप्त निम्नलिखित नए अनुबंधों से अवगत कराया गया:

> "एचएएल: लगभग 50,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। 83 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) का एक बड़ा ऑर्डर निष्पादित किया जा रहा है। एलसीएच और एलयूएच कार्यक्रमों के लिए निरंतर आदेश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, 50,000 करोड़ रुपये के अन्य ऑर्डर दिए जा रहे हैं। वे सभी चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं।

बीईएल: लगभग 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं।

जीएसएल: जीएसएल नई पीढ़ी के ओपीवी कार्यक्रम के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है, जिसकी कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।"

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की लाभकारिता

5.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा यथा-प्रस्तुत डीपीएसयू, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान लाभ/हानि दर्ज की है, का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपये में)

डीपीएसयू	2017-18	2018-19	2019-2020	2020-2021	2021-2022
एचएएल	1987	2346	2842	3239	5087
बीईएल	1,399	1,927	1,794	2,065	2,349
बीईएमएल	163.79	130.96	24.06	92.81	205.74
बीडीएल	528	423	535	258	500
जीआरएसई*	127.75	178.96	223.87	207.12	257.24
जीएसएल	217.33	131.52	197.77	127.91	101.09
एचएसएल**	20.99	36.24	13.03	(-) 14.00	50.77
एमडीएल	439.93	517.28	408.48	479.57	586.47
मिधानी	131.26	130.56	159.73	166.29	176.31
कुल	**5015.05**	**5821.52**	**6197.94**	**6635.7**	**9313.62**

* कर से पहले लाभ

** एचएसएल ने वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक मुनाफा दर्ज किया, जो पनडुब्बी रिफिट ऑर्डर की कमी के कारण है, जिसने पनडुब्बी डिवीजन से 43 करोड़ रुपये के अनुमानित योगदान को कम कर दिया। इसके अलावा, अगस्त 2020 में हुई क्रेन दुर्घटना के कारण 22.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन भी प्रभावित हुआ।

रक्षा क्षेत्र में निर्यात और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा निर्यात

5.8 समिति को अवगत कराया गया कि रक्षा निर्यात का मूल्य 2021-22 में 12,845 करोड़ रूपये रहा और वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) के लिए 11,050 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा। इस संबंध में, उप सचिव को निम्नानुसार बताया गया:

"महोदय, भारतीय कंपनियों द्वारा निर्यात निजी कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी अब निर्यात कर रही हैं। वे संवेदनशील सिस्टम को देशों को निर्यात कर रहे हैं और उससे काफी राजस्व भी प्राप्त

कर रहे हैं। वे ऐसा करना जारी रखेंगे। उसके लिए सरकार आवश्यक अनुमति के रूप में पूरा सहयोग करेगी। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी किया जाएगा। इसलिए इन कंपनियों के लिए पैसा लगाने से ज्यादा तकनीक महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी तक पहुंच उन्हें अन्य देशों को अधिक से अधिक सिस्टम निर्यात करने की क्षमता प्रदान करेगी।

जहां तक रक्षा ऑफसेट का संबंध है, अभी तक इसका लाभ डीआरडीओ और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जाता रहा है। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि डीआरडीओ के साथ-साथ अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लाभ हो।"

5.9 समिति को मंत्रालय के लिखित उत्तरों के माध्यम से, डीपीएसयू द्वारा रक्षा निर्यात और आयात के बारे में निम्नलिखित आंकड़ों की सूचना दी गई:

क्रमांक	**रक्षा पीएसयू का नाम**	**वर्ष**	**निर्यात (करोड़ रू. में)**	**आयात (करोड़ रू.में)**
1	एचएएल	2017-18	314	6384
		2018-19	405	7830
		2019-20	212	7265
		2020-21	240	7278
		2021-22	168	6570
2	बीईएल	2017-18	26.30 मिलियन अमरीकी डॉलर	2200
		2018-19	21.60 मिलियन अमरीकी डॉलर	2843
		2019-20	48.59 मिलियन अमरीकी डॉलर	3355
		2020-21	51.93 मिलियन अमरीकी डॉलर	3307
		2021-22	33.30 मिलियन अमरीकी डॉलर	3132
3	बीईएमएल	2017-18	28	602
		2018-19	19	884
		2019-20	62	674
		2020-21	463	600
		2021-22	565	624

4	बीडीएल	2017-18	-	362
		2018-19	66	413
		2019-20	171	257
		2020-21	145	277
		2021-22	3	271
5	मिधानी	2017-18	0.14	112.56
		2018-19	8.05	302.33
		2019-20	10.42	403.67
		2020-21	19.42	231.59
		2021-22	87.02	308.33
6	जीआरएसई	2017-18	3.89	132
		2018-19	4.55	80
		2019-20	1.01	99
		2020-21	87.49	79
		2021-22	60.94	195
7	जीएसएल	2017-18	607.19	86.40
		2018-19	14.54	221.01
		2019-20	0.87	182.49
		2020-21	0.33	82.06
		2021-22	1.10	42.04
8	एचएसएल	2017-18	-	113.58
		2018-19	-	147.35
		2019-20	-	183
		2020-21	-	103
		2021-22	3.27	194.81
9	एमडीएल	2017-18	शन्य	1733
		2018-19	शून्य	1554
		2019-20	0.11	1503.44
		2020-21	शून्य	1364.90
		2021-22	2.15	1684.21

<u>स्वदेशीकरण के प्रयास</u>

5.10 बैठक के दौरान इस विषय पर समिति को सूचित किया गया कि मंत्रालय ने चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है जिसमें 411 मद शामिल हैं जो केवल भारतीय स्रोतों से प्राप्त की जाएंगी। इसके अलावा, रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ने 3,738 मदों वाली तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिन्हें निर्धारित समय-सीमा के बाद भारतीय कंपनियों से खरीदा जाना है। उक्त स्वदेशीकरण सूचियों में अंतर के बारे में पूछे जाने पर, संयुक्त सचिव (डीआईपी) ने इसे निम्नानुसार स्पष्ट किया:

> "पहली चार डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने नोटिफाई की थीं, जो प्लेटफार्म्स और वीपन सिस्टम को इन्कलूड करती हैं, अगेंस्ट पर्टिकुलर डिफाइन टाइमलाइन जिनको कंट्री में मैन्युफैक्चर करना है और इम्पोर्ट खत्म करना है।
>
> जहां तक तीन पोजिटिव इंडीजिनाइजेशन लिस्ट की बात है, डीपीएसयूज़ के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने नोटिफाई किया है। इसमें जो आइटम्स हैं, वे सब-सिस्टम्स एलआरयूज़ लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और पार्ट्स एंड कम्पोनेंट्स हैं।"

5.11 एक लिखित उत्तर में, मंत्रालय ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए विदेशी स्रोतों के माध्यम से पूंजीगत खरीद (करोड़ रुपये में) के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं:-

<u>वर्ष</u>	**<u>कुल खरीद</u>**	**<u>विदेशी विक्रेताओं से खरीद</u>**
2017-18	72,732.21	29,035.42
2018-19	75,913.06	36,957.06
2019-20	91,004.94	38,156.83
2020-21	1,18,860.52	42,786.54
2021-22	1,13,511.11	40,325.09

5.12 जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा गया है, 2021-22 में स्वदेशी और विदेशी स्रोतों के माध्यम से कुल पूंजीगत खरीद 1,13,511.11 करोड़ रू. थी जिसमें विदेशी वेंडरों से 40,325.09 करोड़ रु. रुपये की खरीद शामिल है। इस संदर्भ में, समिति ने यह पूछा कि क्या उक्त सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के माध्यम से 2761 मदों के स्वदेशीकरण के फलस्वरूप अब तक हुई 2700 करोड़ रुपये की उपलब्धि को पर्याप्त माना जा सकता है।

इसके उत्तर में, संयुक्त सचिव (डीआईपी) ने निम्नानुसार बताया:

"जहां तक आपने वैल्यू की बात कही, वह पार्ट्स एंड कम्पोनेंट वाला पार्ट है, इसीलिए यह वैल्यु इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है और एमएसएमई लैवल पर उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है। आपने टोटल इम्पोर्ट वैल्यु में सृजन पोर्टल में जिस तरह से बताया गया है कि 26,000 आइटम से ज्यादा लिस्टेड हैं जो इंडस्ट्री को ऑफर किए गए हैं। इसकी टोटल इम्पोर्ट वैल्यु 82,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।"

5.13 समिति को मंत्रालय के लिखित उत्तर के माध्यम से डीपीएसयू द्वारा रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण के लिए किए गए /विचारित निम्नलिखित कदमों के बारे में सूचित किया गया है:

1) भारत सरकार ने एक उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से मार्च 2019 में 'रक्षा प्लेटफार्मों में उपयोग किए जाने वाले घटकों और पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए नीति' अधिसूचित की है जो आयातित घटकों (मिश्र और विशेष सामग्री सहित) और रक्षा उपकरण के लिए उप-घटक को स्वदेशी बनाने और भारत में निर्मित मंच और घटकों के निर्यात बाजार को बनाने के लिए उक्त क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम है ।

2) 'आत्मनिर्भर भारत' की घोषणा के अनुसार, रक्षा मंत्रालय/भारत सरकार के तहत रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ने 'सृजन' (srijandefence.gov.in) नाम से एक पोर्टल विकसित किया है, जिसे अगस्त 2020 में "रक्षा में मेक इन इंडिया के अवसर" के रूप में विकसित किया गया है। में। सृजन पोर्टल सभी सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) और सशस्त्र बलों (एसएचक्यू) के लिए एक सामान्य स्वदेशीकरण पोर्टल है। यह भारतीय विनिर्माण उद्योग को उन वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है जिन्हें डीपीएसयू/एसएचक्यू द्वारा अतीत में आयात किया गया है या भविष्य में आयात किए जाने की संभावना है। पोर्टल एक गैर-लेन-देन वाला ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है। 22.11.2022 तक, सृजन पोर्टल पर सार्वजनिक दृश्य के लिए 24370 आइटम उपलब्ध हैं और अब तक 5353 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

3) तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां (पीआईएल) पहले ही रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी), रक्षा मंत्रालय द्वारा एक समय सीमा के साथ अधिसूचित की जा चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदा जाएगा। इन तीन सूचियों में कुल 3738 वस्तुएं हैं, जिनमें से अब तक 2735 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। इन मदों का विवरण इस प्रकार है-

(क) पहली जनहित याचिका जिसे 27 दिसंबर,21 को अधिसूचित किया गया था, में 2851 आइटम शामिल हैं, जिनमें से 2500 आइटम पहले ही स्वदेशी हो चुके हैं और 351 उप-प्रणालियों/घटकों को दिसंबर,22 से दिसंबर,24 की समय-सीमा के भीतर स्वदेशी बनाया जाना है। 351 मदों के स्वदेशीकरण के लिए, 228 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है और शेष मदों पर प्रक्रिया चल रही है।

(ख) दूसरी पीआईएल 28 मार्च,22 को अधिसूचित की गई थी। इसमें 107 प्रमुख एलआरयू/उप-प्रणालियां/घटक शामिल हैं, जिन्हें दिसंबर,22 से दिसंबर,28 की समय-सीमा के भीतर स्वदेशी बनाया जाना है। 107 मदों के स्वदेशीकरण के लिए, 7 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है और शेष मदों पर प्रक्रिया चल रही है।

(ग) तीसरी जनहित याचिका 28 अगस्त,22 को अधिसूचित की गई है। इसमें 780 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (एसआरयू)/सब-सिस्टम्स/घटक शामिल हैं, जिनकी स्वदेशीकरण समय-सीमा दिसंबर23 से दिसंबर,28 तक है।

4) 7 अक्तूबर,2022 को डीडीपी ने 72 स्वदेश में अंतिम रूप प्रदान की गई स्वदेशीकरण मदों (पीआईएल -1: 67 और पीआईएल-2:5) की संशोधित समय-सीमा को अधिसूचित किया जिनका डीपीएसयू द्वारा दिसम्बर 2023, दिसम्बर, 2024 और दिसम्बर 2025 की मूल स्वदेशीकरण समय-सीमा के बहुत पहले स्वदेशीकरण किया जा चुका है। अब इन मदों को केवल भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा और इस प्रकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों सहित घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

5) सैन्य कार्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स-डीएमए), रक्षा मंत्रालय ने चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां, 21 अगस्त, 2020 को 101 वस्तुओं की पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, 31 मई, 21 को 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, 7 अप्रैल, 22 को 101 वस्तुओं की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची और 19 अक्तूबर, 22 को 101 की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची भी अधिसूचित की है जिसके अनुसार उस समय-सीमा के बाद घरेलू उद्योग से वस्तुओं की खरीद की जाएगी।

6) 11 मार्च, 222 को रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपायों के अंतर्गत उद्योग के नेतृत्व वाले डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफार्मों की घोषणा की गई है: (मेक-I, मेक-II, आईडीईएक्स, एसपीवी)

7) सृजन पोर्टल पर एक उपयोगकर्ता के अनुकूल 'डैशबोर्ड' सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। यह एक ऐसा मंच है जिसे उद्योग द्वारा रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए संपर्क किया जा सकता है। यह रक्षा क्षेत्र में सुगमता से व्यापार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डैशबोर्ड की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- उपलब्धता: उद्योग/विक्रेता होम पेज पर पीआईएल वस्तु तक पहुंच सकते हैं।
- निगरानी:डीडीपी/डीपीएसयू द्वारा स्वदेशीकरण चरणों की स्तरीय निगरानी।
- विश्लेषिकी: डेटा, समय/देरी सम्बन्धी चरण-वार आदि का ग्राफिकल वर्णन
- रिपोर्ट: विभिन्न फ़िल्टर के साथ 'कस्टमाइजड रिपोर्ट' के लिए प्रावधान

<u>रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए समान अवसर</u>

5.14 रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान किए जाने के बारे में पूछे जाने पर रक्षा सचिव ने निम्नानुसार बताया:

"सर, डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, आज सबसे पहले पीएसयूज को ही मिल रहा है। इसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री भी आगे आता है तो हम देने के लिए तैयार हैं।"

<u>सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में अनुसंधान और विकास से जुड़ा ढांचा</u>

5.15 साक्ष्य के दौरान रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में निजी कंपनियों और शिक्षा क्षेत्रों से सहायता के बारे में पूछे जाने पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड(एचएएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने निम्नानुसार बताया:

".. अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में हमने पहले ही वार्षिक आधार पर अपने लाभ की 15 प्रतिशत धनराशि अनुसंधान एवं विकास(आर एंड डी) निधि के लिए प्रयोग करने हेतु समर्पित कर दी है ताकि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जा सके और इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में हमने जो प्रयास किए हैं, उनसे केवल स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और

अनेक विकसित उत्पादों प्राप्त हुए हैं। हमारे पास आज लगभग विनिर्माण की पांच क़िस्में हैं जो हमारे सभी स्वदेश(इन-हाउस)निर्मित डिजाइन और विकसित कार्यक्रम हैं।“

<u>सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा उत्पादों/उपकरणों/प्लेटफार्मों का कार्य-निष्पादन एवं सुपुर्दगी</u>

5.16 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमके-1 की सुपुर्दगी की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सीएमडी ने निम्नवत बताया:

".. 83 एलसीए एमके-1 का अनुबंध है। विमानों को सुपुर्द करने की एक समय-सीमा है जिसका विवरण दिया गया है। हम विमानों को सुपुर्द करने की समय-सीमा को पूरा करने में सक्षम होंगे। विमानों को सुपुर्द करने की समय-सीमा जिस पर सहमति बनी है, उसके अनुसार हम विमान को सुपुर्द करने में सक्षम होंगे।"

5.17 इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान समिति ने तेजस परियोजना की सुपुर्दगी में विलंब का मुद्दा उठाया। इस संबंध में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सीएमडी ने निम्नवत बताया:

".. तेजस एक ऐसी परियोजना है जिसे डीआरडीओ और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा डिजाइन किया गया है, जहां एचएएल भी इससे जुड़ा हुआ है। हां, इसमें कुछ विलंब हुआ है क्योंकि यह कार्यक्रम कुछ समय व्यतीत होने के बाद शुरू किया गया है। इसके कारण, कुछ विलंब हुआ है। लेकिन अब, तेजस से हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर भविष्य के डिजाइन और विकास कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ेंगे।"

5.18 चर्चा के दौरान, रक्षा सचिव ने पूरक प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर दिया:

".. वास्तव में, हमें बड़ी कठिनाई के साथ अपने बूते सब कुछ विकसित करना पड़ा। वास्तव में, 1998 के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण कई प्रौद्योगिकियों तक हमारी पहुंच हो नहीं पाई। इसलिए, एक तरह से भारतीय वैज्ञानिकों, डीआरडीओ और एडीए के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। हां, देरी हुई थी। यह विलंब विशेष रूप से एचएएल के कारण नहीं हुई थी। विभिन्न स्तरों पर देरी हुई। माननीय समिति उन सभी विलंबों और कारणों से अवगत है। उन सभी की पूरी विकास प्रक्रिया में उनकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं थी। जहां तक विनिर्माण का संबंध है, निसंदेह, उन्होंने असेंबली लाइन स्थापित की है और वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुपुर्दगी करने में सक्षम होंगे। भविष्य में यदि कोई आर्डर दिया जाता है, तो वे असेंबली लाइन का विस्तार करेंगे और वे वायु सेना की आवश्यकता के अनुरूप विमानों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे।

क्षमताओं के संबंध में, तेजस अपने विमानों की श्रेणी में सबसे अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्य देशों की भी इसमें रुचि है..."

5.19 क्या तेजस अत्याधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा, यह पूछे जाने पर एचएएल के सीएमडी ने निम्नानुसार बताया:

"महोदय, इस विमान को सभी नवीनतम तकनीकों के साथ उन्नत बनाया गया है, यद्यपि यह चौथी पीढ़ी का विमान है। आज, पांचवीं पीढ़ी के बहुत कम विमान हैं। हम उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) कार्यक्रम में भी शामिल हैं जो पांचवीं पीढ़ी का है, जिसे हम विकसित करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में इस विमान को वे सभी उन्नत प्रणालियां मिली हैं जिन्हें विकसित किया गया है। इसलिए, यह अपनी भूमिका निभाने में बेहद सक्षम है।"

<u>सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के ऑर्डर बुक की स्थिति</u>

5.20 पांच वर्षों (2022-23 के बाद) में डीपीएसयू की ऑर्डर बुक की स्थिति मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों_का नाम	वर्ष	ऑर्डर बुक की स्थिति (करोड़ में)
1	एचएएल	2022-23	26156
		2023-24	28717
		2024-25	31328
		2025-26	34174
		2026-27	36050
2	बीईएल	2022-23	61372
		2023-24	66494
		2024-25	73210
		2025-26	81840
		2026-27	92764
3	बीईएमएल	2022-23	9500
		2023-24	11000
		2024-25	12500
		2025-26	14000
		2026-27	16000

4	बीडीएल	2022-23	320
		2023-24	940
		2024-25	3585
		2025-26	8080
		2026-27	9940
5	एमआईडीएचएएनआई	2022-23	990
		2023-24	990
		2024-25	970
		2025-26	1075
		2026-27	1190
6	जीआरएसई	2022-23	3500
		2023-24	इस अवधि के दौरान 6500 करोड़ रुपए
		2024-25	
		2025-26	
		2026-27	
7	जीएसएल	2023-24	20861
		2024-25	15889
		2025-26	15318
		2026-27	57863
		2027-28	49295
8	एचएसएल	2022-23	1640
		2023-24	1880
		2024-25	3261
		2025-26	3600
		2026-27	3500
9	जीआईएल	2023-24	131.5
		2024-25	89.66
		2025-26	55.31
		2026-27	3.72
		2027-28	-
10	आइओएल	2023-24	2004.98
		2024-25	2255.79
		2025-26	1636.07

		2026-27	16.96
		2027-28	8.39
11	टीसीएल	2023-24	88.89
		2024-25	17.94
		2025-26	2.37
		2026-27	-
		2027-28	-
12	वाईआईएल	2022-23	2350
		2023-24	700
		2024-25	-
		2025-26	-
		2026-27	-
13	एमडीएल	2022-23	38220.00
		2023-24	30160.00
		2024-25	18617.52
		2025-26	10119.02
		2026-27	-
13	एमआईएल	2022-23	22,688
		2023-24	6788.81
		2024-25	4573.12
		2025-26	4828.92
		2026-27	-

<u>डीपीएसयू के समक्ष चुनौतियां</u>

5.21 समिति को रक्षा मंत्रालय के लिखित अभिवेदन के माध्यम से जानकारी मिली है कि कई डीपीएसयू को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ है। इन्हें निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

<u>डीपीएसयू</u>	**उनके समक्ष आ रही चुनौतियां**
एचएएल	सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी: महामारी के कारण सेमी-कंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ गई मदों की उपलब्धता न होने के कारण एचएएल को कुछ मामलों में सेमी-कंडक्टर चिप्स की कमी का

	सामना करना पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां भारत से बाहर औद्योगिक समुद्री गैस टर्बाइन इंजनों (काफी मात्रा में) की ओवरहालिंग की अनुमति दे रही हैं, जबकि भारत के लिए एचएएल में विशेष सुविधा विकसित की गई है। सेवाओं की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऑर्डर/मरम्मत और ओवरहाल कार्यों के स्थापन (प्लेसमेंट) में तेजी लाना, जिसके लिए एचएएल में पहले से ही उत्पादन अवसंरचना मौजूद है।
एचएसएल	एचएसएल को इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण 22 फरवरी 2010 को जहाजरानी मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। एचएसएल कई पुराने मुद्दों का सामना कर रहा है जैसे संचित घाटा, नेगेटिव नेटवर्थ और आकस्मिक देयताएं । वर्ष 2010 में रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात वर्ष 2011 में एचएसएल का वित्तीय पुनर्गठन किया गया था।
एमडीएल	महाराष्ट्र राज्य बिक्री कर विभाग के पास लागत एवं अनुबंधों के तहत जहाजों की बिक्री पर, बिक्री कर से संबंधित एक मुद्दा काफी समय से लंबित है। एमडीएल ने बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट, 1956 (बीएसटी एक्ट) और महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2002 (एमवीएटी एक्ट) के तहत महाराष्ट्र सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल (एमएसटीटी) में अपील दर्ज की है। वर्ष 1980-81 से 1982-83 और 1992-93 से 2012-13 के संबंध में कुल 99721 करोड़ रुपये की कर मांग की गई है। नौसेना ने एमडीएल द्वारा मांगे गए कुल 1.68 करोड़ रुपये के आंशिक भुगतान की प्रतिपूर्ति कर दी है। महाराष्ट्र सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 19 जुलाई 2010 को अपीलों के अंतिम निपटारे तक वसूली कार्यवाही पर स्थायी रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने अब इन मामलों की सुनवाई करेगा। पहली सुनवाई 09 दिसंबर 22 को निर्धारित की गई थी जिसे स्थगित कर दिया गया है तथा सुनवाई की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। एमएसटीटी द्वारा कर मांगों की पुष्टि करने की स्थिति में, वसूली कार्यवाही शुरू होने का खतरा है क्योंकि कर मांगों की वसूली से आगे रोक संभव नहीं हो सकती है, भले ही एमडीएल, बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आगे बढ़े। वित्त वर्ष 2022-23 में अपेक्षित निधियों के आवंटन के लिए नौसेना से अनुरोध किया गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 में मांग की संभावना है और एमडीएल को वित्त वर्ष 2023-24 में धन के अपेक्षित आवंटन की आवश्यकता होगी।

<u>रक्षा स्टार्ट-अप</u>

5.22 साक्ष्य के दौरान, समिति को एचएएल के सीएमडी द्वारा देश में एमएसएमई के साथ समन्वय के लिए किए गए निम्नलिखित उपायों के बारे में सूचित किया गया था:

> "उन्होंने कहा, 'जहां तक स्टार्ट-अप का सवाल है, हमने अपने लाभ का तीन प्रतिशत स्टार्ट-अप प्रणाली के विकास के लिए समर्पित किया है क्योंकि हमने महसूस किया है कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों में, स्टार्ट-अप का बहुत महत्व होगा। वास्तव में, सीएटीएस नामक हमारे एक कार्यक्रम में, जहां मानव रहित और मानवयुक्त प्रणालियों को एक साथ लाया जा रहा है, हमने स्टार्ट-अप को बड़े पैमाने पर शामिल किया है। हम उन्हें वित्त पोषित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम स्टार्ट-अप को भी जोड़ रहे हैं।"

अध्याय - छह

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

समिति को यह पता चला है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण और कार्यान्वयन का अधिदेश प्राप्त है। विभाग में दो प्रभाग हैं अर्थात्, पेंशन और पुनर्व्यवस्थापन प्रभाग। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का पेंशन प्रभाग सशस्त्र बल कार्मिकों की पेंशन नीतियों और भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण का कार्य करता है जबकि पुनर्व्यवस्थापन प्रभाग शेष मामलों को देखता है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तीन संबद्ध कार्यालय हैं, अर्थात् केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय (केएसबी सेक्ट), पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय (डीजीआर) और केंद्रीय संगठन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना सीओ, ईसीएचएस)।

6.2 पुनर्वास महानिदेशालय सेवानिवृत्ति के पूर्व और उसके पश्चात् प्रशिक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के पुन: नियोजन और स्व-रोजगार के लिए विभिन्न नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय के कार्य में पांच पुनर्वास महानिदेशालय क्षेत्र जो उधमपुर, चण्डीमंदिर, लखनऊ, कोलकाता और पुणे में सेना कमान मुख्यालयों के साथ स्थित हैं, सहायता करते हैं।

<u>पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) की भूमिका</u>

6.3 समिति को 2023-2024 की अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान भूतपूर्व सैनिक कल्याण महानिदेशालय और उसके अधीनस्थ संगठनों के विभिन्न कार्यों तथा उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शुरू किए गए विभिन्न योजनाओं और कल्याण कार्यकलापों के बारे में यह बताया गया कि:

> "फंक्शन्स ऑफ केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सैक्रेटेरियट में सरकार जो पॉलिसी बनाती है और स्कीम्स चलाती है, उसकी स्क्रूटनी करके ऑनलाइन माध्यम से इम्पलीमेंट की जाती हैं। 34 राज्य सैनिक बोर्ड और 409 जिला सैनिक बोर्ड हैं। इसकी मेन फंडिंग सोर्स आर्म्ड फोर्सिस फ्लैग डे फंड है। यह नॉन पब्लिक फंड है, बल्कि सिटीजन्स और कार्पोरेट की कंट्रीब्यूशन से चलता है, जब भी कम पड़ता है तो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से बजट प्रोवीजन के हिसाब से डालते रहते हैं। हम स्टेट की एस्टाबलिशमेंट कॉस्ट भी भरते रहते हैं, स्पेशल स्टेट्स को 75 परसेंट देते हैं और 60 परसेंट नॉन स्पेशल स्टेट्स को देते हैं।
>
> नेपाल में करीब 90,000 एक्स सर्विसमैन हैं तो इंडियन आर्मी में काम करके वहां सैटल होते हैं, नेपाल गोरखा सैनिक बोर्ड एम्बेसेडर के नेतृत्व में गठित है। पेंशन और

ईसीएचएस का काम देखते हैं और इसकी एस्टाबलिशमेंट कॉस्ट केंद्रीय सैनिक बोर्ड के थ्रू वितरित की जाती है। पेरा प्लेजिक रिहेबिलिटेशन सैंटर किरकी और मोहाली में हैं।

बेनिफशरीज़ एवरेज में 30,000 के करीब हैं। 13 फ्लैग्शिप योजनाएं हैं। इन सबमें मिलाकर 70-80 करोड़ इश्यू होते हैं। हमने पिछले साल काफी बैकलॉग क्लियर किया है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम स्पेशल नेशनल डैवलपमेंट फंड में पीएम ऑफिस की तरफ से मैनेज होता है। इसकी एग्जीक्यूटिव आर्म केंद्रीय सैनिक बोर्ड है। यह नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन मांगते हैं और स्क्रुटनी करते हैं। यह बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सिस के लिए है। इसमें लड़कों को 30,000 और लड़कियों को 36,000 रुपये मिलते हैं।

रिसैटलमेंट में काफी स्कीम्स भी सम्मिलित हैं और इसमें स्टेटुएटरी रिजर्वेशन को भी मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ एन्टरप्रियोनरल स्कीम्स भी चलाते हैं। आजकल काफी आईआईएम और सरकारी इंस्टीट्यूट्स में प्री रिटायरमेंट कोर्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। रिजर्वेशन ग्रुप सी में दस परसेंट है और पीएसयू में ज्यादा है।

हमारे ज्यादातर लोग पीएसयूज बैंक में ही ऑब्जर्व होते रहते हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्स और सीएपीएफ में अप टू 10 परसेंट है। ग्रुप-ए असिस्टेंट कमांडडेंट तक है। हमारे डिफेंस सिक्योरिटी कोर में हंड्रेड परसेंट है, क्योंकि वह डिफेंस मिनिस्ट्री के खुद का एक सेपरेट कोर है। कॉरपोरेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आमेजन, फ्लिपकार्ट आदि से एमओयू करके रिसेटेलमेंट और जॉब्स डीजीआर के माध्यम से हमारे फौजी भाई लोग जाते रहते हैं। हमारा सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट स्कीम काफी सक्सेसफुल रहा है।

इस स्लाइड में मदर डेयरी बूथ्स और बाकी सब सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम्स हैं। इसमें भी करीब-करीब 32000 से 34000 लोग सिक्योरिटी स्कीम में ही एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा और 10 छोटी-छोटी स्कीम्स हैं। उसमें स्पांसर्ड प्लेसमेंट पर डीजीआर डायरेक्टोरेट, डायरेक्टली नेक्सट बेस्ट आता है।"

6.4 महानिदेशालय से यह पूछे जाने पर कि भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय में किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं और क्या उनके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है यह बताया गया कि:

" पहला प्रश्न पुनर्वास महानिदेशालय में अधिकारियों और अन्य के प्रवेश के संबंध में है। सभी इसमें प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। सभी को इसका अंग बनने की अनुमति है। हमारी अपनी आनलाईन वेबसाईट है जिसके द्वारा वह आनलाईन रजिस्टर कर सकते हैं और वे घर से भी कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सुरक्षा एजेंसी का इम्पेनलमेंट करते हैं तो हमें देखना होता है कि कोई स्थायी

अधिकारी है अथवा नहीं तो उसे हमारे समक्ष अपने आय कर आदि दस्तावेज को डाउनलोड करना होता है और तभी हम उनकी भौतिक उपस्थिति की मांग करते हैं। हमारे माननीय सचिव के निदेशों के बाद से हमने जेसीओ/ओआर के लिए भी आनलाईन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया है। पोर्टल उपलब्ध है। यह न केवल उनकी शिकायतों से ही संबंधित नहीं है अपितु सूचना संबंधी कार्यकलापों से भी संबंधित है। वह यह आनलाईन कर सकता है। उसकी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । परंतु दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आ सकते हैं। कोई भी शामिल हो सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कतिपय श्रेणियों को अनुमति नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी से बाहर के सैनिक हमारे यहां रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। अन्यथा कोई भी हमारे यहां रजिस्टर करवा सकता है, जिसमें सभी अधिकारी, और विधवा भी शामिल हैं।

..... पांच बाहरी कार्यालय हैं जो सेना के प्रत्येक सैन्य कमान के साथ स्थित हैं। उत्तर की निगरानी उधमपुर , पश्चिम की निगरानी चण्डीगढ़, दक्षिण की निगरानी पुणे, केन्द्रीय क्षेत्र की निगरानी लखनऊ और पूर्व की निगरानी कोलकाता से होती है। इसलिए, वे (ई एस एम) निकट के कार्यालयों में पहुंच सकते हैं। प्रत्येक को कतिपय राज्य दिए गए हैं जहां वे उनके संपर्क में भी रहते हैं। अन्यथा, केएसबी या आरएसबी या जेडएसबी भी ऐसे अनुरोधों को देखता है।"

बजट उपयोग

6.5 रक्षा मंत्रालय ने समिति के समक्ष अपने पावर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण के दौरान भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में बजट उपयोग का निम्नलिखित ब्यौरा दिया:-

	2021-22 (करोड़ रू. में)			2022-23 (करोड़ रू. में)			2023-24 (करोड़ रू. में)
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन / एमए	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन आबंटन
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	6.86	9	6	9	9	6.96	9

पेंशन	**1,15,850**	**1,16,878**	**1,13,134.48 (मार्च 2022 से पूर्व)**	**119696**	**153414.49**	**98,214 दिसंबर 2022 तक)**	**1,38,205**
पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय	**6.80**	**6.80**	**6.77**	**20.00**	**29.49**	**14.22**	**33.80**
सीओ, ईसीएचएस	**3,332.51**	**4,870.74**	**4542.28**	**4,582.51**	**5,429.07**	**4,832.05**	**5,431.56**
केएसबी सचिवालय	**100**	**420**	**420**	**150.00**	**350.25**	**143.72**	**304.30**

6.6 अनुदानों की मांगों 2023-2024 की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान, संयुक्त सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को बजटीय आवंटन के बारे में यह बताया कि :

"बजट यूटिलाइजेशन में पिछले दो-तीन साल का स्टैंडिंग कमेटी का अनुग्रह था, इसमें काफी बजट की बाधाएं दूर हो गई हैं। पहले कम बजट मिलता था, पिछले तीन-चार साल में ईसीएचएस में 5400 करोड़ रुपये मिलने लग गए। पेंशन में कभी प्राब्लम नहीं थी, कभी 1 लाख 20 हजार करोड़ इधर-उधर चलता रहता है। इस बार वन रैंक वन पेंशन की दूसरी रिवीजन सीजीडीए साहब एफएडीएस मैडम के सहयोग से शुरू कर दी है और करीब आठ लाख लोगों को पेंशन का वितरण हो गया है।

डीजीआर के बेसिकली रिसैटलमेंट कोर्सिस में 20-30 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है और यह मिल जाते हैं। ईसीएचएस में काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड में पहले जो बैकलॉग रह गया है, पिछले साल में एक बुलेट पेमेंट 390 करोड़ रुपये मिलने के कारण काफी बैकलॉग क्लियर हो गया है, कुल मिलाकर प्रेजेंट में कोई बाधा नहीं है।

6.7 मंत्रालय ने एक लिखित निवेदन में यह बताया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड और पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय को कल्याण और पुनर्व्यवस्थापन के लिए आबंटित रक्षा सेवा प्राक्कलन से बजट का ब्यौरा निम्नलिखित है:

केएसबी

वित्तीय वर्ष	अनुमान (करोड़ रू. में)	आबंटन (करोड़ रू. में)	व्यय (करोड़ रू. में)
2018-19	172.41	62.88	61.59
2019-20	266.39	53.27	53.27
2020-21	302.93	234.08	234.08
2021-22	486.79	420.00	420.00
2022-23	350.25	150.00	143.70 (09.01.2023 की स्थिति के अनुसार)
2023-24	304.30	-	-

डीजीआर

वित्तीय वर्ष	अनुमान (करोड़ रू. में)	आबंटन (करोड़ रू. में)	व्यय (करोड़ रू. में)
2018-19	16.00	14.04	13.94
2019-20	15.50	15.50	15.49
2020-21	8.78	6.58	6.55
2021-22	6.80	6.80	6.77
2022-23	20.00	29.49	14.22 (19 जनवरी, 2022 तक)
2023-24	33.80		

6.8 बजटीय पहलू पर चर्चा के दौरान, समिति ने वर्ष 2022-2023 की तुलना में वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में केएसबी द्वारा अपेक्षाकृत अधिक व्यय के कारण जानना चाहा। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि विगत कुछ वित्तीय वर्षों में केएसबी के लिए प्राक्कलित और आवंटित धनराशि के बीच असमानता के क्या कारण हैं। इसके उत्तर में, सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) ने बताया कि:

> "सर, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, इसका पहले केवल पब्लिक कंट्रीब्यूटरी फंड ही सोर्स होता था। इसमें हम जो मदद देते हैं, वह केवल हवलदार लेवल तक के लोगों को ही देते हैं, जो अदर रैंक पर जूनियर हैं। यह ज्यादातर उन लोगों को मिलता है, जिनको पेंशन नहीं मिलती थी। यह थोड़ी वेलफेयर ओरिएंटेड है। क्योंकि जिनको पेंशन मिलती है, उनकी दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। जिनकी ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम होती थी, जिनको किसी कारण से पहले पेंशन नहीं मिलता था, उसके लिए था। यह कंट्रीब्यूटरी फंड से होता था। चूंकि लोग इसको ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करते हैं। लोगों की एप्लीकेशन से डिमांड जेनरेट होती थी, लेकिन पैसे कंट्रीब्यूट नहीं होते थे, जिसके कारण यह पेंडिंग रह जाती थी। पिछले दो सालों में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में जितनी पेंडिंग्स थीं, वे सारी डिमांड जेनरेट हो रही थीं। दो-तीन साल के लोगों के एप्लीकेशन, जो

उनके वेलफेयर मेजर के रह गए थे, जो पूरे नहीं हो सके थे, उसको सरकार ने अपने बजट से पैसा देकर पूरा कर दिया। अब इस साल पेंडेंसी नहीं है। कम कंट्रीब्यूशन से भी काम चल रहा है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की यही स्थिति है।"

6.9 साक्ष्य के दौरान, समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित प्राक्कलन चरण पर 29.49 करोड़ रूपए की आबंटित धनराशि में से 19.1.2023 तक पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा 14.22 करोड़ रूपए के व्यय का उल्लेख किया। इस संदर्भ में, महानिदेशालय ने बताया कि:

"सर, आपका प्रश्न यह है कि हमें एलॉट साढ़े 29 करोड़ रुपये हुए हैं और अभी हम 14 करोड़ पर हैं। जैसा हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि पूरे साल हमारे ऑफिसर्स और जेसीओज़ की ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे-जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद उस इंस्टिटयूट से बिल जनरेट होते हैं जैसे आज ही दो प्रोग्राम्स खत्म हो रहे हैं। एक आईआईएफटी, दिल्ली में खत्म हो रहा है और एक NIESBUD, नोएडा में जेसीओज़ का खत्म हो रहा है। मैं आज भी सुबह आने पहले तीन करोड़ रुपये तक के पुराने बिल क्लियर करके आया हूँ। चूँकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही बिल जनरेट हो सकता है कि कितने जवानों ने कोर्स किया, कितना खर्चा आया। इस तरीके के अगर आप हर साल का देखेंगे तो वर्ष 2021-22 में देखेंगे तो 6.8 करोड़ का एलोकेशन था और हमने 6.77 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे। हम 31 मार्च से पहले इन बिल्स को क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे कि यहां पर जो एक्चुअल एक्सपेंडीचर दिखा रहा है, वह एक्चुअल एक्सपेंडीचर है, जो हम खर्च कर चुके हैं। जैसे ही हमारे बिल पीसीडीए में सबमिट हो जाएंगे, वैसे ही हम उनको इसमें दिखाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमारा खर्चा कंप्लीट हो जाता है।"

6.10 इस विषय़ पर चर्चा के दौरान, समिति ने रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न निधि का ब्यौरा मांगा जिसमें से सहायता सशस्त्र बलों में विभिन्न लाभानुभोगियों को दी जाती है जिसके लिए अंशदान आम जनता से प्राप्त होता है। उन्होंने ऐसी निधि के लिए मानीटरिंग तंत्र और चेक आदि जैसे परंपरागत माध्यमों के अलावा विभिन्न भुगतान माध्यम के माध्यम से इन निधि में अंशदान करने के लिए आम जनता / दानदाता को समर्थ बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानना चाहा:

"जो कैन्द्रीय सैनिक बोर्ड है, जैसे आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे पर काफी कलेक्शन ड्राइव होता है। उसमें जनता भी कंट्रिब्यूट करती है। अब एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। हमने कुछ वीडियो बनाकर डाले थे, उससे लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की है। अब देश भर से लोग उसमें छोटे-छोटे ऑनलाइन कंट्रिब्यूशन कर रहे हैं। फ्लैग डे तो 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन कंट्रिब्यूशन साल भर चलता रहता है। इसमें जो कंट्रिब्यूशन होता है, वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंदर भी परमीटेड है। उसका जो खर्चा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी के लिए अलाऊ कर दिया

है कि वे अपना खर्चा ट्रीट कर सकते हैं। हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए कॉन्क्लेव करते हैं। अभी हमने दिल्ली में किया था, जिसमें प्राइवेट कंपनियों के बड़े-बड़े लोग आते हैं, वे कंट्रिब्यूट कर सकते हैं। उन्होंने बड़े-बड़े अमाउंट्स भी कंट्रिब्यूट करना शुरू किया है। हमने बेंगलुरु में भी सीएसआर की एक्टिविटी की थी, जो सॉफ्टवेयर्स कंपनी हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप देश के लिए कुछ करिए। देश के लिए जिन लोगों ने अपना वर्तमान और भविष्य दिया है, ताकि उनके आश्रितों की कुछ मदद की जा सके। इस तरह से कर रहे हैं। उसका ऑडिट होता है। जो केन्द्रीय सैनिक बोर्ड है, वह सीएंडएजी के ऑडिट में आता है। रक्षा मंत्रालय का जो सिस्टम है, क्योंकि रक्षा मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। मैं खुद उसकी निगरानी करता हूं। बेसिकली इसके पैसे केवल नेक कामों के लिए ही खर्च होते हैं। जैसे पैन्यूरी ग्रांट है, एजूकेशन ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है, पूर्व सैनिक ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जिला सैनिक बोर्ड वाले उसको वैरिफाई करते हैं। ये हमारे यहां का पूर्व सैनिक है, उसकी आर्थिक स्थिति वाकई खराब है। उनकी वेटिंग होती है, फिर सारा पेमेंट ऑनलाइन उनके अकाउंट में जाता है। कहीं किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है।"

<u>भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन के नए अवसर</u>

6.11 मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन के नए अवसरों के लिए की जा रही नई पहलों के बारे में निम्नलिखित सूचना दी :

1. **स्वरोजगार (कार्पोरेट पहल)**: डीजीआर कार्यालय भूतपूर्व सैनिकों के कौशल के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुनिश्चित नौकरियों के लिए मुख्य कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है। मुख्य कंपनियों में कोटक महिंद्र, एचडीएफसी लाईफ, सिटिबैंक, अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस, हिंदुस्तान कोका कोल बीवरेजेज़ लिमिटेड, जिनेपेक्ट, वीटा, आदि शामिल है।

2. **पुन: स्थापन परियोजना:** भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल नौकरी के क्षेत्र में रोजगार की संख्या बढ़ाने के लिए, आईएन/आईएएफ में जेसीओ/ओआर और उनके समकक्ष के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों का पुन:आयोजन परियोजना पुन:स्थापन के माध्यम से किया जाता है। परियोजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी। चरण एक , सशस्त्र बलों का आंतरिक कार्य सीडीएम सिकंदराबाद द्वारा मार्च 2020 में पहले ही पूरा किया जा चुका है। चरण दो की योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई है। निविदा प्रक्रिया के जरिए वृत्तिक प्रबंधन सलाहकार की पहचान की जा रही है। इस चरण में कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण विलम्ब हुआ है। चरण तीन विभिन्न क्षेत्रीय कौशल परिषदों और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ

किए जाने की योजना है। तथापि, इस चरण को चरण दो के पूरा होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। इसके सफलतापूर्वक पूरा होने पर इस परियोजना से कार्पोरेट क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक के बेहतर नियोजन का मार्ग प्रशस्त होगा।

3. **सिविल/निजी संस्थानों के लिए प्रस्ताव का अनुरोध(आर पीएफ)**: पुनर्वास महानिदेशालय के अधिदेश के अनुसार, निजी संस्थानों को आरएफपी मार्ग के जरिए ही पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। अधिकारी बोर्ड की बैठक को सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करन के लिए निजी संस्थानों के चयन के लिए अपेक्षित पैरामीटर की पहचान करने के लिए बुलाया गया है।आरएफपी को सैन्य कार्मिकों के लिए बेहतर पुन:नियोजन अवसर देने के लिए प्रमुख निजी संस्थानों और पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

4. **डीजीआर सुरक्षा एजेंसी स्कीम (जीईएम पोर्टल पर डालना):** फिलहाल यह योजना डीजीआर सूचीबद्ध ईएसएम सुरक्षा सेवाएं के कार्य/कार्यकरण के लिए दिनांक 13 मई 2021 पत्र संख्या 28 (75) / 2020-डी/ (रिस-एक) और 23 जून 2021 के शुद्धिपत्र के माध्यम से, एमओडी/डीईएसडब्ल्यू के दिशानिर्देशों के अधीन कार्य कर रही है । इस योजना के जीईएम पोर्टल में डाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। एक ढांचे पर जीईएम/एमओडी/डीजीआर द्वारा संयुक्त रूप से योजना बनाई और अभिकल्पित की जा रही है। इससे गार्ड्स के ग्राहकों (पीई/ पीएसयू) 60,000 से बढ़कर दो लाख हो जाएंगे। इस योजना में आवेदकों का संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा।

6.12 समिति की भूतपूर्व सैनकों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए कौशल विकास, भूमि आवंटन, स्टार्ट अप आदि के सुकर बनाने की सिफारिश पर साक्ष्य के दौरान, सचिव (भूतपूर्व सैनिक) ने निम्नलिखित निवेदन किया:

"सर, यह बहुत सही सुझाव है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। अगर आप यहां से अमृतसर तक ग्रैंड ट्रंक रोड देखें तो पंजाब और हरियाणा का ज्यादा विकास जीटी रोड के साथ ही हुआ है। अगर उससे 20 से 25 किलोमीटर हटकर देखें तो वहां जमीन की कीमतों और लोगों के विकास की स्थिति में बहुत फर्क है। अब देश में बड़े-बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है और उन पर बहुत सी आपरचूनिटीज आ रही हैं। इस बारे में हाइवेज सेक्रेटरी से भी हमारी बात हो रही है। .. । हमारे पूर्व फौजी हर गांव में हैं। मेरी इच्छा है कि हम उन सभी की गांवों में लोकेशन इलेक्टरोनिकली प्लॉट कर लें और जो पीएम गतिशक्ति पोर्टल है, उसके थ्रू हम उनको लोकेट करके मिला लें। वहां उनकी कोऑपरेटिव बनाकर चाहे उनका ढाबा

खोल दें या आज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की जरूरत है, हमारे दस फौजी लोगों को मिलाकर उनका चार्जिंग स्टेशन शुरू करा दें। इस तरह के काम हो सकते हैं। अगर इसमें समिति की रीकेमेन्डेशन मिले तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक सिस्टम में इसके लिए फण्ड्स की उपलब्धता नहीं है। इस पर काम चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से शुरू करें। इसी तरीके से हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लाभ

6.13 समिति को मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थापनों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित आरक्षण लाभ के बारे में सूचित किया गया:

1. केंद्रीय सरकार में आरक्षण (समूह'ग' पदों में 10 प्रतिशत)
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में आरक्षण (युद्ध में विकलांग हो चुके भूतपूर्व सैनिकों/मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत सहित समूह ग में 14.5 प्रतिशत और समूह घ में 24.5 प्रतिशत)
3. केंद्रीय पुलिस संगठन/अर्ध सैनिक बल - एसिस्टेंट कमांडेट की रैक तक 10 प्रतिशत
4. रक्षा सुरक्षा कार्प्स (डीएससी)- 100%.

6.14 रक्षा सेवा कार्प्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आदि में भूतपूर्व सैनिक द्वारा आरक्षण लाभ प्राप्त करने के प्रतिशत के बारे पूछे जाने पर सचिव ने यह बताया कि:

"सर, इस बारे में हमने पता किया है, वह सैटिस्फैक्टरी नहीं है। इसके दो-तीन कारण हैं। एक्स सर्विसमैन का कोई रोस्टर नहीं बना हूआ था। अभी डीओपीटी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। वह काफी एडवांस स्टेज में है। हमने एक ड्राफ्ट रोस्टर बनाया है। अभी होता यह है कि एडवर्टाइज कर देते हैं कि हमें सी एंड डी में 10 परसेंट चाहिए। लेकिन, अगर एप्लीकेशन नहीं आया या कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फीट नहीं हूआ तो उसको नहीं करते हैं। जो एप्लीकेशन नहीं आती है उसको दूसरे पोस्ट से भर लेते हैं। अब जब रोस्टर बन जाएगा तो वे पोस्टें खाली रहेंगी, जब तक कोई उस पोस्ट पर आता नहीं है। उसके बाद ही रोस्टर फील होगा। वह अभी प्रोसेस में है। हमें उसमें इम्प्रूवमेंट होने का पूरा विश्वास है।"

केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड

6.15 केएसबी सचिवालय भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण तथा कल्याण निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्य में 34 राज्य सैनिक बोर्ड और 403 जिला सैनिक बोर्ड जो संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं, सहायता देते हैं।

भारत सरकार अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के संबंध में आरएसबी और जेडएसबी के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत व्यय वहन करती है और अन्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 60 प्रतिशत व्यय को वहन करती है। जबकि शेष व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

6.16 सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) ने इस विषय पर पूछे जाने पर, केंद्रीय, राज्य और जिला सैनिक बोर्ड के कार्यकरण, जिम्मेदारियों और वित्तपोषण व्यवस्था पर यह बताया कि:

> "महोदय, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड जो है, ये एक स्वायत्त संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सैनिक बोर्ड हमारे मातहत संस्था है। जो कैन्द्रीय सैनिक बोर्ड है, उसको रक्षा मंत्री चेयर करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, लोक सभा और राज्य सभा के माननीय सदस्य हैं, फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। उसमें अन्य रैंक के प्रतिनिधि उसके मेंबर्स होते हैं एवं सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स भी होते हैं। यूजअली मीटिंग में सैनिक कल्याण के मंत्री होते हैं, वे आते हैं। कई बार मुख्यमंत्रीगण नहीं आ पाते हैं। इस तरीके से होता है।
>
> जो राज्य सैनिक बोर्ड है, उसकी जो प्रधानगी है, कई जगहों पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कई जगहों पर गवर्नर्स कर रहे हैं। उनके लेवल पर होता है। जो सीनियर सेक्रेटरी होते हैं, वे चीफ एग्जिक्यूटिव के तौर देखभाल करते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड में फौज का एक सीनियर ऑफिसर डॉयरेक्टर होता है। जैसे केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सभी राज्यों के कार्यकलापों को क्वॉर्डिनेट करता है। राज्य सैनिक बोर्ड वाले सभी जिला सैनिक बोर्ड को क्वॉर्डिनेट करते हैं। जिला सैनिक बोर्ड में जो प्रधानगी है, वह जिला कलेक्टर करता है। अगर उस जिले में कोई एक्स सर्विसमैन ऑफिसर होता है, तो वह भी मेंबर होता है। एक ऑफिसर होता है, ज्यादातर राज्यों में फौज के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। कुछ राज्यों में अदर सिविल सर्वेन्ट्स हैं, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रूल बना रखे हैं। वे जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को रिक्रूट करते हैं। वह उसका सेक्रेटरी होता है। उनकी स्टैब्लिशमेंट का जो खर्चा है, हम उसमें भारत सरकार की तरफ से उनको ग्रांट देते हैं। हम उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए भी ग्रांट देते हैं, लेकिन सभी जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं होता है। जहां 7,500 से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं, उसी जिले में बनाने की सिफारिश होती है। नहीं तो दो या तीन जिले को मिलाकर एक जिला सैनिक बोर्ड होता है। इसका ये सिस्टम है।"

6.17 केएसबी की निर्धारित बैठक के बारे में पूछे जाने पर, सचिव (भूतपूर्व सैनिक) ने यह बताया कि:

"सर, इसकी अगली मीटिंग अप्रैल महीने में तय हो गई है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री को माननीय रक्षा मंत्री की तरफ से पत्र भी लिखा गया है। हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। इसके लिए 11 अप्रेल डेट फिक्स है।"

6.18 समिति को यह पता चला है जिला सैनिक बोर्ड की संरचना निम्नलिखित है:

- राष्ट्रपति: जिला कलक्टर
- उप-राष्ट्रपति: वरिष्ठ पूर्व सेवा अधिकारी
- पदेन अधिकारी: राज्य सरकार विभागों के अध्यक्ष/ भर्ती अधिकारी
- गैर-अधिकारी: दो भूतपूर्व सैनिक
- सदस्य: चार प्रमुख नागरिक
- सचिव: जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

6.19 इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान समिति ने कुछ राज्यों में जिला सैनिक बोर्ड के अनुचित कार्यकरण और उन बोर्ड में भूतपूर्व सैनिकों के लिए मार्गदर्शन / समन्वय के अभाव का मुद्दा उठाया । इस संदर्भ में, सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) ने यह बताया कि:

"सर, आपकी बात सही है। अलग-अलग स्टेट्स का अलग-अलग कल्चर है जैसे कई जगहों पर इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि हम फौज के अफसर को ही जिला सैनिक बोर्ड का अधिकारी बनाएंगे। जैसे 25 जिले हैं तो उनका अपना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है और जब वे एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं तो एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन्स नहीं आती हैं। कई स्टेट्स में जहां पर शहर अच्छे नहीं हैं तो अधिकारी रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रहना चाहता है। अगर आप बिहार के किसी जिले में चले जाए तो वहां अफसर मिलता भी नहीं है। इस कारण से वे किसी को टेम्परेरी चार्ज देते हैं। उन सब जगहों की हालत खराब है। इसको हल करने के लिए हम एक नए आइडिया पर काम कर रहे हैं। ..... हमने 'स्पर्श' नाम से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सभी पेशन्र्स का डेटा ऑनलाइन हो रहा है। अब हम उसको डेटा ड्रिवन करना चाह रहे हैं। उसमें पेंशन का काम तो हो रहा है। करीब 26 लाख पेंशन्र्स में से 17-18 लाख पेंशन्र्स का पूरा काम ऑनलाइन चल रहा है और जो बाकी हैं, उनका भी हो जाएगा। उसको हम लिवरेज करना चाह रहे हैं। अगर आज मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं कहां रहूंगा, मैंने फौज में कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है, मुझे क्या आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आता है या मैकेनिकल आता है। मैं क्या जानता हूँ। मेरी किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी सूचनाएं हम रिटायरमेंट के पहले फीड करेंगे। एक फौज का रिकॉर्ड ऑफिस है, वह बताएगा कि हमारा जो रिटायर होने वाला आदमी है, वह किस तरह का है।"

6.20 अनुदानों की मांगों 2023-2024 पर चर्चा के दौरान जिला सैनिक बोर्ड में स्थानीय सांसदों को शामिल किए जाने की व्यवहार्यता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। अन्य सुझाव सैनिक बोर्ड के सचिवों को दिशा की समिति बैठकों में बुलाने का भी था। समिति यह देखा कि कुशल और समयबद्ध विकास के लिए जिला विकास समन्वय और मानीटरिंग समितियों (दिशा) को संसद, राज्य विधानमंडलों और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाओं/नगरपालिका निकायों) में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। दिशा का उद्देश्य जिला स्तर पर सभी विकास कार्यकलाप की त्रैमासिक समीक्षा को सुकर बनाकर यह कार्य करना है। दिशा समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत और जिला से निर्वाचित वरिष्ठतम सांसद होता है। दिशा समिति की बैठकों को सांसद की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है और जिले के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारि भाग लेते हैं। जिला कलक्टर सदस्य सचिव होता है जो बैठक बुलाने और प्रभावकारी और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई करन के लिए जिम्मेदार होता है।

6.21 भविष्य में भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध अवसरों के बारे में आशा व्यक्त करते हुए सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) ने यह बताया कि:

> "....देश का डेमोग्राफिक ट्रेंड चैंज हो रहा है, लेकिन जो डेवलप पार्ट है, जो नार्थ से वेस्ट होते हुए साउथ तक चला जाता है, वहां बहुत चैंज हो चुका है। वहां टोटल फर्टिलिटी रेट 1.67 के आसपास आ गई है और पापुलेशन मैंटेन करने के लिए 2.1 होना चाहिए। वहां पर वर्कर्स की शॉर्टेज फील हो रही है। मेरी इंडस्ट्रीज वालों से कई बार बात होती है तो इन सब जगहों पर अब काम करने के लिए आदमी आसानी से नहीं मिलते हैं। यह लार्जली माइग्रेंट वर्कफोर्स पर ही डिपेंडेंट है। इस सिचुएशन में इकोनॉमी में काफी ग्रोथ की संभावना है। डिफेंस इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हमारे फौज से रिटायर्ड जो ट्रेन्ड मैनपावर हैं या इवन जब बाद में अग्निवीर आएंगे तो उनके लिए नौकरी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड बहुत है और वर्कफोर्स में जो एडीशन है, वह अब कम होने लगेगा। ..... अगर हम डेटा बना ले और कंपनी वालों को शेयर कर दें तो बहुत अच्छी रिसेटलमेंट होने लगेगी। मैं इन चीजों के लिए बहुत आशान्वित हूँ। हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं।"

भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण

6.22 पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर महानिदेशालय ने यह बताया कि:

> "..ट्रेनिंग होती है और दो तरीके की होती है। एक तो ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों की होती हैं, जिसमें जवानों के लिए दो साल है, ऑफिसर्स के लिए एक साल है। ट्रेनिंग करने के लिए रिटायर्ड सैनिक भी आ सकते हैं। अगर वे किसी तरीके की मदद चाहते हैं जैसे उनको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एन्टरप्रेन्योरशिप करना है, डेटा एनालिस्ट बनना है तो हमने उस तरीके की ट्रेनिंग गवर्नमेंट इंस्टिटयूट्स के साथ टाइअप की हुई हैं। उनको तीन से छ: महीने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको जॉब में काफी सहूलियत मिलती है।
>
> ...ऑफिसर्स का 60 परसेंट खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 40 परसेंट वे खुद देते हैं। जेसीओज़ और ओ.आर. का 100 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। यह प्रावधान है।
>
> ...हमारा इंस्टिटयूट्स के साथ मिलाप रहता है जैसे एनआईईएसबीयूडी, एनआईईयलईटी इस तरीके के गवर्नमेंट इंस्टिटयूट्स हैं। हमारे यहां पैन इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं तो उसको जैसा इलाका सूट करता है कि वह घर के पास है या अपने इलाके के पास है या यूनिट के पास है, वहां पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों सर्विसेज़ देखती है ताकि वह वहां पर अटैच हो सके और उसका खर्चा न हो और वह वहां पर फ्री में ट्रेनिंग पाता है, ताकि वह अगले कैरियर को चुन सके, जिससे उनको जॉब मिल जाती है। इस तरीके से उनको नौकरी में प्रावधान है।"

अग्निपथ योजना

6.23 सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) से विशेष रूप से अग्निवीरों को सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में डाले जाने और आरक्षण तथा केंटीन स्टोर जैसे अन्य लाभ का हकदार होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यह बताया कि:

> "जो अग्निवीर की स्थिति है, अग्निवीर के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट का इंतजाम किया गया है। उनकी रिजर्वेशन अगर कहीं पैरा मिलेट्री फोर्स में या प्राइवेट कंपनी वाले कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट सिस्टम है। जो एक्स सर्विसमैन वाला रिजर्वेशन है, उसमें उनको सहूलियत नहीं है।"

अन्य प्रासंगिक मुद्दे

6.24 साक्ष्य के दौरान, समिति ने देश में पदक विजेताओं, विशेषकर ओलंपिक पदक विजेताओं, को सशस्त्र बलों में अधिकारी समवर्ग में पद प्रदान करने की संभावनाओं को तलाशने का मुद्दा उठाया। इस संबंध में, सेना के एड्जुटेंट जनरल ने यह बताया कि:

> "महोदय, मैंने आपका ये पाइंट नोट कर लिया है।हम इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। हम आवश्यक जांच के लिए सेना के भीतर इस पर कार्य करेंगे"

6.25 समिति को यह पता चला है कि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों, युद्ध में शहीदों की विधवा, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को सेना में अधिकारियों और जेसीओ/ओआर के रूप में भर्ती के लिए छूट दी जा रही हैं। अनुदानों की मांगों 2023-2024 पर चर्चा के दौरान, समिति ने अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी, युद्ध में शहीदों की विधवा के लिए रिक्तियों की अधिसूचना में विलम्ब का मुद्दा उठाया।

6.26 समिति ने अनुदानों की मांगों 2023-2024 की जांच के दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों द्वारा शहीदों को दिए जाने वाले अनुग्रह पूर्वक प्रतिकर / धन संबंधी लाभ की असमान धनराशि का मुद्दा भी उठाया । इस संदर्भ में, सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) ने यह बताया कि :

> "महोदय, एक्स ग्रेशिया को यूनिफार्म या रेज करने के लिए हम केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा लाकर उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक्स सर्विसमैन की संख्या ज्यादा है, वहां अपने आप स्टेट में चाह होती है। जैसे पश्चिम बंगाल या कुछ राज्यों में कम है, तो उनको करना है।"

अध्याय सात

रक्षा पेंशन

समिति को अवगत कराया गया है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) में पेंशन प्रभाग सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए पेंशन नीतियों और उनकी शिकायतों के निवारण से संबंधित कार्य करता है। 1.4.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में रक्षा पेंशनभोगियों की कुल संख्या 32,94,181 है, जिसमें 6,14,536 रक्षा सिविलियन पेंशनभोगी और 26,79,645 सशस्त्र बल पेंशनभोगी शामिल हैं।

<u>रक्षा पेंशन बजट</u>

7.2 समिति ने पाया है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन में तीनों सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा सिविलियन कर्मचारियों सहित) और पूर्ववर्ती भारतीय आयुध कारखानों आदि के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभारों का प्रावधान है। इसमें सेवा पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का कम्यूटेड मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान शामिल है।

इस शीर्ष के तहत बजटीय आबंटन की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

बजट अनुमान 2022-23	**संशोधित अनुमान 2022-23**	**बजट अनुमान 2023-24**
1,19,696	1,53,414.49	1,38,205

7.3 समिति को यह जानकारी दी गई है कि बजट अनुमान 2022-23 (1,19,696 करोड़ रुपये) की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 (1,53,414.49 करोड़ रुपये) के बाद 33,718.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता मुख्य रूप से पेंशन में सामान्य वृद्धि, महंगाई राहत और वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के दरों में वृद्धि के कारण नियमित पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि तथा ओआरओपी के बकाया घटक के भुगतान के कारण है। 28,137.49 करोड़ रुपये का बकाया घटक लोक लेखा के जमा खाते (गैर-ब्याज वाले अनुभाग) में स्थानांतरित किया जाना है। पात्र पेंशनभोगियों को बकाया भुगतान से उत्पन्न देनदारियों को मौजूदा आदेशों के अनुसार जमा खाते से पूरा किया जा सकता है।

7.4 समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि बजट अनुमान 2022-23 (1,19,696.00 करोड़ रुपये) की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 (1,38,205.00 करोड़ रुपये) के लिए 18,509.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता पेंशन में सामान्य वृद्धि, महंगाई राहत और ओआरओपी की बढ़ी हुई दरों के कारण नियमित पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि के कारण है।

7.5 समिति के समक्ष प्रस्तुत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में पिछले छह वर्षों के रक्षा पेंशन बजट का ब्यौरा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :

रक्षा पेंशन बजट

(निकटतम दशमलव तक करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2018-19	1,08,853	1,06,775	1,01,775
2019-20	1,12,080	1,17,810	1,17,810
2020-21	1,33,825	1,29,000	1,28,066
2021-22	1,15,850	1,16,878	1,16,799.85 (निवल)
2022-23	1,19,696	1,53,414.49	98,214 (दिसंबर 2022 तक)
2023-24	1,38,205		

7.6 विषय की जांच के दौरान, समिति ने यह जानना चाहा कि संशोधित अनुमान 2022-23 के लिए आबंटित राशि को ध्यान में रखते हुए, क्या बजट अनुमान 2023-24 के लिए आबंटित धनराशि रक्षा पेंशन के लिए पर्याप्त होगी। इस संबंध में, सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) ने निम्नानुसार बताया:

> "सर, क्योंकि रिवीजन का एरियर देना था, इसलिए यह 1 लाख 53 हजार करोड़ हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 2023-24 में इससे कम खर्च होगा। पेंशन में अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार फिर से दे देती है।"

पेंशन प्रशासन के लिए स्पर्श-प्रणाली (रक्षा)

7.7 समिति को पता चला है कि 2017-18 के बजट भाषण में घोषित पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) (स्पर्श) रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन के प्रशासन के लिए व्यापक समाधान प्रदान करना है। स्पर्श पोर्टल पेंशनभोगी को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- मैनुअल प्रमाण पत्र आधारित प्रक्रिया या आधार आधारित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र की पहचान और प्रस्तुति ।
- पेंशनभोगियों के प्रोफाइल का प्रबंधन
- संवितरण संबंधी सेवाएं
- सेवा अनुरोध
- इंटरएक्टिव शिकायत प्रबंधन

7.8 स्पर्श सरकार का सबसे बड़ा पेंशन प्लेटफॉर्म है जो 33 लाख पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान करता है और इसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 85,000 पेंशनभोगी जुड़ते हैं। अब तक स्पर्श के तहत, कुल 1,31,355 दावे शुरू किए गए हैं और 1,23,667 स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं। 15.1.2023 की स्थिति के अनुसार 19,33,233 पुराने पेंशनभोगियों (7वें सीपीसी से पूर्व और बाद दोनों के पेंशनभोगी) को विभिन्न पेंशन संवितरण एजेंसियों (पीडीए) से स्पर्श में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा शेष पेंशनभोगियों का मौजूदा बैंकों से स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है।

7.9 इस मामले पर विचार-विमर्श के दौरान, समिति को अवगत कराया गया कि स्पर्श के कार्यान्वयन के बाद निम्नलिखित लाभ हुए हैं:

	स्पर्श के पूर्व	स्पर्श के पश्चात्
पेंशन की स्वीकृति	4 से 6 महीने	औसत 16 दिन
पहले भुगतान का संवितरण	30 से 90 दिन	1 से 2 दिन
शुद्धि-पत्र का कार्यान्वयन	6 महीने से 1 वर्ष	अगला मासिक भुगतान चक्र
पारिवारिक पेंशन का आरंभ	1 से 3 महीने	औसत 15 दिन

7.10 विषय की जांच के दौरान, स्पर्श के तहत लक्षित पेंशनभोगियों की श्रेणी के बारे में पूछे जाने पर, अतिरिक्त सीजीडीए ने निम्नानुसार बताया:

"जहां तक 'स्पर्श' का प्रश्न है। इसमें सारे डिफेंस पेंशनर्स अल्टीमेट्ली आने वाले हैं। अभी 21.5 लाख पेंशनर्स स्पर्श में आ चुके हैं। हमारी जो पेंशनर्स संख्या है, जैसा आपने देखा था, वह 32 लाख से ऊपर है। इसमें से 1 लाख गोरखा के पेंशनर्स हैं, जो इंडियन एम्बैसी नेपाल से लेते हैं और 30 पेंशनर्स ट्रेजरी के हैं। ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेयर्स कर रही है। उसको छोड़ कर जितने बैंक के पेंशनर्स हैं, वे सारे इसी सिस्टम पर आने वाले हैं। इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। चूंकि ओआरओपी का पेमेंट देना था, उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया था। अब हम फिर से माइग्रेशन करने जा रहे हैं और इसमें सभी को ले जाएंगे ।"

7.11 उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि:

"माइग्रेशन की यह स्थिति है, हम सबको माइग्रेट करने वाले हैं। जहां तक आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशनर्स की बात कही, तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। यह ऑटोमैटिक होगा। पेंशनर्स को पता नहीं चलेगा और ये धीरे-धीरे सिस्टम स्पर्श में आ जाएंगे। स्पर्श के आने से पेंशनर्स के हाथ में सारी चीजें आ जा रही हैं। उनको पता चल रहा है कि उनकी पीपीओ है, उनका क्या रिवीजन हुआ है, ओआरओपी रिवीजन हुआ तो पता चल जाएगा कि कितना ओआरओपी का पेमेंट हुआ। पेंशनर को कोई डाक्युमेंटेशन नहीं करना है। पेंशनर को केवल एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड उसके मोबाइल पर मुहैया करा देते हैं, जिससे वह स्पर्श में जाकर चेक कर सकता है कि उसको क्या मिल रहा है? यह इंपावरमेंट टू दी पेशनर्स है। उसी के मद्देनजर यह सिस्टम डिजाइन किया गया। पहले कुछ पता ही नहीं चलता था, कुछ क्लेरिटी नहीं रहती थी कि उनकी पेंशन कब रिवीजन होनी है, कब नहीं होनी है। यहां रिवीजन भी ऑटोमैटिक होगा, सैंक्शन भी ऑटोमैटिक हो रहा है, डिस्बर्समेंट भी ऑटोमैटिक हो रहा है।"

7.12 शिकायतों के समाधान तथा सभी पात्र पेंशनभोगियों, विशेष रूप से जो प्रौद्योगिकी के उपयोग में कुशल नहीं हैं, को स्पर्श की सेवा सुनिश्चित करने के लिए लिए मंत्रालय द्वारा किए गए आउटरीच प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर सचिव (ईएसडब्ल्यू) ने निम्नानुसार बताया:

"ग्रीवेंस से संबंधित बात कही गई। कुछ ग्रीवेंसेज़ होते हैं, जिनमें कई बार कई तरह की प्रॉबलम्स आती हैं। हालांकि ग्रीवेंस रिड्रेस हो रहे हैं, फिर भी पेंडेंसी है। हम लोग लगे हुए हैं कि ग्रीवेंसेज़ कम से कम हों। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। हम आशा करते हैं कि दो-

तीन महीनों के भीतर यह स्थिर हो जाएगा। हम बहुत ही इंटेंसिव ड्रिस्ट्रिक्ट लेवल पर आउट रीच प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर होता है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का। उसके जो विलेज लेवल इंटरप्रिन्योर हैं, वे उनको ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों का डेटा मिसमैच हो रहा है। कुछ लोगों की ईमेल गलत दे रखी है, कुछ लोगों का मोबाइल नंबर गलत है, तो गलत जगह इन्फोर्मेशन जा रही है। डिपेंडेंट के नेम में किसी की गलती होती है। गलतियाँ कई जगह हैं। उसकी गलतियों के लिए वहीं से रिक्वैस्ट डालेगा, फिर रिकार्ड ऑफिस और सारे मिलकर हम उसको करेंगे। उसको मिशन मोड में करने की तैयारी चल रही है।"

<u>वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी)</u>

7.13 समिति यह समझती है कि ओआरओपी का तात्पर्य यह है कि समान रैंक पर समान अवधि की सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कार्मिकों को एक समान पेंशन का लाभ मिले, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। इस प्रकार, ओआरओपी का अर्थ है समय-समय पर वर्तमान पेंशनभोगियों और पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन की दरों के बीच के अंतर को दूर करना। ओआरओपी को रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.11.2015 के आदेश के तहत 01.07.2014 से लागू किया गया था।

7.14 अनुदानों की मांगों (डीएफजी) 2023-24 की जांच के दौरान, समिति को ओआरओपी के कार्यान्वयन के निम्नलिखित वित्तीय प्रभावों से अवगत कराया गया था:

- 01.07.2014 से लेकर लगभग आठ वर्षों के लिए, कुल व्यय लगभग **57,000 करोड़ रुपये** अर्थात् प्रति वर्ष 7123/- करोड़ रुपये है। अब तक 20.60 लाख रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं।
- ओआरओपी के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में संशोधन का आदेश **04.01.2023** को जारी किया गया है।
- इस संशोधन के तहत 30.06.2019 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों {01.07.2014 से प्रभावी समयपूर्व सेवानिवृत्ति (पीएमआर) के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को छोड़कर} को लाभ मिला है। कुल लाभार्थी लगभग 25.13 लाख (4.52 लाख नए लाभार्थियों सहित) हैं।
- अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार 31% महंगाई राहत (डीआर) की दर से **8,450.04 करोड़ रुपये** है। लागू महंगाई राहत के अनुसार 01.07.2019 से 30.06.2022 तक बकाया राशि

23,638.07 करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया है। यह व्यय ओआरओपी पर हो रहे व्यय के अतिरिक्त है।

7.15 ओआरओपी के मामले के संबंध में विस्तार से बताते हुए सचिव (ईएसडब्ल्यू) ने निम्नानुसार साक्ष्य दिया:

> "सर, जब पहली बार पार्लियामेंट की पिटीशन कमेटी ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में विचार किया था, तो उस समय एक कैलकुलेशन हुई थी कि इसका एनुअल खर्च 1 हजार करोड़ रुपये साल का होगा, लेकिन जब इंप्लीमेंट हुआ तो हर साल के 8 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। पहले सात हजार हुए, अब आठ हजार और जुड़कर के पन्द्रह हजार करोड़ हर साल के इसमें खर्च हुए हैं। जो एस्टीमेशन पहले हुई थी, वह शायद प्रापर्ली नहीं हो पाई थी। यही समझ आ रहा है।"

<u>अग्निपथ योजना</u>

7.16 इस विषय पर चर्चा के दौरान समिति ने अग्निपथ योजना के पेंशन संबंधी पहलू से अवगत कराए जाने की इच्छा व्यक्त की। इस संदर्भ में, एडजुटेंट जनरल, थल सेना ने निम्नानुसार बताया:

> "सर, जो अग्निवीर स्कीम है, उसके ऊपर बताऊंगा। जब चार साल खत्म हो जाएंगे, तब उनको एक फिक्स्ड एमाउंट दिया जाएगा, अनुग्रह राशि के हिस्से के रूप में और सेवा निधि पैकेज के रूप में भी। एक पूरा कॉरपस है, जो तकरीबन 12 लाख के आसपास का एमाउंट है, जिसमें सेवा निधि पैकेज में सरकार का लगभग 50 प्रतिशत योगदान शामिल है। उनका खुद का प्लस है। अग्निवीर का जो ब्रॉडली पैकेज है, वह उनको वापस जाते वक्त मिलेगा।
>
> उनमें से जो वापस आएंगे और उनमें से 25 परसेंट फिर से आर्मी में इनरॉल हो जाएंगे या रिस्पेक्टिव सर्विसेज में जाएंगे, उनको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, आज की डेट में यही प्रोसेस है।"

7.17 एक शहीद अग्निवीर की हकदारी के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि यह राशि 50 लाख रुपये है।

<u>विकलांगता पेंशन</u>

7.18 ऐसे कैडेटों जिन्हें एनडीए, आईएमए, वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक अकादमियों आदि जैसे विभिन्न रक्षा प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान घायल होने के कारण सैन्य सेवा जारी रखने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और ऐसे कैडेटों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन या कोई अन्य वित्तीय सहायता के बारे में समिति के एक प्रश्न के उत्तर में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार साक्ष्य दिया:

> "सर, ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो जाता है तो उनको डिसेबिलिटी पेन्शन मिलेगी, पेंशन में डिसेबिलिटी ऐलिमेंट होता है, एक सर्विस एलिमेंट होता है। सर्विस एलिमेंट एक पेंशन की तरह है तब उस समय ईसीएचएस का मेंबर हो सकता है, अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगा तो ईसीएचएस का मेंबर नहीं बन सकता है। ....
>
> सर, जो सर्विस से इनवैलिड हो जाते हैं या जिनको डीम्ड इनवैलिड होते हैं, उनको पेंशन डिसेबिलिटी मिलता है, पेंशन के साथ। उनको वही चीज लागू है, जहां तक कैंटीन सेवाओं का संबंध है।"

भाग - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

सामान्य रक्षा बजट

रक्षा मंत्रालय के बजट और अनुदानों की मांगों 2023-24 का सारांश

समिति ने नोट किया है कि रक्षा बजट को चार अनुदान मांगों के तहत वर्गीकृत/समूहीकृत किया गया है। मांग संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल), मांग संख्या 20 - रक्षा सेवाएं (राजस्व), मांग संख्या 21 - रक्षा सेवा पर पूंजीगत परिव्यय और मांग संख्या 22 - रक्षा (पेंशन), मांग संख्या 19 और 22 सिविल/पेंशन अनुमानों के अंतर्गत आते हैं और मांग संख्या 20 और 21 रक्षा सेवा अनुमान हैं। समिति यह भी नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय सचिवालय, रक्षा लेखा विभाग, कैंटीन स्टोर विभाग, रक्षा संपदा संगठन, तटरक्षक संगठन, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जेएंडके एलआई), सीमा सड़क संगठन आदि के सिविल व्यय के लिए आवश्यकताओं का उपबंध मांग संख्या 19- रक्षा मंत्रालय (सिविल) में किया गया है। रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) रक्षा मंत्रालय की अनुदान संख्या 20 और 21 के तहत शामिल रक्षा सेवाओं और संगठनों/सेवाओं के लिए विस्तृत अनुमानों को दर्शाता है। डीएसई के अंतर्गत शामिल सेवाओं और संगठनों में सेना (राष्ट्रीय कैडेट कोर, महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन, 3 सैन्य फार्म और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना सहित), नौसेना (संयुक्त स्टाफ सहित), वायु सेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और पूर्व आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) शामिल हैं। अनुदान संख्या 20 राजस्व व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करती है जिसमें वेतन और भत्ते, परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, राशन, पेट्रोल, तेल और स्नेहक, पुर्जे, विभिन्न प्लेटफार्मों / उपकरणों आदि का रखरखाव), राजस्व कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, पानी और बिजली शुल्क, किराए, दरें और कर आदि शामिल हैं) और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। अनुदान संख्या 21 पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करती है जिसमें भूमि, निर्माण कार्यों, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, भारी और मध्यम वाहनों, नौसेना के जहाजों, विमान और एयरो इंजन,

डॉकयार्ड आदि पर व्यय शामिल है। मांग संख्या 22 तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैन्य कर्मचारियों सहित) जैसे सेना, नौसेना और वायु सेना और पूर्ववर्ती आयुध कारखानों के कर्मचारीयों के संबंध में पेंशन प्रभार (सेवा पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का कम्यूटेड मूल्य, अवकाश नकदीकरण आदि) का उपबंध करती है।

समिति को पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटित बजट 5,93,537.64 करोड़ रुपये है। इस राशि में से, 72.91 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा, अर्थात 4,32,720.14 करोड़ रुपये रक्षा सेवा अनुमानों (अनुदान संख्या 20 और 21) के लिए आवंटित किए गए हैं। रक्षा सेवा राजस्व (अनुदान संख्या 20) के लिए 2,70,120.14 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान संख्या 21) के लिए 1,62,600 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। रक्षा पेंशन (अनुदान संख्या 22) ने कुल बजट का 23.28 प्रतिशत अर्थात ₹1,38,205 करोड़ प्राप्त किए हैं। अर्थात 22,612.50 करोड़ रुपये के कुल रक्षा बजट का शेष 3.81 प्रतिशत रक्षा मंत्रालय (सिविल) (अनुदान संख्या 19) को आवंटित किया गया है।

<u>रक्षा बजट 2022-23 के तहत अनुमान और आवंटन</u>

2. 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, समिति ने पाया कि 2022-23 के बजट अनुमानों की तुलना में 2023-24 में रक्षा बजट के लिए कुल परिव्यय में 68,371.49 करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,37,113.51 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में आवंटित रक्षा बजट में 43,575.87 करोड़ रुपये की कमी है। समिति ने इस संबंध में मंत्रालय की इस दलील पर गौर किया है कि प्रारंभिक अनुमान होने के नाते अनुमानित रक्षा बजट में गणना के संदर्भ में कुछ अंतर है। इस अनुमान को बाद में मंत्रालय की आवश्यकताओं के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा ठीक किया जाता है। इसके अलावा बजटीय चर्चा के चरण में, रक्षा मंत्रालय को सूचित किया गया था कि इसकी सभी आवश्यकताओं को बिना किसी कटौती के पूरा किया जा रहा है। समिति ने नोट

किया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यावहारिक बजटीय अनुमानों के लिए 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी उनके छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में उनकी सिफारिश के अनुसार, रक्षा बजट में अनुमान और आवंटन के बीच का अंतर बजट अनुमान 2022-23 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से घटकर 44,000 करोड़ रुपये हो गया है। समिति इस तथ्य का भी संज्ञान लेती है कि किसी देश का बजट अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, आवंटन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में व्यय की प्रवृत्ति, किए गए अनुमान, पूरी की जाने वाली प्रतिबद्ध देयताएं आदि शामिल हैं। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सुदृढ़ योजना तंत्र अपनाया जाए और कार्यान्वित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानित रक्षा बजट को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के समीप रखा जाए। तथापि, वह हर समय बलों की महत्वपूर्ण क्षमताओं को बनाए रखने के लिए बाद के चरणों में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के विरुद्ध नहीं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी इस तरह की अनुपूरक मांगे की जाती हैं, तो अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, मुद्रास्फीति प्रभाव आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो न केवल घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि ओईएम और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस मुद्दे पर इस प्रतिवेदन के आगामी पैराग्राफों में और अधिक विचार किया गया है।

<u>रक्षा बजट में वृद्धि</u>

3. समिति को पता चला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अप्रैल, 2022 में 7.8 प्रतिशत तक बढ़ गया और फिर दिसंबर, 2022 तक लगभग 5.7 प्रतिशत गिर गया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति दरों की मासिक प्रवृत्ति मई, 2022 में 16.6 प्रतिशत के शिखर से गिरकर सितंबर, 2022 में 10.6 प्रतिशत और दिसंबर, 2022 में 5.0 प्रतिशत हो गई है। समिति ने नोट किया कि 2021-22

(वास्तविक) की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में रक्षा बजट में वृद्धि 16.80 प्रतिशत है, 2021-22 की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 के चरण में रक्षा बजट में वास्तविक वृद्धि (वास्तविक) 5.70 प्रतिशत की अनंतिम मुद्रास्फीति दर को समायोजित करने के बाद यह 11.10 प्रतिशत है। समिति ने इस संबंध में रक्षा सचिव के बयान से यह भी नोट किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वेतन और पेंशन अनुमान तब तक बहुत भिन्न नहीं हो सकते हैं जब तक कि अत्यधिक मुद्रास्फीति न हो। वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में रक्षा बजट में वृद्धि का आकलन करने के लिए समिति चाहती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक मुद्रास्फीति दर को समायोजित करने के बाद रक्षा बजट में वृद्धि के बारे में जानकारी मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत की जा सकती है। फिर भी, वह सिफारिश करती हैं कि मुद्रास्फीति में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2023-24 में संशोधित प्राक्कलन चरण में रक्षा मंत्रालय द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों को रक्षा मंत्रालय के दायरे में आने वाली सेवाओं और अन्य विभागों/संगठनों की आधुनिकीकरण और अधिग्रहण योजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।

4. समिति को पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल रक्षा बजट (रक्षा मंत्रालय (सिविल) और रक्षा पेंशन सहित) 5,93,537.64 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के लिए कुल केंद्र सरकार के व्यय का 13.18% और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.97% है। इसके अलावा, 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय का पूंजीगत बजट केंद्र सरकार के व्यय के कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 17.12% है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की बारीकी से जांच करने से पता चलता है कि वर्ष 2020-21 से, केंद्र सरकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय लगभग 13-14 प्रतिशत (लगभग) के आसपास रहा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय, जो 2018-19 के बाद से 2-3 प्रतिशत के दायरे में रहा है, 2023-24 (बजट अनुमान) के लिए 1.97 प्रतिशत है।

समिति ने इस संदर्भ में मंत्रालय के कथन को नोट किया है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय के लिए अनुमानित वैश्विक मानक 3 प्रतिशत है। यह इस धारणा पर किया जाता है कि जीडीपी में कर का अनुपात 10 से 13 प्रतिशत की सीमा में होता है। इसके अलावा, रक्षा सचिव द्वारा यह कहा गया था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत को व्यय करने में सक्षम नहीं हो सकता है। समिति समझती है कि रक्षा क्षेत्र को आवंटन पर निर्णय लेने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का बेंचमार्क प्रतिशत निर्धारित करने में कुछ बाधाएं हैं। तथापि, उनका यह सुविचारित विचार है कि पूंजीगत अधिग्रहण और आधुनिकीकरण, बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों, डॉलर की तुलना में रुपये की स्थिति और पड़ोसी देशों द्वारा रक्षा व्यय की आवश्यकताओं को देश के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में रक्षा व्यय के एक निश्चित बेंचमार्क प्रतिशत पर पहुंचने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, समिति स्पष्ट शब्दों में सिफारिश करती है कि यदि 3 प्रतिशत के वैश्विक मापदंड का अनुपालन नहीं हो सकता, तो देश के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में रक्षा व्यय के लिए मापदंड निर्धारित करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए। इससे हमारे देश के रक्षा व्यय को सही दिशा मिल सकेगी।

<u>अनुसंधान और विकास पर व्यय (आर एंड डी)</u>

5. समिति को पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा सेवाओं का पूंजी आवंटन 1,62,600 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में इस मद में 10,230 करोड़ रुपये अर्थात 6.7 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। बजट अनुमान 2023-24 के लिए डीआरडीओ को आवंटन 9 प्रतिशत बढ़ाकर 23,264 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजीगत खरीद बजट का 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि देश में रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ को आवंटन के अलावा, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) और रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) आवंटन क्रमशः 116 करोड़

रुपये और 45 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। समिति के ध्यान में यह भी लाया गया था कि अनुसंधान और विकास के लिए एक बार में बहुत अधिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी आश्वासन दिया गया कि बजटीय सहायता की कमी के कारण किसी भी आर एंड डी परियोजना को बंद नहीं होने दिया जाएगा।

समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की संवीक्षा करने पर पाया कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में आर एंड डी पर वास्तविक व्यय क्रमशः 19,421.02 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में 17,779.24 करोड़ रुपये, 19,627.35 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में 16,075.07 करोड़ रुपये, और 20,757.44 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के आवंटन की तुलना में 18,669.66 करोड़ रुपये था। समिति का विचार है कि प्रतिस्पर्धी रक्षा क्षेत्र में हमारे देश को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के आविष्कार, विकास और उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। इसके अलावा, निजी रक्षा उद्योग हमारे देश में शिशु अवस्था में है और अनुसंधान और विकास पर भारी राशि खर्च करने और बहुत महत्वपूर्ण और संरक्षित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की स्थिति में नहीं है जिन्हें हमारे विनिर्माण क्षेत्र द्वारा अपनाया जा सके। अतः, हमारे बलों को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित निधियों का पूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कठोर तंत्र स्थापित किया जाए। इसके अलावा, संशोधित प्राक्कलन स्तर पर आवंटित राशि और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईडीईएक्स और डीटीआईएस तथा अन्य संबंधित योजनाओं सहित अनुसंधान एवं विकास पर किए गए वास्तविक व्यय के संबंध में आंकडे इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के एक महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत किए जाएं।

आधुनिक युद्ध

6. समिति इस बात से अवगत है कि दुनिया युद्ध की रणनीति में बदलाव देख रही है जहां कुछ क्षेत्रों में 'छोटे' हथियार / अस्त्र-शस्त्र बड़े प्लेटफार्मों की तुलना में अधिक घातक और शक्तिशाली साबित हो रहे हैं। समिति को पता चला है कि देश में ड्रोन के शस्त्रीकरण के लिए कार्यक्रम चल रहा है और इस क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता हासिल की गई है। खतरे की आशंका में इस आमूल-चूल परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि इन छोटे और शक्तिशाली हथियारों/उपकरणों को विकसित करने और अपनाने के लिए डीआरडीओ और सेनाओं द्वारा समन्वित प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाएं ताकि हमारी सेनाओं की युद्ध तैयारी हाइब्रिड और आधुनिक युद्ध रणनीति के अनुरूप हो। ड्रोन क्षमताओं के संबंध में समिति इस बात पर प्रकाश डालेगी कि चाहे डीआरडीओ या निजी क्षेत्र द्वारा विशेष ड्रोन जैसे एंटी ड्रोन/इंटरसेप्टिव ड्रोन/कॉम्बैट ड्रोन/सी ड्रोन आदि को तेज गति से विकसित किया जाना चाहिए ताकि हम इस क्षेत्र में पीछे न रहें। एक अन्य संदर्भ में, समिति सामान्य रूप से भविष्य के युद्धों में सेना के कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जेटपैक सूट के संबंध में हुई प्रगति, यदि कोई हो, के बारे में जानना चाहेगी।

जनशक्ति

7. समिति, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के माध्यम से, जानती है कि सशस्त्र सेनाएं एक ऐसे चरण से गुजर रही हैं जहां कोविड के परिणामस्वरूप जनशक्ति में मामूली कमी आई है। इसके अलावा, अग्निपथ योजना 2022 में सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने के लिए युवाओं के लिए भर्ती योजना के रूप में शुरू की गई है। अग्निपथ योजना के तहत रूपरेखा अगले वर्ष 40,000 और बाद के वर्षों में 45,000 और 50,000 सैनिकों की भर्ती करने की है। इसके अलावा, परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, रक्षा मंत्री के पास अग्निवीरों की भर्ती संख्या बढ़ाने का अधिकार है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती के प्रयासों को अब तेज किया जा सकता है ताकि कोविड के कारण जमीनी स्तर पर सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। समिति यह भी सिफारिश करती

है कि सेनाओं में नियमित कैडर के रूप में शामिल किए अग्निवीरों के अलावा उनके एक समूह को किसी भी घटना के समय राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रखा जाए।

<u>अग्निपथ योजना</u>

8. सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने के लिए युवाओं के लिए भर्ती योजना के रूप में अग्निपथ योजना की शुरूआत 2022 में की गई है। समिति को सूचित किया गया है कि अग्निपथ योजना की एक नई गौण शीर्ष की शुरूआत सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रावधानों के तहत की गई है जो अग्निवीरों के वेतन और भत्ते, उनके सेवा निधि कोष में योगदान, बीमा कवर, अनुग्रह राशि के भुगतान को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में अग्निवीर फंड को आयकर प्रयोजन के लिए छूट-छूट-छूट का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण सहायता और सिमुलेटर को पूरा करने के लिए 2022-23 के संशोधित अनुमान में 453 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2023-24 में 4,266 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। समिति नोट करती है कि अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है, हालांकि, अग्निपथ योजना के शुरू होने के कारण अनुमानित बचत की मात्रा की गणना अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है क्योंकि यह योजना 2022 में शुरू हो गई है। एक लिखित उत्तर में, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि यह योजना व्यय नियंत्रण के लिए किया गया प्रयोग नहीं है। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश करती है कि चूंकि इस योजना का उद्देश्य युवा और फुर्तीली जनशक्ति का चयन सुनिश्चित करना है, इसलिए अग्निवीरों के प्रशिक्षण सहायतार्थ, वेतन और भत्तों के लिए पर्याप्त आवंटन को प्राथमिकता दी जाए। समिति यह भी चाहती है कि पिछली और नई अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती किए गए सैनिकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में मुख्य अंतर को की-गई-कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया जाए।

<u>सेनाओं में जासूसी की घटनाएं</u>

9. समिति को जानकारी है कि सशस्त्र सेनाओं और संबद्ध संगठनों/विभागों में जासूसी के मामले रिपोर्ट किए गए हैं । इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि ऐसे मामलों की

पुनरावृत्ति से बचने के लिए जासूसी मामलों का पता लगाने और निगरानी करने की मौजूदा प्रणाली को और मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिकारियों और जवानों को भी इस संबंध में नियमित रूप से संवेदनशील बनाया जा सकता है। विगत तीन वर्षों में सेवाओं और संबद्ध संगठनों/विभागों में पता लगाए गए ऐसे मामलों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा समिति को इस प्रतिवेदन के प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर सूचित किया जाए।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

बीआरओ को बजटीय आवंटन

10. समिति ने नोट किया कि 2022-23 के लिए, रक्षा मंत्रालय (असैन्य) के तहत सीमा सड़क संगठन को अंतिम आवंटन 9,369.50 करोड़ रुपये का था और दिसंबर 2022 तक व्यय 6,934.86 करोड़ रुपये था। बजट अनुमान (बीई) 2023-24 के लिए, रक्षा मंत्रालय (असैन्य) के तहत पूंजीगत बजट के तहत आवंटन 5,012 करोड़ रुपये और राजस्व बजट के तहत 5,167.75 करोड़ रुपये है। समिति को अवगत कराया गया है कि बीआरओ का पूंजीगत बजट वित्त वर्ष 2023-24 में 42 प्रतिशत बढ़ाकर 5,012 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि बजट अनुमान 2022-23 में 3,536 करोड़ रुपये था। उसे इस बात से भी अवगत कराया गया है कि 2023-24 के लिए बीआरओ का उद्देश्य 176 परियोजनाओं का निर्माण है जिस पर लगभग 6,377 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

11. सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक अवसंरचना के विकास और रखरखाव में सीमा सड़क संगठन की भूमिका, बीआरओ द्वारा आबंटित निधियों की विवेकपूर्ण उपयोग और निर्माण सामग्री की लागत में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि संशोधित प्राक्कलन स्तर पर अतिरिक्त निधियां, जैसा कि मांग की गई है, सीमा सड़क संगठन को आबंटित की जानी चाहिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सेनाओं के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन और प्रचालनात्मक अवसंरचना को बनाए रखना निर्बाध रूप से जारी रहे।

<u>परियोजनाओं के निष्पादन और सड़कों के रखरखाव के समक्ष आ रही चुनौतियां</u>

12. समिति को यह बताया गया है कि दुर्गम क्षेत्र, वन और वन्यजीव मंजूरी में देरी, जलवायु परिस्थितियों के कारण सीमित कार्य स्थितियाँ और भूमि अधिग्रहण में देरी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना बीआरओ को परियोजनाओं के निष्पादन और सड़कों के रखरखाव में करना पड़ रहा है। वन और वन्यजीव मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी के मुद्दे के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है और इस संबंध में काम चल रहा है। समिति चाहती है कि इन समितियों द्वारा बैठकों की बारंबारता, उसके परिणाम और प्रतिशत के संबंध में सारणीबद्ध रूप में इन समितियों को कितने मुद्दे भेजे गए और आनुपातिक रूप से ऐसी बैठकों के अंतिम परिणामों के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में ऐसे मुद्दों के समाधान की संख्या से संबंधित ब्यौरे, इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

13. 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, समिति ने बीआरओ के उन विशिष्ट मामलों/परियोजनाओं के बारे में लिखित जानकारी मांगी जो लंबित मंजूरी और उनकी वर्तमान स्थिति के कारण विलंबित हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक रक्षा मंत्रालय द्वारा यथा आश्वासन दी गई अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। समिति चाहती है कि की-गई-कार्रवाई का उत्तर प्रस्तुत करते समय सूचना तत्काल और किसी भी स्थिति में प्रस्तुत की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अनुमोदन प्राप्त करने में बीआरओ के समय और ऊर्जा को बचाने और सैनिकों की परिचालन तैयारियों में उनकी रणनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए बीआरओ को विशेष रूप से अग्रिम क्षेत्रों में, वन और वन्यजीव मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्रदान की जाए।

14. कश्मीर डिवीजन में खनन के लिए लंबित अनुमति का एक विशिष्ट मामला जो बीआरओ द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में बाधा साबित हो रहा था, समिति के ध्यान में लाया गया था। यह बताया गया है कि सघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में निष्पादित की जा रही विकास परियोजनाओं के लिए लघु खनिजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित नियमों में बदलाव करके 30 जून, 2023 तक अल्पकालिक परमिट या निपटान परमिट देने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। समिति सिफारिश करती है कि इसी तर्ज पर, बीआरओ को जम्मू और कश्मीर में अवसंरचनात्मक कार्य करने के लिए परियोजना-वार अनुमति दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो, तो समिति को सूचित किए जाने पर रक्षा मंत्रालय में उच्चतम स्तर द्वारा इस मुद्दे को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ उठाया जा सकता है।

<u>बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे में सुरक्षा मानदंड और विशेषताएं</u>

15. समिति को सूचित किया गया है कि सड़कों के निर्माण के लिए बीआरओ द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड का पालन किया जाता है और बीआरओ द्वारा गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित सभी मानदंडों का पालन किया जाता है। इसके अलावा, सुरंगों का निर्माण करते समय, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन किया जाता है जिसमें 1.5 किमी से अधिक लंबी किसी भी सुरंग के लिए एस्केप टनल का निर्माण शामिल है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हाल ही में भूमि धंसने की घटना को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि सुरंगों, पुलों, हवाई क्षेत्रों आदि जैसी सड़कों के अलावा अन्य बीआरओ द्वारा निर्मित विशेष रूप से भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की अवसंरचनाओं की लेखा परीक्षा की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि भूगर्भीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने के लिए बीआरओ द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसी सभी अपेक्षित जानकारी एकत्र की जाए ताकि आसपास के क्षेत्रों में नुकसान की किसी भी संभावना को रोका जा सके। इस प्रकार की लेखा परीक्षा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, में उन दुर्घटनाओं, यदि कोई

हों, को शामिल किया जाना चाहिए जो पानी, लेंस आदि को क्षति पहुंचाने जैसी अन्य घटनाओं के साथ-साथ हुई हैं।

<u>बीआरओ द्वारा तैनात श्रमिक</u>

16. समिति को यह बताया गया है कि बीआरओ के श्रम बल का लगभग 70 प्रतिशत झारखंड के दुमका से है और शेष 30 प्रतिशत स्थानीय श्रमिक हैं। कोविड-19 की व्यापकता की अवधि के दौरान, बीआरओ द्वारा झारखंड सरकार के साथ आकस्मिक भुगतान वाले मजदूरों की नियुक्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संबंध में, मंत्रालय ने मौखिक साक्ष्य के दौरान स्पष्ट किया कि इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना बीआरओ में एक मानक अभ्यास नहीं है और इस तरह का समझौता ज्ञापन (एमओयू) कोविड के समय के दौरान की एक विशेष व्यवस्था थी। कोविड-19 के दौरान दुमका, झारखंड के श्रम बल के योगदान को ध्यान में रखते हुए, समिति ने इस संदर्भ में सिफारिश की है कि भले ही उक्त समझौता ज्ञापन एक बार की व्यवस्था होने के नाते समाप्त हो गया हो, लेकिन बीआरओ द्वारा तैनात श्रम बल के लिए सर्वोत्तम, यथासंभव काम करने की स्थिति प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय द्वारा दुमका, झारखंड में कुछ कल्याणकारी कार्यकलापों के संचालन के लिए अनुदान इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जा सकता है कि बीआरओ द्वारा तैनात श्रम बल का बड़ा प्रतिशत इस क्षेत्र से प्राप्त हो।

17. समिति ने अनुदानों की मांगों 2019-20 की जांच के दौरान सीमा सड़क संगठन के अत्यधिक दूरस्थ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यबल के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया था। यह स्पष्ट है कि इन प्राचीन स्थानों पर बैंकों की कोई शाखा नहीं है जहां नई सड़कों का निर्माण किया जाता है और श्रमिकों को अपने परिवारों को धन हस्तांतरित करने में बहुत मुश्किल होती है। इस संबंध में बीआरओ के प्रतिनिधि ने अवगत कराया था कि ऐसे श्रमिकों के लिए महीने में दो या तीन बार मोबाइल एटीएम की सुविधा प्रदान

करने पर विचार किया जा रहा है। समिति इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहेगी और यदि कोई विकास नहीं हुआ है तो इसके कारणों की सूचना समिति को दी जाए।

<u>लद्दाख में पर्यटन और स्वरोजगार के अवसर</u>

18. समिति को पता चला है कि उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में बीआरओ द्वारा निर्मित सड़कों पर पर्यटकों के अनुकूल और सुरक्षित पारगमन के लिए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित 12 सीमावर्ती राज्यों में 75 बीआरओ कैफे की स्थापना बीआरओ द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में की गई है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि लद्दाख में अधिक स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से, रक्षा मंत्रालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ समन्वय पर भी विचार किया जा सकता है ताकि क्षेत्रों के आदिवासी पर्यटन सेवा से संबंधित उद्योग में लाभप्रद रूप से संलग्न हो सकें। चूंकि ये कैफे पहले से ही कार्यशील हैं और शुरू में यदि वे लाभ नहीं कमाते हैं तो जोर दिया जाना चाहिए कि वे लागत प्लस के आधार पर चलाए जाएं।

भारतीय तटरक्षक

<u>बजट 2023-24 और 2022-23</u>

19. समिति ने पाया कि बजट अनुमान (बीई) 2023-24 में भारतीय तटरक्षक संगठन (आईसीजी) को पूंजीगत और राजस्व शीर्षों के तहत आवंटित निधि क्रमशः 3,536 करोड़ रुपये और 3,661.47 करोड़ रुपये है। 06.02.23 तक, 2022-23 में संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर पूंजीगत बजट के तहत आवंटित 3,300 करोड़ रुपये की राशि में से 2,351.3232 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया गया है। आरई 2022-23 के लिए आवंटित राजस्व बजट के तहत 3,998.33 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 2,865.26 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया गया है। आईसीजी द्वारा निधि के उपयोग की विगत प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए,

समिति की राय में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईसीजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटन पर्याप्त हैं।

20. समिति ने 2022-23 में बजटीय आवंटन के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि विगत वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत, 2022-23 में पूंजीगत बजट के तहत आईसीजी को आरई आवंटन 4,246.37 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन से घटाकर 3300 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह लगभग 22 प्रतिशत की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बजट का पूंजीगत शीर्ष प्लेटफार्मों/उपस्करों/हथियारों के अधिग्रहण और भूमि और पूंजीगत कार्यों पर व्यय को पूरा करता है, समिति चाहती है कि की-गई-कार्रवाई उत्तरों को प्रस्तुत करते समय इस कमी के कारणों से समिति को अवगत कराया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती कि बीई चरण में ही आईसीजी के लिए निधियों का अनुमान और आवंटन करते समय विवेकपूर्ण बजटीय योजना तंत्र को अपनाया जाए ताकि बाद में संशोधित अनुमान चरण में निधियों को कम नहीं किया जाए और रक्षा मंत्रालय के तहत अन्य संगठन/विभागों को समय पर अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराई जा सकें।

<u>जनशक्ति</u>

21. समिति ने पाया कि आईसीजी में अधिकारियों, नामांकित कार्मिकों और सिविलियनों की श्रेणियों में वर्तमान संख्या क्रमशः 1765, 11584 और 1454 की संख्या है। समिति का मानना है कि आईसीजी के चार्टर में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, स्थापना और अन्य संरचनाओं और उपकरणों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना, समुद्री पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करना और तस्करी-रोधी अभियान में सीमा शुल्क और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना शामिल है। तट रक्षक की विविध भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि अतिरिक्त जनशक्ति की भर्ती के लिए ठोस प्रयास किए जाएं जो आईसीजी के लिए प्रचालनात्मक निवेश साबित होगा।

नशीले पदार्थों की तस्करी-रोधी अभियान

22. समिति ने पाया कि अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में, आईसीजी ने विगत दो वर्षों में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। समिति ने 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में मौखिक साक्ष्य के दौरान 2021 और 2022 में आईसीजी द्वारा बरामद मादक पदार्थों के मूल्य के संबंध में वांछित जानकारी मांगी थी। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तारीख तक अपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की गई है। अतिरिक्त जानकारी के अभाव में, समिति कोई निर्णायक सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन समिति चाहती है कि समिति द्वारा मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी जाए। अभी समिति अपेक्षा करती है कि समिति को की-गई-कार्रवाई उत्तरों के साथ अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जाए।

समुद्री पुलिस

23. समिति नोट करती है कि वर्तमान में, तीन स्तरीय (थ्री टीयर) तटीय सुरक्षा तंत्र विद्यमान है जिसमें समुद्री पुलिस, तट रक्षक और भारतीय नौसेना शामिल हैं। भारतीय नौसेना पर समग्र समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी है जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय तट रक्षक को अतिरिक्त रूप से समुद्री पुलिस द्वारा गश्त किए गए क्षेत्रों सहित भारत की प्रादेशिक सीमा में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति को अवगत कराया गया है कि कुछ राज्यों में समुद्री पुलिस को अपर्याप्त बजट और गश्ती जहाजों जैसे उपकरणों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में, समिति चाहती है कि देश में समुद्री पुलिस स्टेशनों, संरचना, कार्यकरण, स्वीकृत जनशक्ति की तुलना में विद्यमान जनशक्ति और उपकरण/संसाधनों, गत तीन वर्षों के लिए आवंटित और उपयोग किए गए बजट का विवरण इस रिपोर्ट की प्रस्तुति से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सभी हितधारकों द्वारा समन्वय बढ़ाने और अन्य समुद्री सुरक्षा और

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समुद्री पुलिस के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अभ्यासों के लिए कदम उठाए जाएं।

रक्षा संपदा संगठन

<u>बजटीय प्रावधान</u>

24. समिति को पता चला है कि रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के लिए बजट अनुमान 2023-24 के तहत राजस्व और पूंजीगत मद के तहत क्रमश: 620.05 करोड़ रुपये और 42.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति ने मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच करते हुए पाया कि डीजीडीई को पूंजीगत बजट के लिए आवंटित राशि में बजट अनुमान 2022-23 से संशोधित अनुमान 2022-23 में कमी आई है, अर्थात् 173.03 करोड़ रुपये से 48.50 करोड़ रुपये कर दिए गए। समिति पूंजीगत मद के तहत बजट अनुमान 2022-23 से संशोधित अनुमान 2022-23 तक लगभग 120 करोड़ रुपये की इस कटौती के कारणों से अवगत होना चाहेगी। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा वित्तीय नियोजन के ठोस और विवेकपूर्ण सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के आवंटन में कोई उल्लेखनीय विचलन न हो।

25. समिति को पता चला है कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) छावनी बोर्डों को उनके बजट को संतुलित करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2021-22 के दौरान, 62 में से 49 छावनी बोर्डों को रक्षा मंत्रालय से अनुदान सहायता प्राप्त हुई। साधारण अनुदान सहायता के अलावा, भूमिगत सीवरेज प्रणाली, जल आपूर्ति योजनाओं, अस्पतालों और स्कूलों आदि के निर्माण जैसी पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान वर्ष 2012-13 से भी प्रदान किए जा रहे हैं। समिति ने पाया कि बजट अनुमान 2023-24 के लिए छावनियों को कुल अनुदान सहायता 447.60 करोड़ रुपये है। एक लिखित निवेदन के माध्यम से, समिति को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में, 54 छावनी बोर्ड घाटे में हैं और उन्हें अपने बजट को संतुलित करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय द्वारा छावनियों को अनुदान सहायता में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त बजट की कमी के कारण छावनी क्षेत्रों में असैन्य सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं/पहल प्रभावित न हों।

छावनी अधिनियम, 2006 में संशोधन

26 . समिति को ज्ञात है कि एक नए छावनी विधेयक को संसद में पेश करने की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति के अध्ययन दौरों के दौरान, उसे यह बताया गया कि इस विधेयक से कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जैसे छावनियों के राजस्व में वृद्धि, संपत्तियों की मरम्मत में प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करना आदि। अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान समिति को सूचित किया गया कि सरकार के दृष्टिकोण से, संशोधित छावनी अधिनियम के कुछ पहलुओं में अभी भी कमी है। समिति को बताया गया सरकार का दृष्टिकोण यह है कि असैन्य क्षेत्र सैन्य कमांडर के प्रशासन के अधीन नहीं होंगे। छावनी क्षेत्रों के निवासियों के हित और देश में छावनी बोर्डों के कार्यकरण में अधिक लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाएं कि नया अधिनियम जल्द से जल्द लागू हो।

छावनियों में स्थित असैन्य क्षेत्रों का आसपास की नगर पालिकाओं के साथ विलय

27 . छावनियों में असैन्य क्षेत्रों के निकटवर्ती नगर पालिकाओं के साथ विलय के मुद्दे के संबंध में समिति को ज्ञात हुआ है कि असैन्य क्षेत्रों को अलग करके राज्य सरकार को सौंपने में समय लगेगा क्योंकि इसमें मूल्यवान भूमि शामिल है। इसके अलावा, इस संबंध में राज्य सरकार की सहमति भी आवश्यक है। यह बताया गया है कि सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के असैन्य क्षेत्रों के नगर निकाय के साथ विलय की जांच करने के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा नियुक्त पैनल ने रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश करती है कि मुख्य निष्कर्ष और उक्त रिपोर्ट में सिफारिशें और प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए मंत्रालय की योजना की-गई-कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय उसे सूचित किया जाए। अन्य राज्यों की छावनियों के सिविल क्षेत्रों के आस-पास की नगरपालिकाओं के साथ विलय के प्रस्ताव जो वर्तमान में मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं के बारे में विवरण समिति को प्रस्तुत किए जाए।

छावनी क्षेत्रों में असैन्य जनसंख्या के हित

28. अनुदानों की मांगों 2023-24 पर विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने छावनी क्षेत्रों में असैन्य जनसंख्या की शिकायतों का मुद्दा उठाया। ऐसा ही एक मुद्दा छावनी क्षेत्रों में कुछ सड़कों के

गुजरने से संबंधित है। इस संबंध में रक्षा सचिव ने समिति को अवगत कराया कि पूरी तरह से यात्रा की अनुमति सेनाओं की आवश्यकताओं और सुरक्षा विचारों पर निर्भर है। इसके अलावा, संयुक्त सचिव स्तर की समिति प्रत्येक छावनी का दौरा कर रही है और इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय किया जाएगा। समिति सिफारिश करती है कि चूंकि छावनी क्षेत्रों में नागरिकों की अप्रतिबंधित आवाजाही एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से नागरिक-सैन्य संबंधों की जांच कर रहा है, इसलिए समिति के काम में तेजी लाई जानी चाहिए और मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर एक संतुलित निर्णय किया जाना चाहिए। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संयुक्त सचिव स्तरीय समिति के निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय लेते समय सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

<u>छावनियों के भवन उपनियम</u>

29. समिति को पता चला है कि मंत्रालय द्वारा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) को छह छावनियों का अध्ययन करने और छावनियों के लिए भवन उप-नियमों में संशोधन करने के संबंध में सिफारिशें करने और छावनियों के पुन: विकास के लिए एक योजना का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है। टेरी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और टेरी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मॉडल बिल्डिंग उप-नियमों का प्रारूप विचाराधीन है। समिति को की-गई-कार्रवाई नोट प्रस्तुत करते समय टेरी की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की स्थिति से समिति को अवगत कराएं। वह यह भी सिफारिश करते हैं कि छावनी क्षेत्रों में लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, संशोधित भवन उप-नियमों में विभिन्न घटकों के बारे में अधिसूचना एक बार में संपूर्ण संशोधित नीति को अधिसूचित करने में समय लेने के बजाय छोटे लॉट में की जा सकती है।

<u>रक्षा भूमि से संबंधित कानूनी मामलों का समाधान</u>

30. समिति ने, इस विषय पर चर्चा के दौरान, रक्षा भूमि से संबंधित लंबित अदालती मामलों के बारे में वांछित जानकारी मांगी। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक सचिवालय में अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। समिति चाहती है कि की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय अपेक्षित सूचना अब सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए। समिति लोक अदालतों के क्षेत्र में हाल ही में हुई डिजिटल प्रगति से अवगत है। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा भूमि से संबंधित विवादों के तेजी से समाधान को प्राप्त करने की दृष्टि से, जहां भी व्यावहारिक हो, ऐसे डिजिटल नवाचारों को भी अपनाए।

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू)

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की दक्षता

31. 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए नौ डीपीएसयू की ऑर्डर बुक की स्थिति की जांच करने पर समिति ने पाया कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) का ऑर्डर बुक मूल्य अन्य पुराने डीपीएसयू की तुलना में काफी कम है। समिति को पता चला है कि मिधानी विशेष इस्पात, सुपर अलॉयज (मिश्र धातुओं) के विनिर्माताओं में से एक है और देश में टाइटेनियम अलॉयज का एकमात्र विनिर्माता है। यद्यपि मिधानी बलों को सीधे आपूर्ति नहीं करता है, तथापि मिधानी द्वारा विकसित सामग्रियों का उपयोग देश के अंतरिक्ष, एयरोस्पेस, रक्षा और परमाणु क्षेत्रों में किया जाता है। अत:, समिति यह सिफारिश करती है कि मिधानी के परामर्श से ठोस कदम उठाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिधानी उत्पादों की दक्षता और लाभप्रदता अन्य डीपीएसयू की तुलना में कम न हो। इस संबंध में यह कहना भी आवश्यक है कि रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत: समिति चाहती है कि डीडीपी इस संबंध में व्यापक जानकारी दे।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के प्रयास और आत्मनिर्भरता

32. समिति को पता चला है कि 2021-22 में स्वदेशी और विदेशी स्रोतों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में कुल पूंजीगत खरीद का मूल्य 1,13,511.11 करोड़ रुपये है, जिसमें विदेशी विक्रेताओं से 40,325.09 करोड़ रुपये की खरीद शामिल थी। समिति ने नोट किया कि डीपीएसयू द्वारा रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा प्लेटफार्मों में प्रयुक्त घटकों और पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए नीति की अधिसूचना, उप-प्रणालियों, संघटकों आदि के स्वदेशीकरण की सकारात्मक सूचियों की अधिसूचना जारी करना और भारतीय विनिर्माण उद्योग को उन मदों की प्रदान करने के लिए सृजन पोर्टल शुरू करना शामिल है जिनका डीपीएसयू और बलों द्वारा पूर्व में आयात किया गया है अथवा जिनके भविष्य

में आयात किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय द्वारा उद्योग के नेतृत्व में विभिन्न माध्यमों से डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफार्मों की घोषणा की गई है।

33. समिति ने देखा कि 2021-22 में स्वदेशी और विदेशी स्रोतों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में कुल पूंजीगत खरीद के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार स्वदेशी रक्षा क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में कुल खरीद में से स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत खरीद क्रमशः लगभग 60, 51, 58 और 64 प्रतिशत थी। इस संदर्भ में, समिति चाहती है कि सेवाओं द्वारा प्रमुख पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत आयातित महत्वपूर्ण घटकों और प्रणालियों जिन्हें वर्तमान में देश में विकसित या निर्मित नहीं किया जा रहा है, का विवरण दिया जाए और ऐसा करने के कारण बताए जाएं। इसके अतिरिक्त, डीपीएसयू द्वारा रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण की वृद्धि का आकलन करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि डीपीएसयू द्वारा विनिर्माण और उत्पादन में उपयोग की जा रही आयात सामग्री की तुलना में स्वदेशी सामग्री पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए और साथ ही आयातित सामग्री के स्वदेशीकरण के लिए मंत्रालय और डीपीएसयू द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया जाए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डीपीएसयू हमारे रक्षा उत्पादन का मुख्य आधार हैं, समिति ने डीपीएसयू से अपनी मुख्य दक्षताओं को और विकसित करने और आयात प्रतिस्थापन संबंधी प्रयासों को बढ़ाने की स्पष्ट सिफारिश की है ताकि हमारा देश रक्षा उत्पादन में जल्द से जल्द पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। एक बार आत्मनिर्भर होने के बाद ये डीपीएसयू अपने उत्पादों को मित्र देशों को भी निर्यात करने की स्थिति में होंगे। सामान्यत: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय को समय पर आर्डर देने, वित्तीय सहायता, डीपीएसयू को प्रौद्योगिकी अंतरण आदि के संदर्भ में पर्याप्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के अनुसरण में जहां कहीं भी आवश्यक

हो, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सहायता ली जानी चाहिए। वे इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि हमारे विदेशी मिशन से जुड़े सैन्य अताशे भी वांछित मदद कर सकते हैं। समिति चाहती है कि उसे हमारे विदेशों में तैनात सभी सैन्य अताशे की एक सूची उपलब्ध कराई जाए और हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में मिशनों में तैनात किए जाने हेतु अपेक्षित अताशे की संख्या के बारे में भी जानकारी दें।

<u>भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)</u>

34. समिति को पता चला है कि बीडीएल सशस्त्र बलों को विभिन्न मिसाइलों और संबद्ध उपकरणों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए डीआरडीओ और विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ साझेदारी में काम कर रहा है। डीएफजी 2023-24 की जांच के संबंध में मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया है कि बीडीएल ने विदेशी सहयोग से मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि उन्हें एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए जिसमें इस साझेदारी के लिए डीआरडीओ के बजाय किसी अन्य कंपनी के चयन का कारण बताया जाए।

<u>डीपीएसयू के बोर्डों में गैर-आधिकारिक/स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती</u>

35. समिति की सुविचारित राय है कि गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के माध्यम से तथा प्रबंधन और हितधारकों के हितों में संतुलन स्थापित करके कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में योगदान करते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि डीपीएसयू के बोर्डों में गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक के पद, यदि रिक्त हैं, तो उन्हें तत्काल भरा जाए।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण (ईएसडब्ल्यू)

बजट

36. समिति को यह ज्ञात हुआ कि बजट अनुमान 2023-24 के तहत पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) को क्रमशः 33.80 करोड़ रुपये और 5,431.56 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) सचिवालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) को क्रमशः 304.30 करोड़ रुपये और 9 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। समिति ने मंत्रालय के इस उत्तर से नोट किया कि पिछले वित्त वर्ष में पर्याप्त बजटीय अनुदान के कारण केएसबी और ईसीएचएस से संबंधित बकाया भुगतानों को चुका दिया गया है। पूर्व सैनिकों के कल्याण की देखभाल से संबंधित संगठनों/प्रभागों के बजटीय आबंटनों के आंकड़ों की जांच करने पर समिति ने पाया कि डीईएसडब्ल्यू को प्रदान की गई धनराशि 2021-22 से बजट अनुमान 2023-24 तक 9 करोड़ रुपये पर स्थिर रही है। मुद्रास्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समिति उक्त अवधि के लिए डीईएसडब्ल्यू को प्रदान की गई निधियों में कोई वृद्धि न होने के कारणों से अवगत होना चाहेगी।

पुनर्वास के अवसर

37. समिति को यह ज्ञात हुआ कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु नए मार्ग खोलने के लिए की जा रही कुछ नई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेटों के साथ गठजोड़, पुनः स्थापन परियोजना और डीजीआर सुरक्षा एजेंसी स्कीम शामिल है। देश में सड़क अवसंरचना के निर्माण में हो रही तीव्र प्रगति को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि ईएसएम या ईएसएम के समूह द्वारा राजमार्गों के साथ-साथ किसी विशेष क्षेत्र में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों और भोजनालयों को खोलने/परिचालन की सुविधा की व्यवहार्यता की जांच रक्षा मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इस प्रस्ताव में समन्वय के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की इस नई योजना के लिए अपेक्षित निधियां डीईएसडब्ल्यू को आबंटित की जाएं।

<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ</u>

38. समिति को यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित आरक्षण लाभ उपलब्ध हैं:

- **i) केंद्र सरकार में आरक्षण (ग्रुप 'सी' के पदों में 10%);**
- **ii) पीएसयू/बैंक में आरक्षण (विकलांग ईएसएम/सेवा में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5% सहित ग्रुप 'सी' में 14.5% और ग्रुप 'डी' में 24.5%);**
- **iii) केन्द्रीय पुलिस संगठनों/अर्ध सैनिक बलों - सहायक कमांडेंट के पद तक 10%; और**
- **iv) रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) - 100%**

समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट निवेदन से नोट करती है कि ईएसएम द्वारा उपर्युक्त आरक्षण प्रावधानों का लाभ उठाने का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों में से एक कारण ईएसएम का रोस्टर पूरा न होना है। इस संदर्भ में, समिति सिफारिश करती है कि ईएसएम के लिए ड्राफ्ट रोस्टर को मिशन मोड में अंतिम रूप दिया जाए और ईएसएम के लिए आरक्षित पदों में रिक्तियों को भरने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्र/राज्य सरकारों से पुरजोर कार्रवाई की मांग की जाए। यहां केंद्र सरकार का तात्पर्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से है।

39. समिति का मत है कि विभिन्न पदों पर ईएसएम के लिए आरक्षित कोटे का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होने का एक कारण, वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन से मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा हो सकती है। इसके अलावा, पदों में आरक्षण और आयु में छूट के बावजूद, कुछ ईएसएम पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, हितधारकों के परामर्श से ईएसएम द्वारा आरक्षण लाभ प्राप्त करने के संबंध में एक अध्ययन किया जाए।

<u>जिला सैनिक बोर्ड</u>

40. समिति को ज्ञात हुआ है कि केएसबी सचिवालय पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण और कल्याण निधियों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्य में 34 राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और 403 जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) सहायता प्रदान करते हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों के संबंध में आरएसबी/जेडएसबी के रखरखाव पर किए गए व्यय का 75% और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 60% हिस्सा भारत सरकार वहन करती है, जबकि शेष व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

41. समिति को आगे यह ज्ञात हुआ कि जिला सैनिक बोर्ड की संरचना निम्नवत् है:

अध्यक्ष : जिला कलेक्टर
उपाध्यक्ष : वरिष्ठ भूतपूर्व सैन्य अधिकारी
पदेन सदस्य: राज्य सरकार के विभागों के प्रमुख/ भर्ती अधिकारी
गैर-सरकारी: दो भूतपूर्व सैनिक
सदस्य: चार प्रसिद्ध नागरिक
सचिव: जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

मंत्रालय ने इस विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि वर्तमान नियमों और उपयुक्त सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न राज्यों में जिला सैनिक बोर्डों की संरचना अलग-अलग है। समिति का विचार है कि जिला सैनिक बोर्ड ईएसएम और उनके परिवारों/आश्रितों की शिकायतों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि देश में सभी जिला सैनिक बोर्डों का समुचित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के साथ समन्वय के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय द्वारा एक समान नीति तैयार की जाए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि नीति में सभी हितधारकों जैसे राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और पूर्व सैनिकों के विचारों को शामिल किया जाना चाहिए।

42. अनुदानों की मांगों (डीएफजी) 2023-24 पर चर्चा के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों कि भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला सैनिक बोर्डों में स्थानीय संसद सदस्यों को शामिल करने की व्यवहार्यता पर भी चर्चा की गई। यह देखते हुए कि किसी जिले में विकास समन्वय और निगरानी समितियों (दिशा) का सभापति उस जिले से चुना गया सबसे वरिष्ठ सदस्य (लोकसभा) होता है और वह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित होता है तथा जिला कलेक्टर सदस्य सचिव होता है, समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक समाधान यह है कि ईएसएम से संबंधित मुद्दों की सार्थक चर्चा के लिए जिला सैनिक बोर्ड के सचिवों को दिशा बैठकों में बुलाया जाए। चूंकि समिति ने जांच के लिए एक अलग विषय के रूप में 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय का चयन किया है जिसकी जांच चल रही है, वह उक्त संदर्भ में प्रतिवेदन तैयार करते समय इस मुद्दे की विस्तार से जांच करना चाहेंगे। तथापि, वह चाहेंगे कि रक्षा मंत्रालय पहले समिति की सिफारिश के संबंध में अपनी उचित राय दे।

<u>अग्निपथ योजना</u>

43. समिति नोट करती है कि अग्निपथ योजना 2022 में सशस्त्र बलों में सेवा हेतु युवाओं के लिए भर्ती योजना के रूप में शुरू की गई है। समिति इस बात से अवगत है कि केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों और कुछ औद्योगिक और वित्तीय संस्थानों द्वारा उन अग्निवीरों के लिए आयु में छूट और रिक्तियों में आरक्षण सहित विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है जो सशस्त्र बलों में नियमित सेवा के लिए शामिल नहीं किए जाएंगे। समिति चाहती है कि ऐसे प्रोत्साहनों, लाभों और अवसरों का विवरण समिति को की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया जाए। वह यह भी सिफारिश करती है कि देश के युवाओं में पेशे के विकल्प के रूप में सशस्त्र बलों का आकर्षण बनाए रखने के लिए, अग्निपथ योजना के तहत उपलब्ध लाभों का मीडिया के सभी रूपों के माध्यम से व्यापक प्रचार करना चाहिए।

44. समिति नोट करती है कि अग्निवीर, जिन्हें सेना में शामिल नहीं किया जाएगा, उनकी उम्र उन पूर्व सैनिकों की तुलना में बहुत कम होगी, जिनकी वर्तमान में डीजीआर देखरेख कर रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा ऐसे अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए एक केंद्रित और विशिष्ट दृष्टिकोण तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण 2023 में शुरू हो गया है और उनका अनुवर्ती चयन 2026-2027 में पूरा हो जाएगा, समिति सिफारिश करती है

कि जिन अग्निवीरों को सेना में शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात् उनमें से 25% के सेना में चयनित होने के पश्चात् शेष अग्निवीरों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पर्याप्त शैक्षिक और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में एक अलग नोडल एजेंसी/प्रभाग स्थापित किया जाए।

<u>शहीदों को प्रदान किए जाने वाले अनुग्रह आर्थिक लाभ/प्रतिपूर्ति में एकरूपता न होना</u>

45. समिति यह नोट करती है कि देश के विभिन्न राज्यों में शहीदों को प्रदान किए जाने वाले अनुग्रह आर्थिक लाभों/प्रतिपूर्ति में एकरूपता नहीं है। समिति ने अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में भी इस मुद्दे को उठाया है। । अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान समिति को बताया गया कि इस मामले को अप्रैल, 2023 में होने वाली केंद्रीय सैनिक बोर्ड की आगामी बैठक के दौरान चर्चा हेतु कार्य-सूची के रूप में शामिल किया जाएगा। समिति चाहती है कि उक्त मुद्दे पर केएसबी की बैठक के परिणाम से उन्हें यथाशीघ्र सूचित अवगत कराया जाए।

<u>सशस्त्र बलों में रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां</u>

46. समिति को ज्ञात हुआ है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला (तकनीकी और गैर तकनीकी) के लिए रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए 5% का आरक्षण प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में, समिति ने अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान एक युद्ध में शहीद हुए सैनक की विधवा का मामला मंत्रालय के संज्ञान में लाया था जिसमें युद्ध में शहीद हुए सैनक की विधवा ने एसएसबी मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लिया था, तथापि, रिक्ति को तब तक अधिसूचित नहीं किया गया था। समिति ने 'सशस्त्र बलों में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों का आकलन' विषय से संबंधित अपनी 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में भी इस मुद्दे की जांच की थी। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए सशस्त्र बलों में आरक्षित रिक्तियों और अधिसूचना को समय पर जारी करने के लिए तत्काल उपयुक्त तंत्र बनाया जाना चाहिए।

<u>देश के ओलंपिक पदक विजेताओं को सशस्त्र बलों में अधिकारी कैडर में नियुक्त/पदोन्नत करना</u>

47. समिति ने अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच के दौरान रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान देश के ओलंपिक पदक विजेताओं को सशस्त्र बलों में अधिकारी कैडर में नियुक्त/पदोन्नत करने की संभावनाओं को तलाशने का मुद्दा उठाया। मंत्रालय ने आश्वासन

दिया है कि आवश्यक जांच के लिए सेवाओं में इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। समिति यह चाहती कि की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच के परिणाम प्रस्तुत किया जाए।

रक्षा पेंशन

<u>बजटीय प्रावधान</u>

48. समिति का मानना है कि रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा पेंशन, तीनों सेवाओं अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैन्य कर्मचारियों सहित) और पूर्ववर्ती भारतीय आयुध कारखानों आदि के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभारों का उपबंध करती है। इसमें सेवा पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का कम्यूटेड मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि शामिल हैं। समिति को सूचित किया जाता है कि 1.4.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में रक्षा पेंशनभोगियों की कुल संख्या 32,94,181 है, जिसमें 6,14,536 रक्षा असैन्य पेंशनभोगी और 26,79,645 सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगी शामिल हैं। समिति ने पाया कि बजट अनुमान (बीई) 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को आवंटित 5,93,537.64 करोड़ रुपये के कुल बजट में से 1,38,205 करोड़ रुपये अर्थात पूरे रक्षा बजट का 23.28 प्रतिशत रक्षा पेंशन के लिए निर्धारित किया गया है। समिति को यह बताया गया है कि बजट अनुमान 2023-24 के लिए 18,509.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता बजट अनुमान 2022-23 (1,19,696.00 करोड़ रुपये) की तुलना में (1,38,205 करोड़ रुपये) पेंशन, महंगाई राहत और बढ़ी हुई वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) दरों में सामान्य वृद्धि के कारण है। समिति समझती है कि रक्षा पेंशन के लिए बजट उन लोगों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है और सेनाओं की युवा और सतर्क प्रोफ़ाइल बनाए रखने के लिए, रक्षा कर्मियों का एक बड़ा प्रतिशत अपने असैन्य समकक्षों की तुलना में बहुत कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाता है और इसलिए, पूर्व को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पर्याप्त देनदारियों को पूरा करना पड़ता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि,

बढ़ी हुई महंगाई राहत और ओआरओपी के कार्यान्वयन के कारण पेंशन राशि में वृद्धि के मूल्यांकन के बाद, यदि संशोधित प्राक्कलन चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग की जाती है, तो इस मद में आवंटित की जानी चाहिए।

<u>पेंशन प्रशासन(रक्षा) के लिए स्पर्श-प्रणाली</u>

49. समिति को पता चला है कि 2017-18 के बजट भाषण में घोषित पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) (स्पर्श), रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन के प्रशासन के लिए व्यापक समाधान प्रदान करना है। 15.1.2023 की स्थिति के अनुसार विभिन्न पेंशन संवितरण एजेंसियों (पीडीए) से 19,33,233 विरासती पेंशनभोगी (7वें सीपीसी से पहले और बाद दोनों के पेंशनभोगी) स्पर्श में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, मौजूदा बैंकों से शेष पेंशनभोगियों का स्थानांतरण भी प्रक्रिया में है। समिति ने नोट किया है कि स्पर्श में लगभग 13 लाख पेंशनभोगियों का स्थानांतरण लंबित है और इसलिए,वह सिफारिश करती है कि शेष पात्र पेंशनभोगियों की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य तिथि निर्धारित की जाए ताकि स्पर्श के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण का लाभ प्रत्येक रक्षा पेंशनभोगी तक पहुंच सके। वह यह भी सिफारिश करते है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों, जिनके पास प्रौद्योगिकीय जागरूकता और डिजिटल सुविधाओं तक तैयार पहुंच की कमी है, के लिए चलाए गए आउटरीच कार्यक्रमों के बारे में ब्यौरे इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय समिति को सूचित किए जाएं।

<u>वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी)</u>

50. ओआरओपी को रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.11.2015 के आदेश द्वारा 01.07.2014 से लागू किया गया था। ओआरओपी का तात्पर्य है कि समान रैंक पर सेवा की समान अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेना कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। समिति को यह बताया गया है कि ओआरओपी का अर्थ है समय-समय पर वर्तमान पेंशनभोगियों और पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन दर के बीच के

अंतर को पाटना। समिति ने नोट किया है कि ओआरओपी के कार्यान्वयन का अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव 31% महंगाई राहत (डीआर) की दर से 8,450.04 करोड़ रुपए है। लागू महंगाई राहत के अनुसार 01.07.2019 से 30.06.2022 तक 23,638.07 करोड़ रुपये की बकाया राशि का अनुमान लगाया गया है। यह व्यय ओआरओपी के कारण चल रहे व्यय के अतिरिक्त है। यह बताया गया है कि रक्षा लेखा (पेंशन) के प्रधान नियंत्रक द्वारा हाल ही में एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें बैंकों, लेखा कार्यालयों, पेंशन वितरण प्राधिकरणों और अन्य संबंधित एजेंसियों को मार्च 2023 से पहले सभी पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी के बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। समिति चाहती है कि इस संबंध में तथ्यात्मक ब्यौरा इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के एक महीने के भीतर उन्हें प्रस्तुत किया जाए। चूंकि ओआरओपी का मुद्दा और इसके कार्यान्वयन संबंधी पहलू विभिन्न कारणों से पूर्व में न्यायाधीन रहे हैं, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस मामले में पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के साथ नियमित रूप से वार्ता हेतु बैठकें, या तो भौतिक रूप से या आभासी(वर्चुअल) मोड में आयोजित की जाएं।

नई दिल्ली; **जुएल ओराम**
17 मार्च, 2023 **सभापति**
26 फाल्गुन, 1944 (शक) **रक्षा संबंधी स्थायी समिति**

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1800 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. कुंवर दानिश अली
6. श्री एन. रेड्डप्पा
7. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
8. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्यसभा

9. डॉ. अशोक बाजपेयी
10. श्री प्रेम चंद गुप्ता
11. श्री सुशील कुमार गुप्ता
12. श्रीमती पी.टी. उषा
13. श्री जी.के. वासन
14. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

क्रमांक	**नाम**	**पद**
आम रक्षा बजट		
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
5.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
6.	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
7.	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
9.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफ़डी)
10.	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी और एस)
11.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्ज्युटेंट जनरल
12.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
13.	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
14.	लेफ्टिनेंट जनरल वी श्रीहरि	डीजी (एमपी और पीएस)
15.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
16.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
17.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
18.	एवीएम एच बैंस	जेएस (वायु) और जेएस (नौसेना)
19.	श्री डी.के. राय	जेएस (प्लानिंग/पार्ल) और एस्टा.
20.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना और टीए)
21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
22.	आर एडमिरल दलबीर एस गुजराल	एसीआईडीएस (एफपी और एडीएम)
23.	रियर एडमिरल सीआर प्रवीण नायर	एसीएनएस (पी और पी)

24.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
25.	ब्रिगेडियर अजय कटोच	ब्रिगेडियर एसपी (योजना)

रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम

1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
5.	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
6.	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
7.	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
8.	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)
9.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
10.	सीएमडी सिद्धार्थ मिश्रा (सेवानिवृत्त)	सीएमडी, बीडीएल
11.	श्री सी बी अनंत कृष्णन	सीएमडी, एचएएल
12.	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव	सीएमडी, बीईएल
13.	सीएमडी हेमंत खत्री	सीएमडी, एचएसएल
14.	श्री अमित बनर्जी	सीएमडी, बीईएमएल
15.	श्री ब्रजेश कुमार उपाध्याय	सीएमडी, जीएसएल
16.	सीएमडीई पीआर हरि	सीएमडी, जीआरएसई
17.	डॉ. एस. के. झा	सीएमडी, मिधानी
18.	श्री संजीव सिंघल	सीएमडी, एमडीएल
19.	श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)
20.	सीएमडीटी राजीव पंहोत्रा	एजीएम (जीएसएल)

रक्षा संपदा महानिदेशालय

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार	डीजी एलडब्ल्यू एंड ई
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	श्री राकेश मित्तल	जेएस (एल और डबल्यू / एसएस)
7.	श्री अजय कुमार शर्मा	डीजीडीई
8.	सुश्री सोनम यांगडोल	एडिशनल डीजी
9.	मेजर जनरल राजदीप सिंह रावल	एडीजी एलडब्ल्यू एंड ई
10.	सुश्री शर्मिष्ठा मैत्रा	निदेशक (भूमि)

11.	श्री वलेती प्रेमचंद	एडिशनल डीजी
12.	सुश्री निगार फातिमा	एडिशनल डीजी
13.	सुश्री विभा शर्मा	एडिशनल डीजी
14.	श्री अमित कुमार	डीडीजी
15.	श्री अभिषेक आजाद	सहायक महानिदेशक
16.	श्री विजय मल्होत्रा	निदेशक (प्रश्नोत्तर/कार्य)

सीमा सड़क संगठन

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी	डीजीबीआर
3.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
4.	डॉ. अजय कुमार	जेएस (बीआर)
5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
8.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी

तटरक्षक संगठन

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
3.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
4.	श्री मनीष त्रिपाठी	जेएस (एएफ़/ नीति)
	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी
5.		आईसीजी

नौसेना और संयुक्त स्टाफ

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस
4.	वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी	पुलिस अधिकारी
5.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस
6.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
7.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
8.	एवीएम एच बैंस	जेएस (नौसेना)
9.	आर एडमिरल दलबीर एस गुजराल	एसीआईडीएस
10.	आर एडमिरल कपिल मोहन धीर	वरिष्ठ सलाहकार/डीएमए
11.	आर एडमिरल सीआर प्रवीण नायर	एसीएनएस (पी और पी)
12.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों की बैठक की कार्यसूची अर्थात् मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया।

3. तत्पश्चात, सभापति ने समिति की बैठक में रक्षा सचिव, सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जो कि रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों वर्ष 2023-24 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।

4. सभापति ने बैठक की समग्र कार्यसूची अर्थात वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में 'सामान्य रक्षा बजट, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए), रक्षा मंत्रालय (सिविल), रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम (डीपीएसयू), रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), तटरक्षक संगठन (सीजीओ), नौसेना और संयुक्त कर्मचारी' विषयों पर में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को जानकारी देने का अनुरोध किया। उन्होने उनका ध्यान माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 55(1) की ओर भी आकर्षित किया जिसके अनुसार यहां पर जो भी चर्चा की गई है, उसे तब तक गोपनीय रखा जाए जब तक कि इस विषय पर समिति का प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाए।

5. रक्षा सचिव ने 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा सेवा अनुमानों और अन्य अनुदान मांगों का अवलोकन करके चर्चा शुरू की। रक्षा सचिव द्वारा दिए गए संक्षिप्त विवरण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

एक. बजट 2022-23 में आवंटन की तुलना में कुल रक्षा बजट में 68,371 करोड़ रुपये अर्थात् 13 प्रतिशत की वृद्धि; और

दो. 2023-24 में गैर-वेतन राजस्व आवंटन में अभूतपूर्व 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6. तत्पश्चात्, समिति के समक्ष सामान्य रक्षा बजट पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा आवंटन में वृद्धि;

ii. युद्ध की उभरती और विकसित प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हथियारों और गोला-बारूद के उन्नयन और आधुनिकीकरण की योजना;

iii. 2023-24 में अनुसंधान और विकास और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए आवंटन;

iv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों, हथियारों और गोला-बारूद की समय पर खरीद;

v. संशोधित अनुमान 2022-23, मुद्रास्फीति और डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए रक्षा बजट में वृद्धि;

vi. अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के कारण पेंशन देनदारियों पर बचत और प्रभाव;

vii. रक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीति;

viii. सशस्त्र सेनाओं के लिए जनशक्ति की भर्ती बढ़ाने की आवश्यकता;

ix. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट;

x. अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन;

xi. देश के कुल बजट में रक्षा बजट का हिस्सा;

xii. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के अनुमान और आबंटन के बीच अंतर;

xiii. जासूसी की घटनाओं को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की मौजूदा प्रणाली;

xiv. घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूंजीगत अधिप्राप्ति के 68 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति;

xv. रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ सहयोग;

xvi. रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन;

xvii. रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार देशों का चयन; और

xviii. बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ तुलना।

7. समिति की ओर से माननीय सभापति ने बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2023 के सफल आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय, एचएएल, डीआरडीओ और अन्य भागीदार संगठनों को बधाई दी।

8. जलपान के पश्चात् रक्षा मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के प्रतिनिधियों ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से 'सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों' विषय पर संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. डीपीएसयू के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती;

ii. डीपीएसयू के बोर्डों में रिक्तियों को भरना;

iii. देश में कच्चे माल की उपलब्धता;

iv. मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता;

v. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निजी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों से सहायता;

vi. देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ डीपीएसयू का समन्वय;

vii. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा अधिग्रहित नई संविदाएं;

viii. रक्षा औद्योगिक गलियारों के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध;

ix. रक्षा विनिर्माण में निजी कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता;

x. मिसाइलों और रॉकेटों के निर्माण के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा विदेशी सहयोग;

xi. एचएएल की उत्पादन क्षमता, किसी उत्पाद के विकास में लगने वाला समय और स्वदेशी इंजनों का उपयोग;

xii. बाजार में मिधानी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य उपकरणों और स्टेंट की उपलब्धता;

xiii. एचएएल द्वारा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान और 5वीं पीढ़ी के विमानों के निर्माण के लिए समय सीमा;

xiv. उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए बीईएल का योगदान;

xv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों के विकास और वितरण के लिए डीपीएसयू द्वारा लिया गया समय;

xvi. स्वदेशीकरण की 4 सकारात्मक सूचियों में अंतर;

xvii. डीपीएसयू द्वारा स्वदेशीकरण के प्रयासों को तेज करने और निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता;

xviii. अंबाला में रक्षा गलियारों और अन्य सुविधाओं की स्थापना; और

xix. मिधानी द्वारा बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्माण की प्रगति।

9. इसके पश्चात्, रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक चर्चा हुई:

i. 2022-23 के लिए डीईओ के संशोधित अनुमान आबंटन में वृद्धि;

ii. रक्षा भूमि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव;

iii. छावनी क्षेत्रों में आम जनता द्वारा सड़कों के उपयोग में होने वाली असुविधाओं आदि जैसे मुद्दे और इन मुद्दों के समाधान के प्रयास;

iv. छावनी बोर्डों के लिए चुनाव;

v. छावनी क्षेत्रों में 'मरम्मत' करने के लिए सीमा में वृद्धि और उप-नियमों में संशोधन;

vi. नया छावनी विधेयक;

vii. स्कूलों और रक्षा संस्थानों को छावनी क्षेत्रों से सटे सिविल नगर निकायों

को सौंपने के संबंध में नीति; और

viii. डीईओ से संबंधित लंबित मामले।

10. डीईओ के पश्चात्, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इस विषय पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया:

i. बीआरओ द्वारा निर्माण के लिए वन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की मंजूरी;

ii. बीआरओ द्वारा निर्मित सामान्य सड़क और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्मित सड़क के बीच लागत का अंतर;

iii. किसी सड़क को 'सीमा' सड़क के रूप में वर्गीकृत करना;

iv. पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ के लिए आबंटित बजट और संशोधित

अनुमानों के बीच अंतर;

v. 2023-24 के लिए बीआरओ के बजटीय आंकड़े;

vi. उत्तराखंड के जोशीमठ में हाल की घटना को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को निष्पादित करते समय बीआरओ द्वारा सुरक्षा, भूवैज्ञानिक और सुरक्षा मापदंडों पर विचार;

vii. जनशक्ति की आपूर्ति के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू);

viii. बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे के कारण पर्यटन के अवसरों में सहायता; और

ix. उन क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियां जहां से बीआरओ द्वारा अधिकतम जनशक्ति नियुक्त की जाती है।

11. इसके बाद, माननीय सभापति ने तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई:

i. जनशक्ति और संसाधनों के संदर्भ में तटरक्षक संगठन की पर्याप्त क्षमता;

ii. 2021-22 और 2022-23 में तटरक्षक बल द्वारा ड्रग्स की ज़ब्ती और ड्रग्स तस्करी पर अंकुश; और

iii. कुछ राज्यों में समुद्री पुलिस में जनशक्ति की कमी।

12. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने नौसेना और संयुक्त स्टाफ विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. संशोधित अनुमान 2022-23, बजट अनुमान 2023-24 और नौसेना और

संयुक्त स्टाफ के लिए अनुमानित आवश्यकता;

ii. स्वदेशी विमान वाहक पोत की लागत, कमीशनिंग और तीसरे विमान

वाहक पोत का प्रस्ताव;

iii. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की संस्वीकृत पद संख्या;

iv. सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रगति;

v. पड़ोसी देशों की तुलना में भारतीय नौसेना की क्षमता;

vi. सैनिक स्कूलों और एनडीए में महिला उम्मीदवारों की भर्ती और उन्हें बलों

में शामिल करने की योजना;

vii. सेनाओं में नई बटालियनों को जोड़ने का प्रस्ताव;

viii. सेनाओं में अधिकारी स्तर के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव;

ix. राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को औपचारिक रूप देना;

x. वर्तमान खतरे के परिदृश्य का विश्लेषण; और

xi. चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के सुरक्षा और सैन्य गठबंधन के रूप

में विकसित होने की संभावना।

13. अंत में, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों पर व्यापक चर्चा और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। माननीय सभापति ने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जो जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे शीघ्रातिशीघ्र सचिवालय को उपलब्ध कराया जाए।

इसके पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही के शब्दसः रिकार्ड की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की पांचवी बैठक का कार्यवाही सारांश (2022-23)

समिति की बैठक बुधवार, 22 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1815 बजे तक मुख्य समिति कक्ष , संसदीय सौध भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. डॉ. रामशंकर कठेरिया
6. डॉ. राजश्री मल्लिक
7. श्री एन. रेड्डप्पा
8. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
9. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

10 डॉ. अशोक बाजपेयी
11 श्री प्रेम चंद गुप्ता
12 श्री सुशील कुमार गुप्ता
13 श्री कामाख्या प्रसाद तासा
14 डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
15 श्रीमती पी.टी. उषा
16 ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
17 श्री के. सी. वेणुगोपाल

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

सेना

1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिव/डीएमए
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडिशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
4	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
5	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
6	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी एंड एस)
7	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8	लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार	डीजीएमओ
9	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
10	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजीसीडी
11	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्जूटेंट जनरल
12	लेफ्टिनेंट जनरल एजे फर्नांडीज	डीजी एसडी
13	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
14	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना एंड टीए)
15	मेजर जनरल आर पुतरजुनम	एडीजी एई 7 एचओएस (एईसी)
16	मेजर जनरल सीएस मान	एडीजी एडीबी
17	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
18	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)

1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
4	लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह	डीजीएनसीसी
5	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
6	सुश्री निष्ठा उपाध्याय	संयुक्त सचिव

सैनिक स्कूल

1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
4	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
5	श्री राकेश मित्तल	जेएस (लैंड /एसएस

वायु सेना

1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिव/डीएमए
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	एयर मार्शल एपी सिंह	वीसीएएस
4	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
5	एवीएम एच बैंस	जेएस (वायु)
6	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
7	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
8	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना)
9	एवीएम टी चौधरी	एसीएएस (प्रोजेक्ट)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

1	डॉ. समीर वेंकटपति कामत	सचिव
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री के एस वरप्रसाद	डीएस एंड डीजी (एचआर)
4	श्री हरि बाबू श्रीवास्तव	ओएस एंड डीजी
5	सुश्री सुमा वर्गीज	ओएस एंड डीजी (एमईडी एंड सीओएस)
6	डॉ. यूके सिंह	ओएस एंड डीजी (एलएस)
7	श्री पुरुषोत्तम बेज	ओएस एंड डीजी (आर एंड एम)
8	श्री ए डी राणे	ओएस एंड डीजी (ब्रह्मोस)
9	डॉ (सुश्री) चंद्रिका कौशिक	ओएस एंड डीजी (पीसी एंड एसआई)
10	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
11	श्री वेदवीर आर्य	एडीशनल एफए एंड जेएस
12	डॉ. रविंद्र सिंह	निदेशक (डीपीए)
13	डॉ. सुमित गोस्वामी	निदेशक (योजना एंड समन्वय)

आयुध निदेशालय - न्यू डीपीएसयू

1	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव

2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
5	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
6	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
7	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
8	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)
9	श्री संजीव किशोर	डीजीओ (सी एंड एस)
10	श्री एन आई लस्कर	डीडीजी (बजट)
11	श्री उमेश सिंह	डीडीजी (एनडीसीडी)
12	श्री बीरेंद्र प्रताप	निदेशक (एनडीसीडी)
13	श्री रवि कांत	सीएमडी (एमआईएल)
14	श्री राजेश चौधरी	सीएमडी (एडब्ल्यूईआईएल)
15	श्री एस.के. सिन्हा	सीएमडी (टीसीएल)
16	श्री राजीव पुरी	सीएमडी (वाईआईएल)
17	श्री संजीव कुमार	सीएमडी (आईओएल)
18	श्री वी.के. तिवारी	सीएमडी (जीआईएल)
19	श्री संजय द्विवेदी	निदेशक/अवनी
20	मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा	एडीजी एमओ (बी)
21	मेजर जनरल मोहित वाधवा	एडीजी ईएम

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए बैठक के दौरान उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. डीपी वत्स (सेवानिवृत्त) को बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अनुसार कार्यवाहक सभापति के रूप में चुना गया था।

3. कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। इसके बाद समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध की

कि वे समिति को उस दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दें एवं उनका ध्यान लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट किया।

4. उप सेना प्रमुख ने समिति को सेना के बारे में बताते हुए संक्षिप्त चर्चा शुरू की और उसके पश्चात एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दी। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

1) सेना को बजटीय आवंटन;
2) वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण का पुनर्गठन।
3) बुनियादी ढांचे, तकनीकी कौशल और सैन्य क्षमताओं का उन्नयन
4) आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और त्वरित राहत प्रदान करना
5) भारतीय सेना में लैंगिक तटस्थता
6) सेना द्वारा खेलों में योगदान
7) अक्टूबर 2022 से भारतीय सेना को आपातकालीन खरीद अधिकार
8) मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता
9) भविष्य में परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की तैयारी
10)भारतीय सेना में विंटेज और अन्य श्रेणी के उपकरणों की स्थिति
11)भारतीय सेना द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास

5. इसके बाद, सभापति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उन्होंने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी तत्पश्चात निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

1) एनसीसी में प्रशिक्षकों की कमी और एनसीसी में प्रशिक्षक के रूप में भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व एनसीसी कैडेटों की भर्ती

2) एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए नवीनतम उपकरणों की आवश्यकता

3) राज्य सरकार और सीएपीएफ की नौकरियों में एनसीसी कैडेटों के लिए आरक्षण

4) एनसीसी कैडेटों को साइबर, कंप्यूटर, लेजर और अंतरिक्ष विशेषज्ञता प्रशिक्षण

5) निजी उद्योगों में एनसीसी कैडेटों के लिए रोजगार के अवसर

6) स्कूलों और कॉलेजों में स्व वित्त पोषण योजना (एसएफएस) का कार्यान्वयन।

7) सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में एनसीसी कैडेटों की कम चयन दर से संबंधित मुद्दे

6. सभापति द्वारा सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू की, जिसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

1) निजी क्षेत्र की भागेदारी में 100 नए स्कूल खोलना
2) सैनिक स्कूलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों/जेसीओ एनसीओ को प्रधानाचार्य, उप- प्रधानाचार्य और प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करना।
3) सैनिक स्कूलों में धन की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की कमी।
4) नए सैनिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण।
5) सैनिक स्कूलों के छात्रों का कम संख्या में सशस्त्र बलों में शामिल होना

7. भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आधुनिकीकरण योजना के संबंध में वायु सेना के उप प्रमुख द्वारा चर्चा के बाद, एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई। तत्पश्चात, निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

1) वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में भारी गिरावट
2) अधिकृत स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी
3) एलसीए में देरी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन

4) लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण
5) भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की कमी

8. तत्पश्चात, रक्षा अनुसंधान और विकास पर डीआरडीओ के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई, जिसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

1) निजी उद्योग को डीआरडीओ के नि:शुल्क पेटेंट
2) निजी उद्योगों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
3) निजी उद्योग द्वारा डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाओं का उपयोग
4) डीआरडीओ की मिशन मोड परियोजनाओं में देरी से संबंधित मुद्दा
5) मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए कावेरी इंजन का इस्तेमाल
6) डीआरडीओ द्वारा उत्पादों का स्वदेशीकरण
7) डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कमी

9. तत्पश्चात, नए डीपीएसयू पर आयुध निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। प्रत्येक नए डीपीएसयू जिनके नाम हैं- म्यूनेशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) के प्रतिनिधियों द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की-:

1) डीपीएसयू की ऑर्डर बुक की स्थिति
2) डीपीएसयू द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने पर जोर
3) डीपीएसयू में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए नई मशीनों की स्थापना
4) सभी डीपीएसयू द्वारा की गई आधुनिकीकरण गतिविधियां
5) डीपीएसयू के स्वदेशीकरण कार्यक्रम

10. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यथाशीघ्र लिखित उत्तर/सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

इसके बाद साक्षी चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।.

11. कार्यवाही की एक शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

ले. जन. (डॉ.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त) - कार्यवाहक सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रतन लाल कटारिया
3. कुंवर दानिश अली
4. श्री एन. रेड्डप्पा
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्री महाबली सिंह

राज्य सभा

7. डॉ. अशोक बाजपेयी
8. श्री प्रेम चंद गुप्ता
9. श्री सुशील कुमार गुप्ता
10. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
11. श्रीमती पी.टी. ऊषा
12. श्री जी. के. वासन

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

साक्षियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम

खरीद नीति और रक्षा योजना

1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस और सचिव/डीएमए
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस
4.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
5.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी	एएस/डीएमए
8.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
9.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
10.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
11.	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
12.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
13.	लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली	डीजी एसपी
14.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
15.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफडी)
16.	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी आईसीजी
17.	श्री दिनेश कुमार	जेएस और एएम (एमएस)
18.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	जेएस और एएम (वायु)
19.	डॉ. अजय कुमार	जेएस और एएम (एलएस)
20	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
22.	एवीएम राजीव रंजन	एसीआईडीएस (पीपी और एफएस)
23.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
24.	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना)
25.	आरएडीएम पी.ए.ए.आर सादिक	एक्वीजिशन टेक (एम एंड एस)
26.	मेजर जनरल अभय दयाल	एडीजी एसीक्यू
27.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
28.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (थल-सेना और टीए)
29.	आरएडीएम सीआर प्रवीण नायर	एसीएनसी
30.	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
31.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी

32.	मेजर जनरल एनकेवी पाटिल	एडीजी प्रोक (बी)
33.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
34.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत	डीजी (डीसी एंड डब्ल्यू)
4.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एडजुटेंट जनरल
5.	वीएडीएम सूरज बेरी	नियंत्रक कार्मिक सेवाएँ
6.	एयर मार्शल आरके आनंद	डीजी (प्रशासन)
7.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
8.	मेजर जनरल शरद कपूर	डीजी (पुनर्वास)
9.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
10.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
11.	एवीएम अशोक सैनी	एसीएएस
12.	आरएडीएम मनीष चड्ढा	एसीओपी
13.	कमोडोर एचपी सिंह	सचिव केएसबी
14.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
15.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
16.	डॉ. पी. पी. शर्मा	ओएसडी

रक्षा मंत्रालय (पेंशन)

1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	श्री प्रवीण कुमार, आईडीएएस	अपर सीजीडीए
3.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
4.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
5.	सुश्री सारिका अग्रवाल सिनरेम	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
6.	डॉ. जयराज नाइक	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
7.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
8.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
3.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
4.	मेजर जनरल एन आर इंदुरकर	एमडी ईसीएचएस
5.	कर्नल पीके मिश्रा	निदेशक, ईसीएचएस

6.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
7.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे, ले.जन. (डॉ.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त) को बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा संसदीय समितियों से संबंधित लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम सं. 258(3) के अनुसार बैठक का कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया।

3. तत्पश्चात् कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे उस दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को संक्षिप्त जानकारी दें और उनका ध्यान लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकर्षित किया।

4. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने रक्षा खरीद नीति पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई:

i आत्मनिर्भर भारत पर बल - रक्षा उपकरण के स्वदेशीकरण और रक्षा में आत्मनिर्भरता;

ii व्यापार करने में आसानी;

iii घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र और ऑफसेट पर बल;

iii विदेशी उद्योगों से रक्षा उपकरणों की खरीद में कमी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना;

iv रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन ; और

v एकीकृत रक्षा क्षमता योजना और अप्रचलित मदों के प्रबंधन पर बल

5. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देनी शुरू किया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के लिए बजटीय अनुदान;
ii. अग्निवीर योजना और उसके अंतर्गत अग्नीवीरों के प्लेसमेंट का विवरण;
iii. प्लेसमेंट के अवसर और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया;
iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित ग्रुप बी और ग्रुप सी अराजपत्रित पदों की रिक्तियों को भरना;
v. देश में शहीदों को दिए जाने वाले अनुग्रह नकदी लाभ/प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूपता की कमी; और
vi. केंद्रीय, राज्य और जिला सैनिक बोर्डों की भूमिका और दायित्व.

6. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा रक्षा मंत्रालय-पेंशन पर पावर-प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई:

i. रक्षा पेंशन के विभिन्न घटक;
ii रक्षा पेंशनभोगियों के लिए स्पर्श का कार्यान्वयन;
iii समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) से संबंधित मुद्दे; और
v. पेंशन को एकसमान करने के संबंध में विवरण.

7. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के प्रतिनिधियों द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसके पश्चात निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

i. भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत बजटीय अनुदान और निधियों का उपयोग;
ii. पॉलीक्लीनिक में विशेषज्ञों की रिक्तियां;
iii. ईसीएचएस लाभार्थियों को गैर-सरकारी पेनलबद्ध अस्पतालों द्वारा सेवा प्रदान करने से मना करने के संबंध में;
iv. एकीकृत परिसरों का निर्माण; और
v. समाप्त कर दी गयी ईसीएचएस/सुविधाओं और/या चिकित्सकीय रूप से अयोग्य कैडेट।

8. सभापति ने रक्षा सचिव, सामान्य अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद दिया और रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री नितेश गंगा देब
3. श्री राहुल गांधी
4. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
5. चौधरी महबूब अली कैसर
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. डॉ. रामशंकर कठेरिया
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री एन. रेड्डप्पा
10. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
11. श्री जुगल किशोर शर्मा
12. श्री प्रताप सिम्हा
13. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

14 . डॉ. अशोक बाजपेयी
15 . श्री सुशील कुमार गुप्ता
16 . श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
17 . श्री कामाख्या प्रसाद तासा
18 . डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

19 . श्रीमती पी.टी. उषा

20 . श्री जी. के. वासन

21 . ले. जनरल (डॉ.) डी.पी.वत्स (रिटा.)

22 . श्री के.सी. वेणुगोपाल

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3. श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में सूचित किया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:-

(i) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ii) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iii) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iv) 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन; और

(v) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन ।

3. कुछ विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। ######

4. समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सुविधानुसार किसी तिथि को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

इसके बाद, समिति की बैठक स्थगित हुई।

प्रतिवेदन से संबंधित नहीं

****